32वा

वार्षिक प्रतिवेदन

2015-2016

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
(आई.एस.ओ. 9001:2008 संस्थान)

मनोविकास नगर, सिकन्दराबाद-500 009. तेलंगाना, भारत
फोन: 040-27751741-45, फैक्स: 040-27750198
ई-मेल: nimh.director@gmail.com
वेबसाइट: www.nimhindia.gov.in

माननीय मंत्रीगण

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

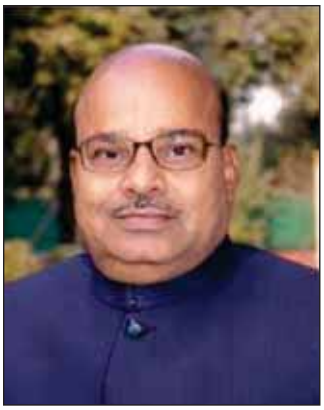

श्री थावरचन्द गेहलोत
माननीय कैबिनेट मंत्री

श्री कृष्णपाल गुर्जर
माननीय राज्य मंत्री

श्री विजय साम्प्ला
माननीय राज्य मंत्री

श्री रामदास आठवाले
माननीय राज्य मंत्री

विषय सूची

विवरण	पृष्ठ सं.
अध्याय	
वार्षिक प्रतिवेदन 2015-16 - सारांश	**5**
1. परिचय	**9**
1.1 संस्थान के बारे में	
1.2 मानसिक मंदन	
1.3 मानसिक मंदन की व्यापकता	
2. उद्देश्य	**11**
2.1 एन.आई.ई.पी.आई.डी. के उद्देश्य	
2.2 संगठनात्मक व्यवस्था	
2.3 क्षेत्रीय केन्द्र के क्रियाकलाप	
3. मानव संसाधन विकास	**15**
3.1 दीर्घावधि पाठ्यक्रम	
3.2 शैक्षणिक कार्यक्रमों का विवरण	
3.2.1 एम.फिल. पुनर्वास मनोविज्ञान	
3.2.2 एम.एड. - विशेष शिक्षा (मानसिक मंदन)	
3.2.3 प्रारंभिक बाल्यवस्था में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	
3.2.4 बी.एड. विशेष शिक्षा (मानसिक मंदन)	
3.2.5 प्रारंभिक बाल्यवस्था विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	
3.2.6 डी.एड. विशेष शिक्षा (मानसिक मंदन)	
3.2.7 व्यावसायिक पुनर्वास में डिप्लोमा (मानसिक मंदन)	
3.3 प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	
3.4 अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम	
4. अनुसंधान एवं विकास	**18**
4.1 अनुसंधान परियोजनाएँ (2015-16)	
4.2 अनुसंधान परियोजनाएँ	
4.3 भाग लिये संगोष्ठियाँ/ सम्मेलन / कार्यशालाएँ	
5. प्रकाशन	**25**
5.1 प्रकाशन	
5.2 प्रकाशनों का वितरण	
5.3 एन.आई.ई.पी.आई.डी. प्रकाशनों का डिजिटीकरण	
6. सेवाएँ	**26**
6.1 सेवाएँ	
6.2 सामान्य सेवाएँ	
6.3 विशेष सेवाएँ	
6.4 व्यावसायिक प्रशिक्षण	
6.5 कौशल विकास प्रशिक्षण	
6.6 परिवार कुटीर सेवाएँ	
6.7 विशेष शिक्षा केन्द्र	
6.8 अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम	
6.9 राहत देखभाल सेवाएँ	
6.10 एन.आई.ई.पी.आई.डी. के सामान्य सेवाओं पर क्लाईंटों का पुनर्निवेशन	
7. मॉडल विशेष शिक्षा केन्द्र	**39**
7.1 स्कूल के क्रियाकलाप	
7.2 कौशल विकास प्रशिक्षण	

8. परामर्शी तथा तकनीकी समर्थन 42
8.1 भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्राल से सहायता अनुदान के लिए गैर सरकारी संगठनों के आवेदनों का तकनीकी मूल्यांकन
8.2 भारतीय पुनर्वास परिषद्
8.3 गैरसरकारी संगठनों को तकनीकी समर्थन
8.4 विशेष रोजगार सेल

9. प्रलेखीकरण तथा प्रचार-प्रसार 43
9.1 पोस्टर एवं फ्लिप चार्ट
9.2 वेबसाइट डिजिटीकरण

10. विस्तारण तथा आउटरीच कार्यक्रम 44
10.1 यंत्र / उपकरणों का क्रय /फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता योजना (एडिप योजना)
10.2 पूर्वोत्तरी क्षेत्र में कार्यक्रम
10.3 संसाधन केन्द्र, सिक्किम
10.4 समुदाय आधारित कार्यक्रम
10.5 अभिमुखी कार्यक्रम
10.6 प्रदर्शनियाँ

11. राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा अन्य क्रियाकलाप 49
11.1 XXIII राष्ट्रीय अभिभावक बैठक
11.2 XXI विशेष कर्मचारियों की राष्ट्रीय बैठक
11.3 अ.ज./अ.ज.जा. के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
11.4 दिव्यांगजन अंतर्राष्ट्रीय दिवस
11.5 वार्षिक दिवस समारोह
11.6 इन्टर्नशिप
11.7 पुरस्कार
11.8 स्वच्छ भारत अभियान
11.9. प्रमुख व्यक्तियों की भेंट

12. प्रशासन 54
12.1 कर्मचारियों की संख्या
12.2 नियुक्तियाँ / सेवा निवृत्तियाँ
12.3 सतर्कता इकाई के क्रियाकलाप एवं उपलब्धियाँ
12.4 हिन्दी कार्यान्वयन
12.5 परिषद् की बैठकें
12.6 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
12.7 संस्थान की समितियाँ
12.8 संपदा क्रियाकलाप

13. लेखें एवं वित्त 59
परिशिष्ट 69-86
1. एन.आई.ई.पी.आई.डी. आर्गनोग्राम
2. अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम
3. पूर्वोत्तर राज्यों के कार्यक्रम
4. समुदाय आधारित कार्यक्रम
5. महापरिषद् के सदस्यों की सूची
6. कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों की सूची
7. शैक्षणिक समिति के सदस्यों की सूची
8. अधिकारियों व कर्मचारियों की सूची
9. सफल कहानियाँ
छायाचित्र 87

वार्षिक प्रतिवेदन 2015-16

सारांश

सन् 1984 में स्थापित राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (पूर्व में राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान), मानसिक मंद व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विविध गतिविधियों का प्रस्ताव रखा। तदनुसार, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निम्नानुसार तैयार किया-

1. मानसिक मंद व्यक्तियों के शिक्षा व पुनर्वास के सभी पहलुओं में अनुसंधान कार्य संचालित करना, समर्थन देना, समन्वयन करना या आर्थिक सहायता करना,
2. साधनों का प्रभावी मूल्यांकन/ उपयुक्त शल्य या चिकित्सीय प्रक्रियाओं या नए साधनों के विकास का नेतृत्व करने वाले जीव-आयुर्विज्ञान अभियांत्रिकी में अनुसंधान का संचालन, समर्थन, समन्वयन या आर्थिक सहायता करना,
3. मानसिक मंद व्यक्तियों के शिक्षा, प्रशिक्षण या पुनर्वास को प्रोन्नति देने के लिए प्रशिक्षकों व शिक्षकों के, अधिकारियों की नियुक्ति, व्यावसायिक परामर्शदाता या अन्य कोई कार्मिक जो संस्थान आवश्यक समझता हो, को प्रशिक्षण देना,
4. मानसिक मंद व्यक्तियों को शिक्षा, पुनर्वास चिकित्सा पहलुओं को प्रोन्नति देने के लिए बनाए गये कोई भी या सभी तरह के साधनों के प्रोटोटाईप की तैयारी व वितरण कार्य करना, प्रोन्नत देना या आर्थिक सहायता करना।

उपर्युक्त लक्ष्य व उद्देश्यों से, निम्नलिखित क्रियात्मक उद्देश्य विकसित हुए:

- मानसिक विकलांग व्यक्तियों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए जनशक्ति को तैयार करना तथा मानव संसाधनों का विकास करना।
- देश में मानसिक मंदन के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य की पहचान, संचालन एवं समन्वयन करना।
- मानसिक विकलांग व्यक्तियों के लिए भारतीय संस्कृति के अनुरूप देखभाल तथा योगीकरण के लिए समुचित आदर्शों का विकास करना।
- मानसिक मंदन के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों को परामर्शी सेवाएँ प्रदान करना।
- मानसिक मंदन के क्षेत्र में प्रलेखीकरण तथा सूचना केन्द्र के रूप में सेवाएँ प्रदान करना।
- आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा कम आय वर्ग के लोगों को समुदाय आधारित पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करना।
- मानसिक विकलांगता के क्षेत्र में विस्तार तथा पहुँच के बाहर के लोगों तक पहुँचने के कार्यक्रमों का संचालन करना।

मानव संसाधन विकास

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के प्रमुख उद्देश्यों में मानव शक्ति का विकास एक है। मानसिक मंद व्यक्तियों को सेवायें प्रदान करने में वास्तव में व्यावसायिकों व कार्मिकों की जरूरतों के बीच गहरी खाई है। इसी के मद्देनजर राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने आज तक 13 दीर्घावधि शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार व विकसित किये। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ग्रास रूट लेवल की जरूरतों के लिए डिप्लोमा स्तर से अनुसंधान अध्ययन के आयोजन के लिए स्नातकोत्तर स्तर के दीर्घावधि कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसके अलावा सेवारत अभ्यर्थियों को नवीनतम विकासों से अद्यतन करने हेतु अल्पकालीन व प्रमाण पत्रीय पाठयक्रमों का आयोजन करता है। जबकि, दीर्घावधि कार्यक्रम भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा अनुमोदित है तथा देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबध्द है, अल्पावधि कार्यक्रम सैध्दांतिक रूप में पंजीकरण के नवीनीकरण के लिये भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा अनुमोदित हैं।

वर्ष 2015-16 के दौरान राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान 10 दीर्घावधि कार्यक्रमों में से 7 कार्यक्रम आयोजित किये हैं (3 डिप्लोमा पाठयक्रम, 1 स्नातक पाठ्यक्रम, 3 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जिसमें 1 एम.फिल. कार्यक्रम सम्मिलित है)। कुल 234 व्यावसायिकों व व्यक्तियों को इन 7 दीर्घावधि कार्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के मुख्यालय में तीन पाठ्यक्रमों में दाखिले 25% से कम होने के कारण नहीं चलाये गये।

- संस्थान ने एक माह की अवधि के तीन प्रमाणपत्र कार्यक्रम आयोजित किये जिससे देश में विभिन्न भागों के 45 व्यावसायिकों जैसे विशेष शिक्षकों, मनोवैज्ञानिकों, वाक् चिकित्सकों, व्यावसायिक चिकित्सकों, व्यावसायिक अनुदेशकों, आदि ने लाभ उठाया।
- राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने विभिन्न पहलुओं पर 5 दिवस की अवधि के 62 अल्पावधि पाठ्यक्रम आयोजित किये, जिससे 1806 व्यावसायिक लाभान्वित हुए।

अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान एवं विकास राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भारतीय परिप्रेक्ष्य के मनो-भौतिकीय व सामाजिक जन सांख्यिकी लक्षणों के संदर्भ में मानसिक मंदन पर अनुसंधान आंकडों पर अभी भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। मूल तथा अनुप्रयुक्त क्षेत्रों पर अनुसंधान कार्य भी मानसिक मंद व्यक्तियों के चिकित्सापरक अंतराक्षेपण को बढाने के लिए व्यापक अवसर हैं।

- वर्ष 2015-16 के दौरान संस्थान में 5 परियोजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिनमें से एक परियोजना अन्य संगठनों के समन्वयन से आयोजित की जा रही है।
- वर्ष के दौरान, तीन अनुसंधान लेख विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में प्रकाशित हुए।
- वर्ष 2015-16 के दौरान राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के स्टाफ ने 9 वैज्ञानिक सम्मेलन/ संगोष्ठियों में भाग लिया।

सेवाएँ

मानसिक मंद व्यक्तियों के लिये विस्तृत बहु विषयक पुनर्वास सेवाओं की जरूरत है। ये सेवायें उन्हें स्वतंत्र रूप से जीने के लिये सामर्थ्य प्रदान करती हैं एवं उनके जीवन में सुधार लाती हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान शैश्वावस्था से लेकर यौवनावस्था तक के जीवन के लिये उन्हें अनेक प्रकार की सेवायें प्रदान करता है।

- वर्ष 2015-16 के दौरान, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय केन्द्रों में कुल 10,007 नये क्लाईंट का पंजीकरण किया गया एवं विस्तृत निर्धारण, प्रबंधन एवं अंतराक्षेपण कार्यक्रम प्रदान किये गये।
- राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय केन्द्रों में कुल 1,00,319 क्लाईंटों को फालोअप के दौरान विशेष सेवाएँ प्रदान की गई।
- पुनर्निवेश से यह पता चला कि, 86% क्लाईंटों व अभिभावक राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान .की सेवाओं से संतुष्ट हैं।
- राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में दूरदराज से आने वाले परिवारों के लिए परिवार कुटीर सेवाओं की सुविधा है। यहाँ रहते हुए वे आवश्यकता के निर्धारणानुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। वर्ष के दौरान, 374 क्लाईंटों ने उनके अभिभावकों के साथ परिवार कुटीर सेवाओं से लाभ उठाया।
- वर्ष 2015-16 के दौरान राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने वर्कस्टेशन के विभिन्न 19 क्रियाकलापों के द्वारा 102 वयस्क मानसिक मंद व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया तथा 125 मानसिक विकलांग क्लाईंटों को व्यावसायिक मूल्यांकन, मार्गदर्शन तथा परामर्श सेवाएँ प्रदान की ।

- राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान मुख्यालय के विशेष शिक्षा केन्द्र में 3 से 18 वर्ष की आयु वाले 109 बच्चों को दाखिला दिया गया जिनमें अल्प से लेकर अति गंभीर स्तर तक के मानसिक मंद बच्चे शामिल हैं।
- इस वर्ष 3437 अभिभावकों ने 68 अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लाभ उठाया।
- राहत देखभाल केन्द्र, मानसिक मंद व्यक्ति तथा उनके परिवार को घर पर अपनी दिनचर्या से राहत दिलाने के लिए एक अल्पकालीन देखभाल केन्द्र है जिसमें वर्ष के दौरान पंजीकृत लाभदायकों की संख्या 209 रही।
- वर्ष 2015-16 के दौरान, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान एम.एस.ई.सी., नई दिल्ली एवं नोएडा मे 120 विशेष बच्चों को दाखिला दिया गया जिनमे से 27 आवासीय तथा 93 अनावासीय थे।

परामर्श एवं तकनीकी समर्थन

- वर्ष के दौरान संस्थान ने चार गैर सरकारी संगठनों को मानसिक मंद व्यक्तियों के व्यावसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण पर तकनीकी समर्थन दिया।

समुदाय तथा आऊटरीच कार्यक्रम

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान कई तरह की पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करता है जैसे-केन्द्र आधारित, गृह आधारित, समुदाय आधारित आदि। ना पहुँच पाने वाले समुदायों के पास पहुँचने के लिये संस्थान मानसिक मंदन तथा अन्य दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समुदाय एवं आऊटरीच कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

- एडिप योजना के द्वारा 1518 साधन व उपकरण वितरित किये गये। नेल्लूर, कर्नूल, लखनऊ तथा वाराणासी में आयोजित मेगा शिविर में राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान नोडल एजेंसी रहा।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में 6216 व्यक्तियों को लाभान्वित करते हुए 81 प्रशिक्षण / अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किये गये।
- वर्ष के दौरान 39 समुदाय आधारित कार्यक्रमों के द्वारा 4321 व्यक्ति लाभान्वित हुए।
- हर वर्ष राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान एवं क्षेत्रीय केन्द्र को आने वाले व्यावसायिकों के लिए अभिमुखी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष के दौरान विभिन्न संस्थानों से आये हुए 2505 दर्शक लाभान्वित हुए।
- राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने 05 प्रदर्शनियाँ आयोजित की व भाग लिया जिससे 6850 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

प्रलेखन व प्रचार

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से प्रलेखन एवं प्रचार भी एक है। संस्थान मे मानसिक मंदन व उससे संबध्द पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाओं के पर्याप्त संकलन से सुसज्जित रिसोर्स केन्द्र है।

- राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने अभी तक 98 पुस्तकें प्रकाशित की है। वर्ष के दौरान इन प्रकाशनों की कुल 20,184 प्रतियाँ बेची गईं। इसके अतिरिक्त विकलांगता पर 338 वीडियो फिल्में तथा 212 साफ्टवेयरों की बिक्री की गई।
- वर्ष के दौरान 8,961 व्यावसायिकों एवं विद्यार्थियों ने पुस्तकालय से लाभ उठाया।

अन्य क्रियाकलाप/कार्यक्रम/घटनाएँ

लक्ष्य आधारित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के एक भाग के रूप में, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए सेवाओं को बढ़ाने हेतु बहुविध क्रियाकलापों से जुडा हुआ है। इन क्रियाकलापों में नीति बनाने वाले उच्च स्तरीय समितियों एवं प्रमुख व्यक्तियों की भेंट के लिए सुविधाएँ प्रदान करना, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों / कार्यशालाओं / संगोष्ठियों का आयोजन करना, अक्षमता पुनर्वास से संबंधित मुख्य समारोह आयोजित

करना, आदि सम्मिलित है। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान आयोजित क्रियाकलापों का सारांश निम्नानुसार है।

- परिवार नेशनल फेडरेशन आफ पेरेन्ट्स् आर्गनाइजेशन्स् के सहयोग से राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने राष्ट्रीय अभिभावकों की 23वी बैठक 28-29 नवम्बर 2015 को आयोजित की। यह कार्यक्रम प्राच्या शोध पीठ ऑफ प्रयास संस्थान, उदयपुर द्वारा आयोजित किया गया। देश भर से आये हुए 350 अभिभावकों ने इस बैठक में भाग लिया।
- माता-पिताओं में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने व सुगम बनाने के लिए देश भर में कुल 10 क्षेत्रीय अभिभावक बैठकें आयोजित की गई। इन बैठकों में देश भर से आये हुए 1580 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- विशेष कर्मचारियों की 21वी राष्ट्रीय बैठक राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान द्वारा 22 फरवरी, 2016 को आयोजित की गई। इस बैठक में देश भर से आये हुए 126 विशेष कर्मचारियों ने अपने संरक्षकों सहित भाग लिया।
- राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए योजनाओं/ उपायों को आरंभ किया। विकलांगता पुनर्वास क्षेत्र में कार्यरत 193 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यावसायिकों ने कम्प्युटर सहायक अनुदेशन पैकेज तथा ई-साध्य साफ्टवेयर पर 8 अल्पकालीन पाठ्यक्रमों से लाभ उठाया।
- इस वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के बौद्धिक दिव्यांगजनों को कुल 553 लैपटॉप वितरित किये गये।
- राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में 3.12.2015 को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस को आम जनता के लिए मुक्त दिवस घोषित कर मनाया। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान द्वारा प्रदान की गई कई स्टालों द्वारा गैर सरकारी संगठनों ने अपने संगठनों के मानसिक मंद बच्चों के कौशल तथा प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
- राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान एवं क्षेत्रीय केन्द्रों ने 22 फरवरी 2016 को 32वाँ वार्षिक दिवस मनाया।
- इंटर्नशिप कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, विभिन्न संस्थानों के 528 विद्यार्थियों को राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के विभिन्न विभागों व क्षेत्रीय केन्द्रों में कार्य सीखने का अवसर दिया गया।
- हिन्दी पखवाडा 14 से 28 सितम्बर, 2015 तक मनाया गया।
- 26.10.2015 से 30.10.2015 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।
- वर्ष के दौरान कार्यकारिणी परिषद् के दो बैठकें तथा महा परिषद् की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया।
- राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को क्रियान्वित कर रहा है। वर्ष 2015-16 के दौरान संस्थान को 64 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 52 निपटाये गये।
- विशेष शिक्षा केन्द्र द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह तथा गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। इन समारोहों के दौरान एस.ई.सी. के विद्यार्थियों ने मार्चपास्ट, पॉप ड्रिल, सामूहिक नृत्य तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया।
- स्वच्छ भारत अभियान- स्वच्छता अभियान पर राष्ट्रीय कार्यक्रम को राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान तथा क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
- श्री लव वर्मा, सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने 6 दिसम्बर, 2015 को राष्ट्रीय बौद्धित दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद का दौरा किया एवं 36वी महापरिषद् की बैठक में उपस्थित हुए ।
- श्री मल्ला रेड्डी, संसद सदस्य, मलकाजगिरि, हैदराबाद ने 22 फरवरी, 2016 को राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान का दौरा किया एवं 21वी विशेष कर्मचारियों की बैठक का उद्घाटन किया।

अध्याय-1

परिचय

1.1 संस्थान के बारे में

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में 1984 में पंजीकृत सोसाईटी है। एक शिखर संस्थान के रूप में स्थापित इस संस्थान की क्रियाएँ त्रिभागीय हैं, अर्थात् देश भर में मानसिक मंदन के क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं सेवाएँ। पिछले 32 वर्षो से मानसिक मंद व्यक्तियों को सशक्त बनाने हेतु संस्थान क्षमता के निर्माण में लगातार प्रगति करता आ रहा है।

मानसिक विकलांगता के क्षेत्र में नवीन विकास एवं विगत कुछ वर्षो की प्रवृत्तियों के आधार पर नवोन्मेषण एवं नये कार्यक्रमों का संचालन अपने अनुसंधान व विकास कार्यक्रमों के जरिये आयोजन के लिए संस्थान प्रयासरत है। अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विभिन्न क्रियाकलाप, संस्थान के विश्वस्तरीय योगदान को प्रतिबिंबित करते हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के क्रियाकलाप युनाइटेड नेशनस् कनवेंशन ऑन दी राइट्स् ऑफ पर्सन्स् वीद डिसेबिलिटीज् (यू.एन.सी.आर.पी.डी) के अधिदेश तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रचलित संवैधानिक अधिनियम एवं राष्ट्रीय नीतियों के अनुसार कार्यान्वित किये जाते हैं।

एक उत्कृष्ट संस्थान के रूप में, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान मानसिक मंदन से ग्रस्त व्यक्तियों की जिन्दगी में समानता और गरिमा लाने के लिए अपने कार्य के प्रत्येक पहलू एवं गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित करता है और इसका समर्थन आई.एस.ओ.9001:2008 के प्रमाणिकता द्वारा सिध्द हो जाता है।

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान मानव संसाधन विकास, अनुसंधान एवं विकास और प्रत्यक्ष चिकित्सीय सेवाओं में प्रतिपादित प्रगति की है तथा मानसिक मंद व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने का संपूर्ण प्रयास किया है।

1.2 मंदबुद्धिता व उसकी रोकथाम

मानसिक मंदन, विश्व के अत्यंत जटिल व चुनौती पूर्ण समस्या के क्रम में है। यह एक बहु आयामी तथ्य है जिसमें जीव-मनोवैज्ञानिक सामाजिक अभिकर्ताएँ सम्मिलित हैं।

यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें दिमाग का विकास रुक गया हो या अपूर्ण हो, जिसके विशिष्ट लक्षण हैं- विकास के दौरान कौशलों में क्षति जो कि, व्यक्ति के समग्र बुध्दि अर्थात्, संज्ञानात्मक, भाषा कौशल, गति कौशल और सामाजिक कौशल के विकास में योगदान करते हैं।

1.3 मंदबुध्दिता की व्यापकता

भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों की संख्या 2.68 करोड है। यह भी अनुमान लगाया गया कि, मानसिक मंदन से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या 1,505,624 है। इसका यह अर्थ है कि प्रति एक लाख व्यक्तियों में से 124 व्यक्ति मानसिक मंदन से ग्रस्त है। भारत की जनगणना 2011 द्वारा अनुमानित विकलांग व्यक्तियों एवं मानसिक मंद व्यक्तियों की संख्या **तालिका 1 एवं तालिका 1.1** में प्रस्तुत है।

तालिका-1 : भारत की जनगणना 2011 : विकलांगता पर आंकडें

भारत में विकलांगता के प्रकार के आधार पर विकलांग व्यक्तियों की संख्या 2011

विकलांगता के प्रकार	व्यक्तियों की संख्या	पुरुष	महिलाएँ
विकलांग व्यक्ति	26,810,557	14,986,202	11,824,355
मानसिक मंदन	1,505,624	870,708	634,916

तालिका 1.1: मानसिक मंद - भारत में विकलांग व्यक्तियों की जनसंख्या - जनगणना-2011

राज्य कोड	राज्य का नाम	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएँ
	भारत	**15,05,624**	**8,70,708**	**6,34,916**
01	राज्य-जम्मू व कश्मीर	16724	9798	6926
02	राज्य-हिमाचल प्रदेश	8986	5310	3676
03	राज्य-पंजाब	45070	27332	17738
04	राज्य-चंडीगढ़	1090	683	407
05	राज्य-उत्तराखण्ड	11450	6952	4498
06	राज्य-हरियाणा	30070	19268	10802
07	राज्य-एनसीटी ऑफ दिल्ली	16338	10385	5953
08	राज्य-राजस्थान	81389	52533	28856
09	राज्य-उत्तर प्रदेश	181342	113841	67501
10	राज्य-बिहार	89251	55335	33916
11	राज्य-सिक्किम	516	274	242
12	राज्य-अरुणाचल प्रदेश	1264	635	629
13	राज्य-नागालैंड	1250	666	584
14	राज्य-मणिपुर	4506	2436	2070
15	राज्य-मिजोरम	1585	843	742
16	राज्य-त्रिपुरा	4307	2358	1949
17	राज्य-मेघालय	2332	1235	1097
18	राज्य-असम	26374	14864	11510
19	राज्य-प.बंगाल	136523	76270	60253
20	राज्य-झारखण्ड	37458	21601	15857
21	राज्य-ओडिशा	72399	40320	32079
22	राज्य-छत्तीसगढ़	33171	17562	15609
23	राज्य-मध्यप्रदेश	77803	46571	31232
24	राज्य-गुजरात	66393	39309	27084
25	राज्य-दमन व दियु	176	98	78
26	राज्य-दादर एवं नगर हवेली	180	95	85
27	राज्य-महाराष्ट्र	160209	90408	69801
28	राज्य-आँध्रप्रदेश	132380	70272	62108
29	राज्य-कर्नाटक	93974	49501	44473
30	राज्य-गोवा	1817	965	852
31	राज्य-लक्षद्वीप	112	75	37
32	राज्य-केरल	65709	35614	30095
33	राज्य-तमिलनाडु	100847	55854	44993
34	राज्य-पांडीचेरी	2335	1285	1050
35	राज्य- अंदमान व निकोबार द्वीप समूह	294	160	134

अध्याय-2

उद्देश्य

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने आरंभ से ही, मानसिक मंद व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विविध गतिविधियों का प्रस्ताव रखा। तदनुसार, निम्नलिखित लक्ष्य एवं उद्देश्यों को तैयार किया-

- मानसिक मंद व्यक्तियों के शिक्षा व पुनर्वास के सभी पहलुओं में अनुसंधान कार्य संचालित करना, समर्थन देना, समन्वयन करना या आर्थिक सहायता करना,
- साधनों का प्रभावी मूल्यांकन/ उपयुक्त शल्य या चिकित्सीय प्रक्रियाओं या नए साधनों के विकास का नेतृत्व करने वाले जीव-आयुर्विज्ञान अभियांत्रिकी में अनुसंधान का संचालन, समर्थन, समन्वयन या आर्थिक सहायता करना,
- मानसिक मंद व्यक्तियों के शिक्षा, प्रशिक्षण या पुनर्वास को प्रोन्नति देने के लिए प्रशिक्षकों व शिक्षकों को, अधिकारियों की नियुक्ति, व्यावसायिक परामर्शदाता या अन्य कोई कार्मिक जो संस्थान आवश्यक समझता हो, को प्रशिक्षण देना,
- मानसिक मंद व्यक्तियों को शिक्षा, पुनर्वास चिकित्सा पहलुओं को प्रोन्नति देने के लिए बनाए गये कोई भी या सभी तरह के साधनों के प्रोटोटाईप की तैयारी व वितरण कार्य करना, प्रोन्नत देना या आर्थिक सहायता करना।

उपर्युक्त लक्ष्य व उद्देश्यों से, निम्नलिखित क्रियात्मक उद्देश्य विकसित हुए:

2.1 राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के उद्देश्य

- मानसिक विकलांग व्यक्तियों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए जनशक्ति को तैयार करना तथा मानव संसाधनों का विकास करना।
- देश में मानसिक मंदन के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य की पहचान, संचालन एवं समन्वयन करना।
- मानसिक विकलांग व्यक्तियों के लिए भारतीय संस्कृति के अनुरूप देखभाल तथा योगीकरण के लिए समुचित आदर्शों का विकास करना
- मानसिक मंदन के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों को परामर्शी सेवाएँ प्रदान करना
- मानसिक मंदन के क्षेत्र में प्रलेखीकरण तथा सूचना केन्द्र के रूप में सेवाएँ प्रदान करना
- आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा कम आय वर्ग के लोगों को समुदाय आधारित पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करना
- मानसिक विकलांगता के क्षेत्र में विस्तार तथा पहुँच के बाहर के लोगों तक पहुँचने के कार्यक्रमों का संचालन करना

2.2 संगठनात्मक व्यवस्था

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान का मुख्यालय सिकंदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। संस्थान में छह विभाग अर्थात्, प्रौढ स्वतंत्र जीवन यापन विभाग, समुदाय पुनर्वास तथा परियोजना प्रबंधन, पुस्तकालय एवं सूचना सेवाएँ, आयुर्विज्ञान सेवाएँ, पुनर्वास मनोविज्ञान तथा विशेष शिक्षा विभाग हैं।

संस्थान के चार क्षेत्रीय केन्द्र नई दिल्ली, नोएडा, कोलकाता तथा नवी मुम्बई में स्थित हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान का माडल विशेष शिक्षा केन्द्र नई दिल्ली एवं नोएडा में स्थित है और गैंगटॉक, सिक्किम में संसाधन केन्द्र है। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने जनवरी 2016 में समग्र क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना नेल्लूर, आँध्रप्रदेश में किया और राज्य सरकार द्वारा दिये गये भवन में यह केन्द्र संप्रति कार्य कर रहा है। 10 एकड भूमि में सी.आर.सी नेल्लूर के स्थायी भवन का निर्माण कार्य संप्रति प्रगति पर है।

संस्थान की मूल गतिविधियों को प्रशासन अनुभाग समर्थन देता है। संस्थान के समग्र क्रियात्मकता को दर्शाता हुआ संगठनात्मक चित्र **परिशिष्ट- 1** पर दिया गया है **(पृष्ठ सं. 69)**।

2.3 क्षेत्रीय केन्द्रों के क्रियाकलाप

2.3.1क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली एवं नोएडा

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली की स्थापना फरवरी 1986 में कस्तूरबा निकेतन, लाजपतनगर, नई दिल्ली - 110 024 में हुई। अच्छे से अच्छा शैक्षणिक वातावरण प्रदान करने के लिए, यह केन्द्र भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित दो दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है जहाँ हर एक व्यावसायिक मानसिक मंदन के क्षेत्र में अपनी क्षमता का विकास कर सकता है।

- दो वर्षीय बी.एड. इन स्पेशल एजुकेशन (मेंटल रिटार्डेशन)
- दो वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन (स्पेशल एजुकेशन)

इस केन्द्र द्वारा हर वर्ष मानसिक मंदन के क्षेत्र के व्यावसायिकों के लिए अल्पकालीन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र द्वारा विकासात्मक विलम्बता/मानसिक मंदन से ग्रस्त क्लाइंटों को सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। इस केन्द्र द्वारा जागरूकता शिविर तथा जाँच पडताल शिविर भी अपने विस्तार तथा आउटरीच क्रियाकलापों के अंतर्गत आयोजित किये जाते हैं। मानसिक मंदन के क्षेत्र में कार्यरत् स्थानीय गैर सरकारी संगठनों को तकनीकी सहायता भी केन्द्र द्वारा प्रदान की जाती है । केन्द्र द्वारा 'अंकुर' नामक प्रारंभिक अंतराक्षेपण केन्द्र की स्थापना 1990 में की गई जहाँ पाँच वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। विभिन्न व्यावसायिक कालेजों से अपने इन्टर्नशिप हेतु आये हुए विद्यार्थियों को क्षेत्रीय केंद्र, नई दिल्ली द्वारा सहायता भी प्रदान की जाती है।

क्षेत्रीय केन्द्र ने नई दिल्ली में अपनी गतिविधियों को फरवरी 2015 से नोएडा के अपने स्थायी भवन में स्थानांतरित की है। यद्यपि, लाजपतनगर, नई दिल्ली में आंशिक सेवाएँ चल रहीं हैं।

2.3.2 क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकता मार्च 1986 में राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान के परिसर, बॉन हुगली, बी.टी.रोड, कोलकता 700 090 पर स्थापित हुआ। इस केन्द्र में भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित तीन दीर्घकालीन पाठयक्रम चलाये जाते हैं:

- दो वर्षीय बी.एड. स्पेशल एजुकेशन (एम.आर.)
- दो वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन (स्पेशल एजुकेशन)
- एक वर्षीय डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन (एम.आर.)

प्रति वर्ष केन्द्र द्वारा व्यावसायिकों एवं अभिभावकों के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। मानसिक मंदन के जोखिम वाले बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए प्रारंभिक पहचान तथा अंतराक्षेपण के लिए विशेष क्लिनिक है। इस केन्द्र में विशेष शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा प्रारंभिक अंतराक्षेपण के क्षेत्रों में सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। मानसिक मंदन तथा संबंधित क्षेत्र में स्नातक तथा स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए प्लेसमेंट भी दिया जाता है। इस केन्द्र द्वारा विस्तारण तथा आउटरीच क्रियाकलापों के एक भाग के रूप में, जागरूकता शिविर एवं जाँच शिविरों का आयोजन भी किया जाता है। यह केन्द्र मानसिक मंदन के क्षेत्र में कार्यरत् गैर सरकारी संगठनों को भी तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

2.3.3 क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र, मुम्बई की स्थापना 1987 में ए.वाई.जे.एन.आई.एच.एच. कैम्पस में हुई थी । पश्चिम क्षेत्र अर्थात, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गोवा, लक्षद्वीप तथा दमन व दिउ की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह केन्द्र प्रारंभ किया गया है। क्रियाकलापों का विस्तार करने के उद्देश्य से इस केन्द्र को नवी मुम्बई को 2004 में स्थानान्तरित किया गया। अब यह केन्द्र दो किराये के स्थान, अर्थात् बेलापुर तथा खारघर में चलाया जाता है। प्रशासनिक कार्यालय, पुस्तकालय तथा दीर्घकालीन व अल्पकालीन पाठयक्रम बेलापुर कार्यालय में तथा सामान्य व विशेष सेवाएँ खारघर कार्यालय में चलाये जाते हैं यह केन्द्र तीन दीर्घ कालीन कार्यक्रम चलाता है,

- बी.एड. विशेष शिक्षा (मानसिक मंदन)
- डिप्लोमा इन अर्लीचाइल्ड हुड स्पेशल एजुकेशन
- डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन

केन्द्र द्वारा, मानसिक मंद व्यक्तियों को विशेष शिक्षा, मनोविज्ञान व व्यवहार प्रबंधन, वाणी व भाषा एवं व्यावसायिक चिकित्सा में गुणवत्ता मूल्यांकन तथा अंतराक्षेपण सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। यहाँ अल्पकालीन कार्यक्रम जैसे पुनश्चर्या पाठयक्रम, सी.आर.ई, अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम तथा शिविरों का आयोजन भी किया जाता है। क्षेत्रीय केन्द्र अपने ही प्रेमिसेस नवी मुम्बई में अपने भवन का निर्माण कर रहा है जहाँ मानव संसाधन विकास के लिए एवं मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए अत्युत्तम सुविधाएँ दी जा सकती हैं।

2.3.4 एन.आई.ई.पी.आई.डी. - माडल विशेष शिक्षा केन्द्र, नोएडा एवं नई दिल्ली

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान माडल विशेष शिक्षा केन्द्र, भारत सरकार द्वारा 1964 में कस्तूरबा निकेतन, लाजपत नगर, नई दिल्ली 110 024 में स्थापित किया गया था। मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए विशेष तथा विस्तृत सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से इस केन्द्र का आरंभ किया गया है। यह केन्द्र 1986 से संस्थान के अधीन कार्य कर रहा है। इस केन्द्र में मानसिक मंद व्यक्तियों को गुणवत्ता सेवाएँ प्रदान करने के लिए योग्यता प्राप्त व्यावसायिक हैं। मानसिक मंद व्यक्तियों को अपने भीतर के सामर्थ्य का अत्यधिक मात्रा में विकास करने के लिए शिक्षा व प्रशिक्षण दिया जाता है। इस स्कूल के छात्रों की संख्या 120 है (93 अनावासीय और 27 आवासीय)। क्रियाकलापों में मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, अभिभावक परामर्श, घरेलू प्रशिक्षण, व्यावसायिकों के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अभिभावकों एवं सहोदरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण के लिए बाहर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए प्लेसमेंट सम्मिलित है। केन्द्र में दाखिल किये गये विद्यार्थियों के लिए नियमित पाठचर्या व सहपाठचर्या क्रियाकलाप आयोजित किये जाते हैं।

एन.आई.ई.पी.आई.डी. एम.एस.ई.सी. ने नोएडा केन्द्र में फरवरी, 2015 से अपने क्रियाकलाप भी आरंभ किये। जबकि लाजपतनगर, नई दिल्ली में मौजूदा स्कूल में सुविधाएँ उपलब्ध है।

2.3.5 राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान संसाधन केन्द्र, गैंगटोक, सिक्किम

एन.आई.ई.पी.आई.डी. ने 26 मार्च. 2014 को गैंगटॉक, सिक्किम के सामाजिक न्याय, साधिकारिता एवं कल्याण विभाग के कार्यालय परिसर में विकासात्मक विलम्ब तथा विकलांगजन के लिए सेवाएँ प्रदान करने हेतु एन.आई.ई.पी.आई.डी. संसाधन केन्द्र की स्थापना की। इसके साथ साथ, सामाजिक न्याय, साधिकारिता एवं कल्याण विभाग, सिक्किम सरकार के पूर्ण सहयोग एवं सहायता से यह केन्द्र समाज में, स्कूल एवं कालेज के विद्यार्थियों में विकलांगता पुनर्वास पर जागरूकता निर्माण करता है तथा विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में व्यावसायिकों, ग्रासरूट कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण भी देता है। आरंभ से ही, सिक्किम राज्य में विकसात्मक विलम्ब/ विकलांग व्यक्तियों को पहचानने के लिए ग्रासरुट कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने, प्रारंभिक पहचान एवं प्रारंभिक अंतराक्षेपण क्षेत्र में पुनर्वास एवं रेफरल सेवाओं में तीव्रता लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2014-15 के दौरान सिक्किम राज्य में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों से 2674 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

2.3.6 समग्र क्षेत्रीय केन्द्र, नेल्लूर

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने नेल्लूर, आँध्रप्रदेश में समग्र क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना आरंभ की। माननीय मंत्री, श्री थावरचन्द गेहलोत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने वेंकटाचलम, नेल्लूर जिला, आँध्रप्रदेश में नये भवन का निर्माण के लिए शिलान्यास किया और 3 जनवरी, 2016 को जुबिलि अस्पताल, नेल्लूर में पुनर्वास सेवाओं का उद्घाटन किया। माननीय मंत्री, श्री एम.वेंकया नायुडु तथा अन्य आँध्रप्रदेश राज्य के कैबिनेट मंत्री, संसद सदस्य एवं अन्य जनप्रतिनिधियों भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। पहले दिन से ही सभी चिकित्सापरक एवं पुनर्वास सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। वर्ष के दौरान 58 नए केसेस् एवं 154 फालोअप केसेस् देखे गये तथा 31 मार्च 2016 तक 329 समर्थन सेवाएँ प्रदान किया गया। वेंकटाचलम, नेल्लूर, आँध्रप्रदेश में 10 एकड भूमि में सी.आर.सी. नेल्लूर का स्थायी भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

अध्याय-3

मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य, सभी स्तरों पर सामर्थ्य विकास तथा क्षमता निर्माण हासिल करने की ओर लक्षित है। अपने मुख्य उद्देश्य के रूप में, अपने मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों द्वारा लोगों में सामर्थ्य विकास तथा जनशक्ति के सृजन के लिए निरंतर प्रक्रिया पर कार्यरत् है। समाज के और वैयक्तिक हितार्थ ज्ञान, कुशलताएँ, अभिवृत्ति तथा क्षमताओं की निरंतर वृध्दि के लिए, अवसरों का समर्थन करने एवं उन्हें बनाए रखने की दृष्टि से संस्थान की नीति एवं कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई।

मानव संसाधन विकास के अंतर्गत मुख्य गतिविधियाँ दीर्घावधि पाठयक्रम, अल्पावधि पाठयक्रम, प्रशिक्षण कार्यशालाओं तथा व्यावसायिक संस्कृतिग्रहण के लिए निरंतर शिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना है। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान बौद्धिक विकलांगता के क्षेत्र में जागरूकता निर्माण तथा गहरे सोच विचार करने के लिए संबंधित मुख्य विषयों पर व्यावसायिकों, अभिभावकों तथा मानसिक मंदन से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

मानव संसाधन विकास का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र, मानसिक मंद व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान करना एवं जनशक्ति का विकास करना है। यह अनुमान लगाया गया है कि, एक शिक्षक (विशेष शिक्षक) अल्प मानसिक मंदन से ग्रस्त लगभग 10 बच्चों को प्रभावशाली ढंग से संभाल सकता है। मानसिक मंदन से ग्रस्त 70% से अधिक बच्चे इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार 1,00,000 क्लासरूम शिक्षकों की जरूरत होगी। चूँकि, मानसिक मंदन से ग्रस्त बच्चों के प्रबंधन के लिए एक बहुविषयक टीम की आवश्यकता होती है, इसके अलावा अन्य व्यावसायिकों की भी आवश्यकता होती है। हमारे देश में 7000 से भी कम प्रशिक्षित शिक्षक हैं और यही स्थिति अन्य पुनर्वास व्यावसायिकों की भी है। इस अन्तराल को कम करने लिए, इस क्षेत्र में मानव संसाधन विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है।

3.1 दीर्घकालीन पाठयक्रम

मानव संसाधन विकास की प्रोन्नति के लिए, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने अपने मुख्यालय तथा क्षेत्रीय केन्द्रों में भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा अनुमोदित 7 दीर्घावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों (3 डिप्लोमा पाठ्यक्रम, 1 स्नातक पाठ्यक्रम और 3 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जिसमें एक एम.फिल. कार्यक्रम सम्मिलित है) का संचालन किया। इस क्षेत्र में पाई गई जरूरत के अनुसार इन पाठ्यक्रमों की पहचान की गई और उन्हें विकसित किया गया। वर्ष 2015-16 के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों के 331 सीटों के लिए 234 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। पाठ्यक्रम-वार दाखिलों का विवरण **तालिका -2** में दिया गया है।

बी.एड. स्पेशल एजुकेशन (एम.आर.) कक्षा ।

वर्ष	पाठ्यक्रम	अंतर्गहण क्षमता	दाखिल
2014-15	10	407	249 (61.2%)
2015-16	7	331	234 (70.6%)

तालिका 2:दीर्घकालीन पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या -2015-16

क्र. सं.	पाठ्यक्रम	केन्द्र	अवधि (वर्ष)	संबद्ध विश्वविद्यालय	2015-16	
					प्रवेश की क्षमता	दाखिलें
1	एम.फिल., रीहैबलिटेशन साईकोलोजी	एन.आई.ई.पी. आई.डी. मुख्यालय	2	उस्मानिया विश्वविद्यालय	14	08 (57.0%)
2	एम.एड., स्पेशल एजुकेशन (मेंटल रिटार्डेशन)	एन.आई.ई.पी. आई.डी. मुख्यालय	2	उस्मानिया विश्वविद्यालय	25	17 (68.0%)
3	पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा इन अर्ली इन्टरवेंशन	एन.आई.ई.पी. आई.डी. मुख्यालय		उस्मानिया विश्वविद्यालय	20	5(25.0%)
4	बी.एड., स्पेशल एजुकेशन (मेंटल रिटार्डेशन)	एन.आई.ई.पी. आई.डी. मुख्यालय	2	उस्मानिया विश्वविद्यालय	25	21 (84.0%)
		क्षे.के.-नवी मुम्बई		मुम्बई विश्वविद्यालय	25	13 (52.0%)
		क्षे.के.- कोलकाता		प.बंगाल राज्य विश्वविद्यालय	30	30 (100.0%)
		क्षे.के.-नोएडा		गुरुगोबिन्द इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय	25	25 (100.0%)
5	डिप्लोमा इन अर्ली चाईल्डहुड स्पेशल एजुकेशन (मेंटल रिटार्डेशन)	एन.आई.ई.पी. आई.डी. मुख्यालय	1	एन.आई.ई.पी. आई.डी.	25	20 (80.0%)
		क्षे.के.-नवी मुम्बई			25	15(60.0%)
6	डी.एड., स्पेशल एजुकेशन (मेंटल रिटार्डेशन)	क्षे.के.-नोएडा	2	एन.आई.ई.पी. आई.डी.	30	30 (100.0%)
		क्षे.के.- कोलकाता			31	30 (96.7%)
7	डिप्लोमा इन वोकेशनल रीहैबिलिटेशन (मेंटल रिटार्डेशन)	क्षे.के.-नवी मुम्बई	1	एन.आई.ई.पी. आई.डी.	25	10 (40.0%)
		क्षे.के.- कोलकाता			31	10(32.2%)
	कुल	**13**			**331**	**234 (70.6%)**

3.2 शैक्षणिक कार्यक्रमों का विवरण

3.2.1 एम.फिल -पुनर्वास मनोविज्ञान

यह दो वर्ष का आवासीय पाठ्यक्रम उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद से संबध्द है। इस पाठयक्रम की अभिकल्पना उच्च संवर्ग के पुनर्वास मनोवैज्ञानिकों को तैयार करना है जो मानसिक मंदन से ग्रस्त व्यक्तियों एवं अन्य विकलांगों को विस्तृत सेवाएँ प्रदान करने के लिए मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने की योग्यता रखेंगे एवं मनोवैज्ञानिक पहलुओं में अनुसंधान करेंगे। पाठयक्रम में न्यूरोबायोलजी, मनोविज्ञान, विशेष शिक्षा, वाणी-भाषा चिकित्सा विज्ञान, भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा, समुदाय आधारित पुनर्वास जैसे विषयों का समावेश है।

3.2.2 एम.एड. - विशेष शिक्षा (मानसिक मंदन)

एक वर्ष की अवधि का एम.एड. विशेष शिक्षा (मानसिक मंदन) पाठ्यक्रम का लक्ष्य विशेष शिक्षा में संकाय स्तर पर व्यावसायिकों को तैयार करना है।

3.2.3 प्रारंभिक अंतराक्षेपण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

विकासात्मक विलंबों से ग्रस्त बच्चों को यदि आरंभ में ही परख लिया जाए और उन्हें आरंभिक आयु में ही व्यावसायिक सेवाएँ प्रदान कर दी जाएँ तो उनमें उल्लेखनीय सुधार होगा। इन सेवाओं की प्रकृति अंतर्विषयक और अधिगम में होलिस्टिक होती है जो बच्चों को विकास, शारीरिक चिकित्सा विज्ञान, व्यावसायिक चिकित्सा, वाक् चिकित्सा विज्ञान, तथा परिवार अंतराक्षेपण को आवरित करती है। यह पाठ्यक्रम उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद से संबध्द है।

3.2.4 विशेष शिक्षा में बी.एड. (मानसिक मंदन)

विभिन्न स्तरों पर विशेष अध्यापकों की आवश्यकता के मद्देनजर राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान विशेष शिक्षा में बी.एड. (मानसिक मंदन) पाठ्यक्रम को उस्मानिया विश्वविद्यालय संबद्ध अपने मुख्यालय में तथा पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालय के संबंधन में कोलकाता स्थित क्षेत्रीय केन्द्र में, मुम्बई विश्वविद्यालय से संबद्ध, नवी मुम्बई क्षेत्रीय केन्द्र में तथा गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के संबंधन से नई दिल्ली के क्षेत्रीय केन्द्र में दो वर्षीय विशेष शिक्षा में बी.एड. (मानसिक मंदन) कोर्स का संचालन करता है।

3.2.5 प्रारंभिक बाल्यावस्था विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (मानसिक मंदन)

प्रारंभिक बाल्यकाल विशेष शिक्षा (ई.सी.एस.ई) 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर ध्यान देता है और लक्ष्य वर्ग की योग्यता के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये विविध तरीकों और अभिगमों का उपयोग करता है। यह मानव संसाधन के प्रशिक्षण की माँग करता है जो घर आने वाला निरीक्षक या भ्रमणकारी शिक्षक होता है या जो नियमित विशेष प्री-स्कूलों में अक्षमताओं से ग्रस्त बच्चे को संभालने परिवारों के पास स्वयं जाता है। प्रारंभिक बाल्यकाल विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम में डिप्लोमा राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद, क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई में संचालन किया जा रहा है।

3.2.6 डी.एड. विशेष शिक्षा (मानसिक मंदन)

यह दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, मानसिक मंदन तथा अन्य सह विकलांगताओं से ग्रस्त बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों को तैयार करने की ओर लक्षित है। परीक्षाओं के संचालन का कार्य, भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा नामित, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान को सौंपा गया है।

3.2.7 व्यावसायिक पुनर्वास में डिप्लोमा (मानसिक मंदन)

यह एक वर्षीय कार्यक्रम मानसिक मंदन के क्षेत्र में व्यावसायिक अनुदेशकों को तैयार करता है और राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद तथा क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकता तथा नवी मुम्बई में चलाया जाता है।

3.3 प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम

इस क्षेत्र से प्राप्त पुनर्निवेशन यह दर्शाता है कि, मानसिक मंदन से ग्रस्त बच्चों के पुनर्वास में कार्यरत् विशेष शिक्षक व संबंधित व्यावसायिकों को मूल्यांकन, चिकित्सा व नौकरी विस्थापन पर गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वर्ष 2015-16 के दौरान एक महीने की अवधि के 3 ऐसे कार्यक्रमों का संचालन किया गया जिससे 45 व्यावसायिक लाभान्वित हुए, विवरण **तालिका 3** में प्रस्तुत है।

तालिका 3: वर्ष 2015-16 के दौरान आयोजित प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम

क्र.सं	कार्यक्रम का नाम	आयोजक	दिन	अवधि	व्यावसायिक
1.	मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान सिकन्दराबाद	28	3.8.2015 28.8.2015	12
2.	धारवाड के बीएचएससी छात्रों के लिए प्रारंभिक पहचान तथा हस्तक्षेप पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान सिकन्दराबाद	28	21.02.2015 16.01.2015	19
3.	इन्टग्रेटिंग थिरेपी विथ स्कूल एक्टिविटीज़ पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता	30	1.12.2015 30.12.2015	14
	कुल				**45**

3.4 अल्पकालीन पाठ्यक्रम

मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों को उनके प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पुनर्वास क्षेत्र में काम करने वाले व्यावसायिकों और कार्मिकों को सेवा के दौरान प्रशिक्षण हेतु लघु- अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अभिकल्पना आवश्यक रूप से की जाती है। संस्थान ने वर्ष 2015-16 के दौरान वर्ष भर में 1806 लाभार्थियों को आवरित करते हुए 62 अल्पकालीन कार्यक्रमों का आयोजन किया । कार्यक्रम और लाभदायकों का अनुपात निम्नानुसार है।

वर्ष	कार्यक्रम	लक्ष्य	लाभान्वित	अनुपात
2014-15	56	1290	1574	1:28
2015-16	62	1329	1806	1:29

भारतीय पुनर्वास परिषद के पंजीकृत व्यावसायिकों के लिए एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिए संचालित किये गये सारे लघु अवधि कार्यक्रम भारतीय पुनर्वास परिषद् (आर.सी.आई) के निरंतर पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम (सी.आर.ई.) के समस्तरीय होते हैं। लघु-अवधि पाठ्यक्रमों के ब्यौरे **परिशिष्ट- 2** में दिये गये हैं. **(पृष्ठ सं 70)**।

मिथक: बौद्धिक अक्षमता अनुवांशिक समस्या है।
तथ्य: बौद्धिक अक्षमता केवल कहीं कहीं अनुवांशिक है, प्राय: इसका कारण बाह्य प्रभाव है, जिनमें से कुछ की रोकथाम की जा सकती है।

अध्याय-4

अनुसंधान और विकास

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में अनुसंधान एवं विकास एक है। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने पिछले 32 वर्षों के अनुसंधान परियोजना के विश्लेषण से यह पता चलता है कि, अनुसंधान एवं विकास का मुख्य केन्द्रबिंदु अनुप्रयुक्त अनुसंधान है। मूल अनुसंधान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, संस्थान के शैक्षणिक परिषद् एवं एथिक्स समिति जैसे पदधारित समितियों द्वारा परियोजनाओं के प्रस्तावों को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। परियोजना शैक्षणिक समिति को प्रस्तुत करने से पहले, प्राथमिक तौर पर विभागीय स्तर तथा संकाय बैठक के स्तर पर चर्चा की जाती है। इसके बाद, सभी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को एथिक्स समिति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अभी तक, संस्थान ने स्वयं अपनी निधियों के परियोजनाओं के साथ साथ यु.एस.भारत रूपी फंड, यूनिसेफ, यु.एन.डी.पी.,आई.सी.एस.एस.आर. और एस.एण्ड टी. मिशन मोड के सहयोग से 66 अनुसंधान परियोजनाओं पर कार्य पूर्ण किया। पूरी की गई परियोजनाओं के परिणाम निम्नलिखित है।

क्र.	परिणाम	नंबर
1.	प्रकाशित पुस्तकें	48
2.	पैम्प्लेट / बुकलेट	24
3.	पोस्टर्स	16
4.	साफ्टवेयर सीडी	12
5.	स्क्रीनिंग टूल्स्	11
6.	रेडियो स्पॉट्स्	11
7.	सेवा नमूने	5
8.	वीडियो फिल्म	3

पूरी की गयी अनुसंधान परियोजनाएँ (1984-2016)

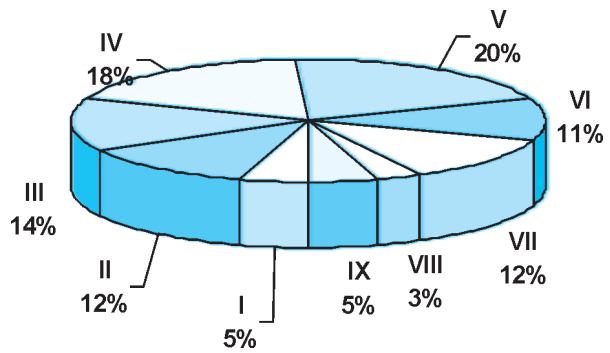

I – जागरूकता (3)
II – प्रारंभिक अंतराक्षेपण (8)
III – मनोविज्ञान (9)
IV – विशेष शिक्षा (12)
V – थेराप्युटिक्स (13)
VI – व्यावसायिक एवं स्वतंत्र जीवनयापन (7)
VII –समुदाय आधारित पुनर्वास (8)
VIII – सूचना एवं संप्रेषण तकनीक (3)
IX – प्रबंधन(3)
कुल परियोजनाएँ = 66

4.1 अनुसंधान परियोजनाएँ (2015-16)

वर्ष 2015-16 के दौरान, पाँच परियोजनाएँ चल रहीं हैं जिनमें से एक परियोजना युनिसेफ के सहयोग से चलाई जा रही है। अनुसंधान परियोजनाओं की स्थिति **तालिका 4** पर दर्शायी गई है।

4.1.2 चल रही परियोजनाओं का विवरण

1. क्लस्टर पर आधारित विस्थापन सेवा

क्लस्टर पर आधारित विस्थापन सेवा मानसिक मंद व्यक्ति व उनके अभिभावक / परिवार को समुदाय संसाधनों से संपर्क के योग्य बनाता है जो उनके पुनर्वास के लिए पहचाना गया और तैयार किया गया हो। अक्सर, बडे शहरों में सेवाएँ दी जाती हैं। इस एक तरफीय अभिगम का सामना करने के लिए, एक समुदाय अभिमुखीकरण की आवश्यकता है, ताकि अपने अपने जगहों पर समाज के कई लोगों को सेवाएँ उपलब्ध हो सके। इस उद्देश्य के मद्देनजर क्लस्टर आधारित विस्थापन सेवा का प्रस्ताव रखा गया है।

2. पोस्ट सेकेन्डरी व प्री वोकेशनल विद्यार्थियों में कार्य क्षमताओं के मूल्यांकन के लिए टूल किट विकसित करना।

मानसिक मंद बच्चों में कार्य क्षमताओं का मूल्यांकन एक व्यवस्थित ढंग से करने के लिए व्यापक टूल किट विकसित करना इस अध्ययन का उद्देश्य है। मूल्यांकन की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा उसे और समुचित बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्षेत्र में कार्यरत् शिक्षक टूल किट को आसानी से प्रयुक्त कर सकेंगे। प्रशिक्षणार्थियों को यह अपने मूल्यांकन किट तैयार करने में एक संदर्भ के रूप में काम आयेगा तथा टी.एल.एम. तैयारी में दिशा निर्देशक होगा। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य, (क) मानसिक मंदन से ग्रस्त सेकेन्डरी व प्री वोकेशनल विद्यार्थियों के लिए कार्य क्षमता चेकलिस्ट विकसित करना, (ख) कार्य मूल्यांकन के लिए टूल किट विकसित करना। इस परियोजना का परिणाम (1) कार्य क्षमता मूल्यांकन के लिए चेकलिस्ट, (2) एक व्यापक टूल किट, होगी।

3. भारतीय बौद्धिक परीक्षण का विकास

बौद्धिक मूल्यांकन के लिए भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त कई परीक्षण व साधन उपलब्ध हैं। इनमें से कई परीक्षण जटिल, एवं अधिक समय लेने वाले हैं और इसके लिए उच्चतर प्रशिक्षण प्राप्त विशेषज्ञों की आवश्यकता है। ऐसे विशेषज्ञों की हमारे देश में बहुत कमी है। अत: मानसिक मंद व्यक्ति सरकार द्वारा दी जाने वाली रियायतों या सामाजिक सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अत: इस अध्ययन का उद्देश्य भारतीय बौद्धिक परीक्षण का विकास करना है। ऐसे विकसित परीक्षण मानसिक मंदन से ग्रस्त व्यक्तियों के बौद्धात्मक स्तर के मूल्यांकन के लिये प्रयुक्त कर सकते हैं ताकि वे सरकारी रियायतें व सुविधाओं का लाभ उठा सकें। इस परीक्षण के द्वारा एक व्यक्ति की ताकत और कमजोरी के आधार पर अंतराक्षेपण कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है।

4. बौद्धात्मक अक्षमता वाले व्यक्तियों को लैंगिक शिक्षा- अभिभावक, देखभालकर्ता एवं आई.डी. व्यक्तियों के लिए अनुदेशात्मक पुस्तिका

बौद्धिक अक्षम व्यक्ति भी यौन प्राणी हैं जिन्हें प्राकृतिक लिंग एवं लैंगिक विकास में सही ज्ञान और कुशलताओं में सहायता द्वारा उन्हें साधीकृत बनाना आवश्यक है ताकि वे लैंगिक पीडा एवं शोषण से बचकर रह सकें। बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के अभिभावकों, देखरेखकर्ताओं, शिक्षकों एवं बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को इस विषय पर शिक्षा देने के लिए सरल सूचना का अभाव है। बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए लैंगिक शिक्षा पर अनुदेशात्मक पुस्तिका तैयार करना इस परियोजना का उद्देश्य है।

इस परियोजना के अपेक्षित निष्कर्ष है -

1) आवश्यकता विश्लेशण के लिए तीन मूल्यांकन चेकलिस्ट

2) अभिभावकों, देखरेखकर्ताओं तथा बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए अनुदेशात्मक मैनुअल

3) अभिभावक व देखरेखकर्ता कार्यशाला का दो खंडों में माड्युल

5. पडोसी सहायक पद्धति पर सेवा प्राप्तकर्ताओं द्वारा सामाजिक पूँजी प्रयुक्त पद्धति - सेवा प्राप्तकर्ताओं का उत्तर

व्यक्तियों एवं परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुदाय एक मूल इकाई है जो जटिल पद्धति है और सामाजिक संबंध एवं आर्थिक क्रियाकलापों से परस्पर जुडी हुई होती है। मानसिक मंद व्यक्तियों को साधारण समवर्ग वाले व्यक्तियों की तुलना में सामाजिक कौशलों को प्राप्त करने में कम अवसर मिलते हैं। इस परिस्थिति में सामाजिक कौशलों की कमी के साथ साथ मानसिक मंदन की स्थिति भी जुड जाती है। इन विषयों की सीमाओं के मद्देनजर, सामाजिक पूँजी को सर्वोत्तम प्रयुक्त करने के लिए सेवा प्राप्तकर्ताओं की आवश्यकताओं को निपटाने के लिए सेवाकर्ताओं को तैयार करने के लिए यह अध्ययन किया जा रहा है। सेवा प्राप्तकर्ताओं के पडोसी सहायक पद्धति के संबंध में सामाजिक पूँजी के लाभ के बारे में अध्ययन करना वर्तमान अनुसंधान का उद्देश्य है।

4.1.2.2 अन्य संगठनों के सहयोग से चल रही परियोजनाएँ (1)

6. प्रारंभिक बाल्यावस्था सम्मिलित शिक्षा के लिए पाठशाला तत्परता पैकेज

'आरंभ' प्रारंभिक बाल्यावस्था सम्मिलित शिक्षा के लिए एक पाठशाला तत्पर पैकेज है जो राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद के सहयोग से युनिसेफ, हैदराबाद (आँध्रप्रदेश, तेलंगाना तथा कर्नाटक के कार्यालय) द्वारा वित्तपोषित है। आरंभ -। पैकेज (प्रथम संस्करण 2000) के प्रयोगकर्ताओं से पुनर्निवेश प्राप्त करके मौजूदा आरंभ-। (प्री-स्कूल) पैकेज की समीक्षा करना तथा अद्यतन करना तथा हिन्दी, तेलुगु, कन्नड एवं उर्दू भाषाओं में अनुवाद करना इस परियोजना का उद्देश्य है। प्रीस्कूल से पहली कक्षा को निर्बाध आंतरण पर यह पैकेज जोर देता है। अत: यु.के.जी. से पहली कक्षा को आंतरण करने के लिए आरंभ- के विस्तारण के रूप में अंग्रेजी, गणित विषयों पर अनुकूल पुस्तिकाओं को तैयार करके शैक्षणिक तत्परता पैकेज विकसित करना इस परियोजना का उद्देश्य है। हस्तपुस्तिकाओं का उद्देश्य प्रारंभिक साक्षरता एवं गणित कुशलताओं की पद्धत्तियों का सरलीकरण करना है। प्री प्राईमरी तथा कक्षा एक पाठचर्या विषय सूची के बीच की खाई को पाटने के लिए, विभिन्न विकलांगताएँ जैसे दृष्टि, श्रवण तथा लोको मोटर व विकासात्मक विलम्ब वाले बच्चों की आवश्यकताओं के अनुकूल योग्य बनाने में मदद करते हैं जो आरंभ में शामिल कर चुके हैं।

तालिका 4: अनुसंधान परियोजनाओं की स्थिति(2015-16)

क्र.	परियोजना का नाम	प्रधान अन्वेषक/ सह अन्वेषत	प्रारंभ वर्ष	पूरा करने के लिए प्रस्तावित समय	बजटीय लागत (रु.)	व्यय (रु.)	खर्च किया गया अधिक राशि, (यदि कोई हो तो)	लिया गया अधिक समय, (यदि कोई हो तो)	टिप्पणी
1.	क्लस्टर पर आधारित विस्थापन सेवा	श्री बी.अशोक एवं श्री के.रवीन्दर	अक्तूबर 2010	अक्तूबर 2013 (36 महीने की अवधि) परियोजना कर्मचारी की नियुक्ति तिथि से 13 महीनों में	रु.13,04,000/- (संशोधित बजट रु.23,19,200/-)	रु.3,03,210	शून्य	हाँ	- 36 महीनों में से 23 महीने तक परियोजना चलाई गई। अनुसंधान कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण परियोजना जारी नहीं की गई। - परियोजना पूरा करने के लिए स्टाफ की नियुक्ति हेतु 13 महीनों की अधिक अवधि हेतु जुलाई 2015 में कार्यकारिणी परिषद् की मंजूरी ली गई।
2.	पोस्ट सेकेन्डरी व प्री वोकेशनल विद्यार्थियों में कार्य क्षमताओं के मूल्यांकन के लिए टूल किट विकसित करना।	डॉ.निबेदिता पट्नायक एवं श्री बी.अशोक	दिसम्बर 2011	दिसम्बर 2012 (12 महीने की अवधि) फरवरी 2017 (संशोधित)	रु.2,25,000 (संशोधित बजट रु.2,84,800/-) मार्च 2016 में मंत्रालय के आर एण्ड डी योजना के अंतर्गत रु.1,57,000 के लिए अनुमोदन लिया गया।	रु.76,589	शून्य	हाँ	- परियोजना का 12 महीनों में से 5 महीने तक क्रियान्वित किया गया। - परियोजना पूरा करने के लिए 7 महीने की अधिक अवधि के लिए स्टाफ की नियुक्ति हेतु कार्यकारिणी परिषद् की मंजूरी जुलाई 2015 में ली गई।
3.	भारतीय बौद्धिक परीक्षण का विकास	डॉ.बीनापानी महापात्र एवं डॉ.जी.श्रीकृष्ण	दिसम्बर 2011	दिसम्बर 2013 (24 महीने की अवधि) नवम्बर 2017 (संशोधित)	रु.55,44,000 (संशोधित बजट रु.66,08,800) मार्च 2016 में मंत्रालय के आर एण्ड डी योजना के अंतर्गत रु.40,00,000 के लिए अनुमोदन लिया गया।	रु.2,63,975	शून्य	हाँ	- परियोजना का 24 महीनों में से 6 महीने तक क्रियान्वित किया गया। अनुसंधान स्टाफ की अनुपलब्धता के कारण परियोजना नहीं चलाया गया। - परियोजना पूरा करने के लिए 18 महीने की अधिक अवधि के लिए स्टाफ की नियुक्ति हेतु कार्यकारिणी परिषद् की मंजूरी जुलाई 2015 में ली गई।

तालिका 4: अनुसंधान परियोजनाओं की स्थिति(2015-16)

क्र.	परियोजना का नाम	प्रधान अन्वेषक/ सह अन्वेषत	प्रारंभ वर्ष	पूरा करने के लिए प्रस्तावित समय	बजटीय लागत (रु.)	व्यय (रु.)	खर्च किया गया अधिक राशि, (यदि कोई हो तो)	लिया गया अधिक समय, (यदि कोई हो तो)	टिप्पणी
4.	बौद्धात्मक अक्षमता वाले व्यक्तियों को लैंगिक शिक्षा अभिभावक, देखभालकर्ता एवं आई.डी.व्यक्तियों के लिए अनुदेशात्मक पुस्तिका-	श्रीमति वी.आर.पी. शैलजा राव	फरवरी 2014	फरवरी 2017 (36 महीने की अवधि) परियोजना स्टाफ की नियुक्ति से 36 महीने	रु.41,92,000 मार्च 2016 में मंत्रालय के आर एण्ड डी योजना के अंतर्गत रु.20 लाख के लिए अनुमोदन लिया गया।	शून्य	शून्य	शून्य	- शैक्षणिक समिति द्वारा फरवरी 2014 में अनुमोदन दिया गया। - परियोजना की गतिविधियाँ अभी आरंभ करना है। -रीसर्च स्टाफ का एम्पैनेलमेंट करना है।
5.	प्रारंभिक बाल्यावस्था सम्मिलित शिक्षा के लिए पाठशाला तत्परता पैकेज (युनिसेफ द्वारा वित्तपोषित परियोजना)	श्रीमति वी.आर. पी.शैलजा राव	जुलाई 2014	अक्तूबर 2015	रु.35,08,060	रु.17,85,860	शून्य	हाँ	- क्षेत्र कार्य पूरा किया गया। पैकेज विकास करने का कार्य प्रगति पर है।
6.	पडोसी सहायता पद्धति पर सेवा प्राप्तकर्ताओं द्वारा सामाजिक पूँजी प्रयुक्त पद्धति - सेवा प्राप्तकर्ताओं का उत्तर	श्री बी.अशोक एवं श्री के.रवीन्दर	फरवरी 2014	फरवरी 2016 अवधि 24 महीने	रु.39,02,000/-	शून्य	शून्य	हाँ	- शैक्षणिक समिति द्वारा फरवरी 2014 में अनुमोदन दिया गया। - परियोजना की गतिविधियाँ अभी आरंभ करना है। -रीसर्च स्टाफ का एम्पैनेलमेंट करना है।

4.2 शोध प्रकाशन

एन.आई.ई.पी.आई.डी. के संकाय सदस्यों द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान प्रकाशित अनुसंधान पेपर्स का विवरण **तालिका 5** में प्रस्तुत है।

तालिका 5: एन.आई.ई.पी.आई.डी.के संकाय सदस्यों/स्टाफ द्वारा प्रकाशित किये गये लेख

क्र.	पेपर का शीर्षक	जर्नल / प्रकाशक	प्रकाशन वर्ष	लेखक का नाम
1.	इफेक्ट ऑफ वीडिय-बेस्ड इन्टरवेंशन ऑन स्कील्स रिलेटेड टु बेसिक सेक्सुवालिटी एमाँग एडॉलसेन्ट गल्स् विथ इन्टलेक्चुवल डिसेबिलिटी	इन्टरनेशनल रीसर्च जर्नल ऑफ ह्युमैनिटीज़ एण्ड एन्विरॉनमेंटल इशुस	जुलाई 2015	डॉ.निबेदिता पट्नायक एवं सुश्री स्वरूप
2	पेरेन्ट्स् एक्स्पेक्टेशन्स फ्राम रीहैबिलिटेशन सर्वीसेस फॉर देयर चिल्ड्रन विथ सेरेब्रल पाल्सी : ए रेट्रास्पेक्टिव स्टडी	इंडियन जर्नल ऑफ सेरेब्रल पालसी	वाल्युम.1, इशु 2, जुलाई-दिसम्बर 2015	शेशगिरि राव जोशि, जी.श्रीकृष्ण, बीनापानी महापात्र
3	पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विथ इंटलेक्चुवल डिसबिलिटीज़ इन रिक्रियेशन एण्ड लीजर एक्टिविटीज़	इन्टरनेशनल मल्टी डिसिप्लिनरी रीसर्च जर्नल	वाल्युम.4(2), 2016	डॉ.पद्मावती के, तथा महेशकुमार चौधरी

4.3 संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशालाएँ

वर्ष के दौरान संस्थान के संकाय सदस्यों ने विभिन्न वैज्ञानिक अधिवेशन/ कार्यशालाओं/ संगोष्ठियों का संचालन किया / में भाग लिया। विवरण **तालिका 6** में दर्शाया गया है।

तालिका 6: एन.आई.ई.पी.आई.डी. के संकाय सदस्यों द्वारा संगोष्ठियों/सम्मेलनों/ कार्यशालाओं मे सहभागिता

क्र.	संकाय सदस्य का नाम	कार्यक्रम का शीर्षक	आयोजक	दिनांक	स्थान
1.	डॉ.बीनापानी महापात्र	इशुस ऑफ विमेन, चिल्ड्रन, डेसेबल्ड एण्ड सीनियर सिटिजन्स्	महिला, शिशु, विकलांग व वरिष्ठ नागरिक विभाग, तेलंगाना सरकार	25.8.2015	ग्रीन पार्क, बेगमपेट हैदराबाद
2.	डॉ.बीनापानी महापात्र	मन के मीत की एक्सपीरियेन्सेस् फ्राम दि एक्स्पर्ट्स् इन दि मेंटल हेल्थ सेक्टर	इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, हैदराबाद	19.8.2015	माधापुर, हैदराबाद, तेलंगाना
3.	डॉ.पद्मावती कोल्ली	विकलांगजन के अधिकारी, अभीभावक क्षेत्रीय बैठक, वरंगल	परिवार-भारत	19 व 20 सितम्बर, 2015	वरंगल
4.	डॉ.पद्मावती कोल्ली	कॉफरेंस ऑन एडैप्टिव गेम्स् एण्ड लीज़र टाईम एक्टिविटीज़ फार पर्सन्स् विथ इन्टलेक्चुवल डिसेबिलिटीज़	एन.आई.ई.पी.एम. डी., दिल्ली	20-30 जनवरी, 2015	दिल्ली

5.	श्रीमति जान्हवी ए.वर्रा, श्री राजेन्दर सिंह एवं श्री मुकेश मनोचा	इन्क्लूजिव एण्ड एक्सिसबल इंडेक्स एक्सेसबल इंडिया अभियान के भाग के रूप में	एमओएसजेई, नई दिल्ली	30.3.2016	विज्ञान भवन, नई दिल्ली
6.	डॉ.मौसमी भौमिक	ओरियेन्टेशन वर्कशाप ऑन इन्क्लूजिव एजुकेशन फार प्रिन्सीपल्स्	डी.आई.ई.टी., नई दिल्ली	5.8.2015	डी.आई.ई.टी. सेक 7,आर.के. पुरम, नई दिल्ली
7.	डॉ.मौसमी भौमिक	ओरियेन्टेशन वर्कशाप ऑन इन्क्लूजिव एजुकेशन फार प्रिन्सीपल्स्	डी.आई.ई.टी., नई दिल्ली	20.8.2015 एवं 31.8.2015	सर्वोदया बाल विद्यालय, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
8.	डॉ.अमृता सहाय	चाईल्हुड डिसॉर्डर्स एण्ड काउनसेलिंग स्कील्स्	साईकोलॉजिकल अकादमिक व लर्निंग सर्वीसेस्, राजौरी, नई दिल्ली	30.8.2015	साईकोलॉजिकल अकादमिक व लर्निंग सर्वीसेस्, राजौरी, नई दिल्ली
9.	डॉ.अमृता सहाय	वर्कशॉप ऑन इन्क्लूजिव एजुकेशन	एआरआरएपी, नई दिल्ली	18.10.2015	ब्लाइंड रिलीफ एशोसियेशन नई दिल्ली

एन.आई.ई.पी.आई.डी. मुख्यालय में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक

अध्याय-5

एन.आई.ई.पी.आई.डी. के प्रकाशन

5.1 प्रकाशन

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने आरंभ से ही अपने नैदानिक तथा अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों के परिणामों को, पुस्तकें, वीडियो फिल्में और सी.डी के रूप में प्रकाशित करने की प्रथा को कायम रखा। इसके अलावा, प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त सूचना को इकट्ठा कर पैम्प्लेट व लीफलेट के रूप में प्रकाशित किया।

*दिनांक 31 मार्च, 2016 तक मौलिक प्रकाशनों की कुल संख्या 98 थी।

5.2 प्रकाशनों का वितरण

संस्थान द्वारा प्रकाशित विभिन्न पुस्तकें व अन्य सामग्री के लिए कई स्रोतों से निवेदन मिलते हैं। इस सामग्री को नाममात्र शुल्क लेकर वितरित किया जाता हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान एन.आई.ई.पी.आई.डी. के प्रकाशनों का वितरण **तालिका 7** में दिया गया है एवं **रेखाचित्र-1** में दर्शाया गया है।

तालिका 7: एन.आई.ई.पी.आई.डी के प्रकाशनो का वितरण

क्र.सं.	शीर्षक	2014-15	2015-16
1.	प्रकाशन (98 शीर्ष)	15,928	20,184
2.	विडियो फिल्म (वीएचएस/सीडी फारमेट)	184	338
3.	साफ्टवेयर प्रोग्राम	42	212

रेखाचित्र-1: एन.आई.ई.पी.आई.डी के प्रकाशन का वितरण

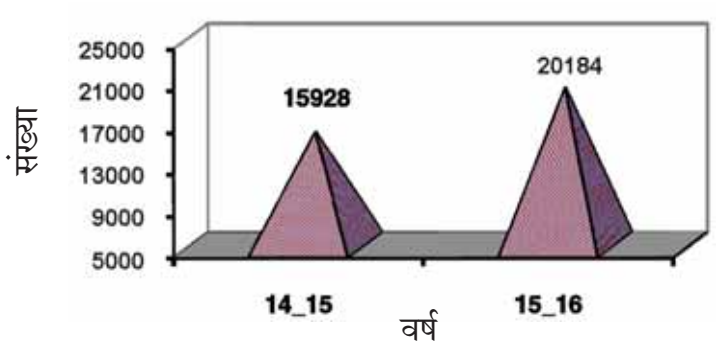

5.3 एन.आई.ई.पी.आई.डी. प्रकाशनों का डिजिटीकरण

संस्थान के प्रकाशनों को एनआई.ई.पी.आई.डी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है ताकि सभी उपयोगकर्ता उसका लाभ उठा सके।

अध्याय-6

सेवा प्रतिमान

6.1 सेवा नमूने

मानासिक मंद व्यक्तियों को कई तरह की सेवाओं की आवश्यकता होती है जिससे कि, वे कार्यात्मक रूप से स्वतंत्र हों और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान मानसिक मंद -व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएँ प्रदान करता है। मानसिक मंद से ग्रस्त व्यक्तियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के समुचित सेवा नमूनों का समावेश करते हुए वैयक्तिक अभिगम का प्रयोग कराना सामान्य बात है।

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने नवजात शिशु, बच्चों, युवकों एवं प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए जीवन चक्र के दृष्टिकोण के आधार पर अपनी विस्तृत सेवाओं को विकसित किया।

- आरंभ में ही विकलांगताओं की पहचान, प्रारंभिक अंतराक्षेपण तथा विकलांगता की रोकथाम
- विकासात्मक विलम्बों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने तथा बच्चे के विकास में तेज़ी लाना
- विद्यालय पूर्व शिक्षा
- विशेष शिक्षा कार्यक्रम
- पेशेवर प्रशिक्षण तथा नौकरी पर लगाना
- स्वतंत्र जीवनयापन के कौशल

'मनोरंजनम' में गंभीर तथा अति गंभीर मानसिक मंद व्यक्तियों की सेवाओं के लिए केन्द्रित हैं एवं बहु विकलांग बच्चों के लिए बहु संवेदी इकाई है जहाँ बहु विकलांग बच्चों को गहन संवेदी उत्तेजना प्रदान की जाती है।

6.2 सामान्य सेवाएँ

केस वृत्तांत लेने, शारीरिक तथा चिकित्सीय परीक्षण, बौध्दिक तथा विकासात्मक मूल्यांकन, विशेष शिक्षा मूल्यांकन, चिकित्सापरक आवश्यकताओं का मूल्यांकन, व्यावसायिक मूल्यांकन तथा मूल बायोकेमिकल जाँच पडताल तथा परीक्षण जैसी सेवाएँ संस्थान प्रदान करता है। विस्तृत मूल्यांकन के उपरांत, प्रबंधन योजना तथा हस्तक्षेप पैकेजों का विकास किया जाता है। बच्चे की प्राकृतिक स्थिति तथा उसके कार्यात्मक स्तर के बारे में भावनात्मक समर्थन देते हुए अभिभावकों को परामर्श दिया जाता है। अपने बच्चे के प्रबंधन व पुनर्वास हेतु अभिभावकों को गृह आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा प्रदर्शन दिया जाता है। वर्ष 2015-16 के दौरान 10,007 क्लाइंटों को राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के मुख्यालय,सिकंदराबाद तथा क्षेत्रीय केंद्र नई दिल्ली/ नोएडा, कोलकाता तथा नवी मुम्बई में देखा गया। वर्ष 2015-16 के दौरान परीक्षण किये गये क्लाइंटों का विवरण **तालिका 8** एवं **रेखाचित्र 2** दर्शाया गया है।

रेखाचित्र 2: नए क्लाइंटों का पंजीकरण

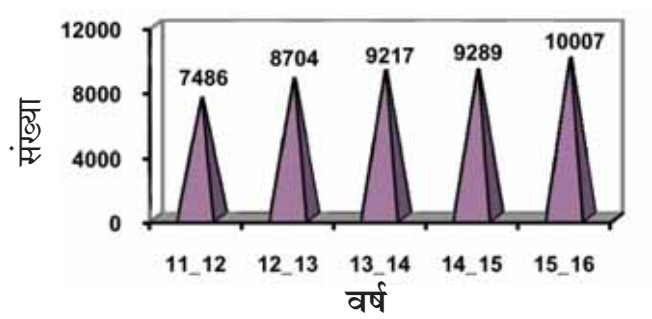

नए क्लाइंटों का पंजीकरण

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2014-15	9200	9289
2015-16	9476	10007

तालिका 8: वर्ष 2015-16 के दौरान नए क्लाईंटों को प्रदान की गई सेवाएँ

क्र.	क्रियाकलाप	2014-15 (N=9289)		2015-16 (N=10007)	
		संख्या	%	संख्या	%
1.	सामान्य सेवाएँ	9289	100.0	10007	100.0
2.	चिकित्सा/मनश्चिकत्सा	5535	59.6	5220	52.2
3.	ईआईएस/पेडियाट्रीक्स्	1549	16.7	1380	13.8
4.	फिजियोथेरपी	2936	31.6	3405	34.0
5.	बायोकेमिस्ट्री	2028	21.8	2166	21.6
6.	स्पीच थिरेपी	1263	13.6	997	10.0
7	ईईजी	29	0.3	0	0.0
8.	बहुविध अक्षमता	1031	11.1	904	9.0
9.	पोषण	227	2.4	262	2.6
10.	हाईड्रोथिरेपी	57	0.6	36	0.4
11.	विशेष शिक्षा	6466	69.6	7419	74.1
12	पीएमआर	28	0.3	27	0.3
13.	आटिज्म/एल.डी	358	3.9	320	3.2
14.	मल्टी सेन्सरी / बहुसंवेदी	259	2.8	242	2.4
15.	कम्प्यूटर सहायक अनुदेशक	21	0.2	80	0.8
16.	समूह क्रियाकलाप	96	1.0	81	0.8
17.	मोबाईल/एचबीटी	338	3.6	274	2.7
18.	मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन	8509	91.6	9044	90.4
19.	व्यवहार परिवर्तन	3478	37.4	2831	28.3
20.	अभिभावक परामर्श	8477	91.3	9500	94.9
21.	व्यावसायिक मूल्यांकन, मार्गदर्शन व परामर्श	552	5.9	734	7.3
22.	व्यावसायिक मार्गदर्शन व सूचना	124	1.3	401	4.0
23.	कार्यस्थल (वी.टी.)	140	1.5	180	1.8
24.	आक्युपेशनल थिरेपी	2480	26.7	2681	26.8
25.	रिसोर्स रुम	248	2.7	225	2.2
26.	परिवार कुटीर	137	1.5	115	1.1
27.	आर्थोपेडिक्स	105	1.1	198	2.0
28.	होमियोपथी	1166	12.6	1635	16.3
29.	राहत देखभाल केन्द्र	401	4.3	209	2.1
30.	अन्य	681	7.3	700	7.0

6.3 विशेष सेवाएँ

घर पर प्रबंध योजना विकसित करने के द्वारा गृह आधारित प्रशिक्षण के कार्यक्रम की ओर विशेष सेवाएँ लक्षित हैं। बाहर के स्थानों से आने वाले लोगों के लिए परिवार कुटीर की सुविधा उपलब्ध है। जहाँ कहीं आवश्यक हो, वहाँ सेवाएँ प्राप्त करने के लिए मरीजों को स्थानीय संस्थानों में परीक्षण कराने समुचित संदर्भ पत्र जारी किये जाते हैं जबकि, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में आवधिक परामर्श जारी रहता है। विशेष सेवाओं का सीधे प्रशिक्षण, फोल्डर व पोस्टरों की आपूर्ति तथा नाममात्र की कीमत पर पुस्तकों की आपूर्ति के द्वारा अभिभावकों तथा परिवार के अन्य सदस्यों की सूचना एवं मार्गदर्शन हेतु प्रदर्शित किया जाता है। आवधिक अंतरालों में अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। इस वर्ष के दौरान 41,942 फालो अप क्लाईंटों को सेवाएँ प्रदान की गईं और इन फॉलो अप क्लाईंटों को 1,00,319 विशेष सेवाएँ प्रदान की गई, विवरण **तालिका 9** में दर्शाया गया है।

अनुवर्ती क्लाईंटों को प्रदान किये गये विशेष सेवाओं की संख्या

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2014-15	1,15,000	97,762
2015-16	1,18,450	1,00,319

तालिका 9: वर्ष 2015-16 मे अनुवर्ती विशेष सेवाओं में देखे गए क्लाईंटों की संख्या

क्र.	सेवा क्रियाकलाप	2014-15 (N=36753)		2015-16 (N=41942)	
		संख्या	%	संख्या	%
1	मेडिकल / साइकियाट्री	16467	44.8	17190	41.0
2	प्रारंभिक अंतराक्षेपण सेवाएँ/बाल चिकित्सा	12591	34.3	10428	24.9
3	शारीरिक चिकि त्सा	4272	11.6	5227	12.5
4	वाणी चिकित्सा	1802	4.9	1785	4.3
5	बहुविध अक्षमता	2484	6.8	1558	3.7
6	हाईड्रोथिरेपी	105	0.3	76	0.2
7	विशेष शिक्षा	7944	21.6	8715	20.8
8	पी.एम.आर.	726	2.0	860	2.1
9	आटीजम तथा मानसिक मंदन	1738	4.7	2331	5.6
10	बहु संवेदी	1577	4.3	881	2.1
11	कम्प्यूटर सहायक अनुदेशन परियोजना	1479	4.0	2490	5.9
12	समूह क्रियाकलाप	3732	10.2	4382	10.4
13	मोबाईल/एच.बी.टी.	1512	4.1	2598	6.2
14	योग	201	0.5	470	1.1
15	मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन	4380	11.9	4107	9.8
16	व्यवहार परिवर्तन	6557	17.8	4823	11.5
17	अभिभावक परामर्श	7087	19.3	8414	20.1
18	व्यावसायिक मूल्यांकन एवं परामर्श	7	0.02	296	0.7

19	व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं सूचना सेवाएँ (वीजीआईएस)	--	--	226	0.5
20	वर्कस्टेशन (वी.टी.)	15665	42.6	14891	35.5
21	आक्युपेशनल थिरेपी	4265	11.6	4349	10.4
22	रिसोर्स रूम	1284	3.5	1076	2.6
23	परिवार कुटीर	531	1.4	466	1.1
23.	होमियोपथी	740	2.0	2009	4.8
24.	अन्य	616	1.7	671	1.6
	योग	97,762	--	1,00,319	--

6.3.1 आयुर्विज्ञान / डॉक्टरी सेवाएँ

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में पंजीकृत रोगियों के मामले सामान्य स्वास्थ्य मूल्यांकन और रोग विषयक निदान के उद्देश्य के लिए चिकित्सालयीन परीक्षण के साथ रोगी के व्यक्तिवृत्तांत लिये जाते हैं। डाक्टरी प्रबंधन व्यक्तिगत और आवश्यकता आधारित होता है तथा इसमें मिरगी, अति-गत्यात्मक बर्ताव, पौष्टिकता की कमियाँ, संक्रमण, हार्मोन संबंधी कमियाँ, मानसिक रोग जैसी सहसंबध्द स्थितियों के बारे में सूचना देना और इलाज करना शामिल है। मिरगी, अति गत्यात्मक बर्ताव और मानसिक रोग की औषधियाँ कम-आयवाले परिवारों के मरीजों को मुफ्त दी जाती हैं। न्यूरोलॉजी, आर्थोपेडिक, एन्डोक्रैनॉलोजी तथा पीडियाट्रिक संबंधी सेवाओं के लिए अन्य स्रोतों का प्रबंध किया गया है। आवश्यकतानुसार समुचित संदर्भ दिये जाते हैं।

6.3.2 प्रारंभिक अंतराक्षेपण सेवाएँ

प्रारंभिक अंतराक्षेपण सेवाएँ 0-3 वर्ष की आयु के ऐसे बच्चों को दी जाती हैं, जो जोखिम भरे और विकासात्मक विलंबों की समस्या से जूझते रहते हैं। ये सेवाएँ रोकथाम, रेमिडियेशन और इन बच्चों के इलाज और सर्वतोमुखी विकास पर ध्यान देती हैं। ये सेवाएँ बाल-केंद्रित और परिवार-उन्मुख होती हैं तथा बहुक्षेत्रीय रोग विशेषज्ञों के दल द्वारा प्रदान की जाती हैं। फिजियोथिरेपी, व्यावसायिक चिकित्सा, वाणी और भाषा चिकित्सा, बाल-विकास, बाल-विशेषज्ञ और मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और परिवार मध्यस्थता जैसी विशिष्टताओं से भरे इलाज इन बच्चों को मिलते है। प्रारंभिक अंतराक्षेपण सेवाओ में, अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामूहिक चिकित्सा,खेल-चिकित्सा, वैयक्तिक मार्गदर्शन और परामर्श जैसी सेवाएँ भी प्रदान की जाती हैं।

6.3.3 भौतिक चिकित्सा सेवाएँ

यह एकक मानसिक मंदन के साथ-साथ प्रेरक मोटर समस्याओं जैसे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, असामान्य प्रेरक प्रवृत्तियाँ, चलने-फिरने में असमर्थताएँ, संचलन की सामान्यताएँ, जन्मजात असामान्यताओं आदि से पीडित लोगों को आवश्यक सेवाएँ प्रदान करता है। चिकित्सीय मध्यस्थताएँ सारग्राही की प्रवृत्ति के होते हैं जिनमें व्यायाम, जल-चिकित्सा, भंगिमाओं और संचालन असमर्थताओं को सुधारने, चाल प्रशिक्षण और समग्र विकास में वृध्दि, सम्मिलित हैं।

6.3.4 बायोकेमिस्ट्री सेवाएँ

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में डाक्टरी सेवाओं को सहारा देती बायोकेमिस्ट्री प्रयोगशाला है जो बायोकेमिकल अन्वेषण(काया रूपांतरण-स्क्रीनिंग), असामान्यताएँ एमिनोएसिडोपैथीस, ग्लायकोजेन स्टोरेज और म्यूको-पोलिसकरिडोसेज आदि जैसी मानसिक मंदन से संबंधित काया-रूपांतरण या बायोकेमिकल संबंधी असामान्यताओं की पहचान करती है तथा यहाँ सामान्य स्वास्थ्य या शारीरिक स्थिति की जाँच करने नेमी बायोकेमिकल परीक्षण भी किये जाते हैं। इससे रोग-निदान, इलाज, परामर्श और मानिटरिंग में सहायता मिलती है।

6.3.5 वाणी चिकित्सा और श्रवण चिकित्सा सेवाएँ

वाणी और भाषा का विलंबित विकास मानसिक मंदन के प्रमुख लक्षणों में से एक है। अधिकांश बच्चों में श्रवण संबंधी विभिन्न दोष पाए जाते हैं। ऐसे क्लाईंटों को सेवाओं की आवश्यकता की विस्तृत निर्धारण किया जाता है। बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार वाणी और भाषा मध्यस्थता पैकेज विकसित किया जाता है। अभिभावकों को मार्गदर्शन दिया जाता है कि वे व्यावसायिकों की सलाह के अनुसार घर पर ही अंतराक्षेपण करें।

6.3.6 इलेक्ट्रोमाइलोग्राफी (ईएमजी)

इलेक्ट्रोमाइलोग्राफी तंत्रिका अंत: शक्ति में एलेक्ट्रिकल परिवर्तनों को रिकार्ड करती है। यह मानसिक मंदन से ग्रस्त व्यक्तियों के संवेदी और प्रेरक तंत्रिका की स्थिति के क्रियात्मकता के बारे में सूचना प्रदान करती है। यह परावर्ती तंत्र के बारे में जानकारी हासिल करने में मदद देती है कि क्या तंत्रिकाएँ, रीढ़ की हडडी, मस्तिष्क बाधित हैं जिसके आधार पर आगे के कार्यक्रम की योजना बनायी जा सकती है और जब एक बार तंत्रिका संवेदन, माँसपेशियों की क्रियाशीलता और जोड़ों के हलचल की पहचान हो जाए तो तंत्रिकाओं की क्रियात्मकता की प्रेरणा के द्वारा इलाज किया जा सकता है । यदि तंत्रिकाओं में संवेदनहीनता और संवेदनशीलता की कमी हो तो संवेदन प्रक्रिया को बार-बार दुहराने से संवेदन पुन: प्राप्त हो जाता है। यदि रीढ़ स्तरों पर प्रेरक तंत्रिका को क्षति पहुँची हो, तो परावर्ती प्रक्रिया को दोहराते रहने से माँसपेशी सिकुड़न को बढ़ाया जा सकता है और इस प्रकार बारंबार माँसपेशी सिकुड़ माँसपेशी शक्ति को विकसित करती है, जिससे जोड़ों की स्थिरता विकसित करने में सहायता मिलेगी।

6.3.7 इलेक्ट्रोएन्सीफैलोग्राम (ईईजी)

इलेक्ट्रोएन्सीफैलोग्राम (ईईजी) मौलिक क्रियाविधि है जिसे मस्तिष्क के क्रियाविज्ञान को समझने के लिए उपयोग में लाया जाता है । यह मस्तिष्क के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की संरचना और क्रियात्मकता में दिखायी देने वाले रोगात्मक परिवर्तनों की पहचान करने में सहायता देता है। इस क्रियाविधि का मुख्य लक्ष्य मिरगी के दौरों के प्रकारों और मिरगी के विभिन्न लक्षणों का रोग निरूपण करना है। मानसिक मंदन के लोगों के किसी भी प्रकार के न्यूरोलॉजिकल (तंत्रिका विज्ञान) अभावों के व्यापक रोग-नैदानिक कार्यकलाप की आवश्यक क्रियाविधि ईईजी है । ईईजी का उपयोग इलाज की प्रभावशालिता का मूल्यांकन या मानिटर करने के लिए भी होता है । मिरगी के रोग को मिटाने के लिए दवाइयाँ देने के प्रकार और अवधि का निर्धारण करने में ईईजी मदद देती है। मानसिक मंदन के लोगों में मिरगी का रोग (30%) अधिक होता है जबकि आम जनसंख्या में यह कम (1%) होता है।

6.3.8 बहु-अक्षमताओं से ग्रस्त लोगों के लिए सेवाएँ

मानसिक मंदन से ग्रस्त ऐसे बच्चे जो श्रवण-क्षति, दृष्टि क्षति और शारीरिक क्षति जैसी अतिरिक्त समस्याओं से पीड़ित हों तो इस सेवा में उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है । बहु-विषयक व्यावसायिकों का दल व्यापक सेवाएँ प्रदान करता है । आर्थोपेडिक सेवाओं के लिए सप्ताह में एक दिन विशेष क्लिनिक रहती है।

6.3.9 पोषण

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में सभी मामलों का मूल्यांकन उनकी पौष्टिक स्थिति के एन्थ्रोपोमैट्रिक मापनों (ऊँचाई और वज़न) के उपयोग द्वारा किया जाता है। कुपोषण की पहचान किये गये बच्चों को पौष्टिकता संबंधी सलाह दी जाती है।

6.3.10 जल-चिकित्सा (हाइड्रोथिरेपी) सेवाएँ

जल-चिकित्सा, मानसिक मंद व्यक्तियों और विशेषकर जोड़ों के दर्दों, सूजन, कडापन, माँसपेशी कमजोरी और मस्तिष्क संस्तंभन से पीड़ित लोगों के लिए लाभदायक इलाज का एकमात्र तरीका है। संस्थान, मानसिक मंदन से ग्रस्त और विभिन्न शारीरिक समस्याओं से पीड़ित लोगों को जल चिकित्सा की सेवाएँ प्रदान करता है।

6.3.11 विशेष शिक्षा सेवाएँ

मानसिक मंदन से ग्रस्त बच्चों का, विभिन्न कौशलों जैसे स्वयं सेवा कौशल, समग्र और उत्तम प्रेरक कौशल, क्रियात्मक पढ़ने-लिखने के कौशल, समय, धन और तत्संबंधी संज्ञानात्मक कौशलों में, क्रियात्मकता के चालू स्तरों का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन की सभी अवस्थाओं, वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम के आयोजन और आई.ई.पी. के पूरे कार्यान्वयन में अभिभावकों

को सम्मिलित किया जाता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में सीखने के लिए विभिन्न समुचित सहायता सामग्रियाँ और उपकरण उपयोग में लाये जाते हैं। कंप्यूटर से सहायता प्राप्त प्रशिक्षण माड्यूलों को भी उपयोग में लाया जाता है। जरूरत मंद विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को दी जानेवाली विशेष शिक्षा सेवाओं की कुशलता को और अधिक गतिशील बनाने के लिए कंप्यूटर से सहायता प्राप्त प्रशिक्षण माड्यूलों का उपयोग किया जाता है।

6.3.12 मनोरंजनम-अति गंभीर मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों के लिए संसाधनकक्ष

यद्यपि मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों के लिए इन वर्षों में सेवा कार्यक्रमों में बहुत वृध्दि हुई है, परंतु बहुत ही कम संगठन हैं जो गंभीर मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों को सेवाएँ प्रदान करते हैं। गंभीर मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों को अधिक विशिष्ट सेवाओं और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए कार्मिकों की जरूरत होती है, क्योंकि गंभीर मानसिक मंदन से ग्रस्त अधिकांश बच्चे कुछ शारीरिक अक्षमताओं से और कुछ मानसिक मंदन के अलावा मिरगी के रोग से पीडित होते हैं। फिर भी, अति गंभीर मानसिक मंदन से ग्रस्त बच्चों की शिक्षा पर किये गये अनुसंधान अध्ययन यह सूचित करते हैं कि प्रणालीबद्ध प्रशिक्षण दिया जाए तो गंभीर मानसिक मंद बच्चे भी कुछ हद तक किसी पर आश्रित रहे बिना मौलिक कौशल सीख लेने योग्य होते हैं। इसके मद्देनज़र अति गंभीर मानसिक मंद व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए संस्थान ने मनोरंजनम नामक एक संसाधन कक्ष आरंभ किया है। यह संस्थान के अनुसंधान परियोजना का एक नतीजा है।

6.3.13 आत्मविमोह और मानसिक मंदन

यह अनुमान लगाया गया है 75% आत्म-विमोह वाले व्यक्तियों में बौद्धिकता का स्तर कम होता है। मानसिक मंदन से ग्रस्त बच्चों के स्कूलों में मानसिक मंदन और आत्म-विमोह से ग्रस्त बच्चे पाये जाते हैं, यह आवश्यक है कि उन्हें समुचित शिक्षण सेवाएँ प्रदान की जाएँ। आत्मविमोह से ग्रस्त बच्चों के प्रबंधन में प्रशिक्षित कर्मचारियों को मानसिक मंदन एवं आत्मविमोह से ग्रस्त बच्चों को व्यक्तिगत तथा समूह अनुदेश प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया है। इसके अलावा वे नियमित स्कूलों और विशेष स्कूलों के टीचरों को परामर्श समर्थन प्रदान करते हैं।

6.3.14 मानसिक मंदन और संवेदी क्षति

मानसिक मंदन के साथ-साथ दृष्टि और/ या श्रवण दोष से ग्रस्त बच्चों को सामूहिक प्रशिक्षण के अलावा विशेष शिक्षा की भी आवश्यकता होती है। जब उनमें दृष्टि और श्रवण दोनों ही संवेदनों की अक्षमता होती है, उनके लिए प्रशिक्षण पध्दतियों और सामग्रियों के रूपांतरों की आवश्यकता होती है। इस बात को नजर में रखते हुए ही ऐसे बच्चों के लिए विशिष्ट सेवाएँ आरंभ की गयीं। ये बच्चे अपनी कक्षा में सीखने के अलावा प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा वैयक्तिक ध्यान पाते हैं। उनकी अनोखी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरणिक परिवर्तन / संशोधन किये जाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए संवेदी क्षति वाले मानसिक मंद बच्चों के लिए सेवाओं की आवश्यकताओं को देखते हुए राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने वाइस एंड विजन टास्कफोर्स के सहयोग से बधिरांध के लिए एक मैन्युअल विकसित किया है जो कि, शिक्षको / सेवा प्रदानकर्ताओं के लिए मार्गदर्शक के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा।

6.3.15 कम्प्यूटर-सहायक अनुदेश

कम्प्यूटर सहायक अनुदेश का उद्देश्य है मानसिक मंद बच्चों में सीखने के कौशल को बढ़ावा देना, साथ ही साथ बच्चों को कम्प्यूटर पर काम करने की तकनीक सिखाना जिससे कि, वे अवकाश कालीन क्रियाकलापों में साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर का प्रयोग करने में समर्थ हो सकें।

विशेष शिक्षा विभाग ने मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों के लिए 6 साफ्टवेयर पैकेज विकसित किये हैं। विशेष शिक्षा केन्द्र के विद्यार्थियों एवं प्रौढ़ स्वजीवन यापन विभाग के वयस्क मानसिक मंद व्यक्तियों को नियमित सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं ताकि, वे सीखने के लिए कम्प्युटरों का प्रयोग कर सकें। कम्प्युटर सहायक अनुदेश द्वारा प्राप्त बहुसंवेदी इनपुट बच्चों के ध्यान व प्रेरणा को बनाए रखने में मदद करता है, परिणामस्वरूप उनके सीखने की प्रक्रिया में तेज़ी होती है। मानसिक मंदन के साथ-साथ न्यूरोमोटर की समस्या से ग्रस्त होने पर उनके लिए अनुरूपणों सहित कंप्यूटर के साफ्टवेयर और हार्डवेयर पेरिफरल्स विकसित किये गये, जो उनके लिए सरल हैं।

6.3.16 सामूहिक क्रियाकलाप

सामान्य सेवाओं द्वारा संदर्भित किये गये मानसिक मंदन के बच्चों को उनके विशेष शिक्षा केन्द्र में नियमित प्रवेश पाने तक संस्थान सामूहिक सेवाएँ प्रदान करता है। ये सेवाएँ तीन प्रकार की आयु समूहों को दोपहर में प्रदान की जाती हैं।

6.3.17 मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में पंजीकृत सभी मामलों का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाता है जिसमें विकासात्मक मूल्यांकन, बौध्दिक मूल्यांकन तथा अनुकूली व्यवहार का मूल्यांकन शामिल हैं। मंदन के स्तर का निश्चयन करने के लिए विभिन्न परीक्षण किये जाते हैं। मूल्यांकन के आधार पर वैयक्तिक अंतराक्षेपण कार्यक्रम बनाया जाता है। शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए तथा सरकार द्वारा समय समय पर दी जाने वाले सुविधाओं एवं रियायतों का लाभ उठाने के लिए एवं विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट दी जाती है।

6.3.18 व्यवहार परिवर्तन सेवाएँ

मानसिक मंदन के साथ साथ समस्यात्मक व्यवहार जैसे, अवज्ञाकारी, सिर पीट लेना, स्वयं को दाँतों से काटलेना, अपने आप को घायल कर लेना, अत्यधिक रोना, आदि जैसी समस्या वाले मानसिक मंद व्यक्तियों को व्यवहार परिवर्तन सेवाएँ दी जाती हैं। व्यवहार समस्याओं की आवृत्ति और गंभीरता के विस्तृत मूल्यांकन के बाद, कार्यात्मक विश्लेषण द्वारा ऐसे व्यवहारों के कारणों का पता लगाया जाता है। तत्पश्चात्, उचित व्यवहारात्मक प्रबंधन कार्यक्रम तैयार किया जाता है और ऐसी समस्या पाये जाने पर उपयुक्त मध्यस्थता करने के अनुदेश अभिभावकों को दिये जाते हैं। प्रगति जानने के लिए नियमित अंतरालों में अनुवर्ती सेवाएँ दी जाती है। व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए, संस्थान ने पॉली फिजियोग्राफ (जिसे अक्सर लाई डिटेक्टर के नाम से जाना जाता है) ले लिया, जिससे बायोफीडबैक तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है जो कि विभिन्न केन्द्रीय तथा श्रवणीय तंत्रिकी क्रियाओं के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त होगा ओर इसे नियंत्रण में रखने के लिए चिकित्सा दी जा सकती है।

6.3.19 अभिभावक परामर्श सेवाएँ

मानसिक मंद बच्चा होने के कारण अभिभावकों के तनाव तथा अपराधी भावना को समझकर उन्हें भावनात्मक सहायता एवं तदनुभूती को समझकर अभिभावकों को परामर्श दिया जाता है। अभिभावकों द्वारा व्यक्त की गयी गलत फहमियों को दूर करने के साथ-साथ मानसिक मंदन की प्रकृति समझने और जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में बच्चे की जरूरतों को पूरा करने उन्हें मार्गदर्शन दिया जाता है। अभिभावकों की अपेक्षाओं के अनुरूप पारिवारिक व्यवस्था में बच्चे के संतोषजनक विकास को प्रोन्नत किया जाता है।

6.4 व्यावसायिक प्रशिक्षण

मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों के सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास को व्यावसायिक प्रशिक्षण और नौकरी दिलवाकर प्रोन्नत किया जाता है। मानसिक मंदन से ग्रस्त प्रौढ़ों को जातिगत (जेनेरिक) प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण और तत्पश्चात नौकरी-पर-प्रशिक्षण (आन-दि-जॉब) प्रशिक्षण दिया जाता है। ये आन-दि-जॉब क्लाईंटों के निवास स्थान/ समुदाय के अवसरों के आधार पर भिन्न-भिन्न होते हैं। क्लाईंट को अनुवर्ती (फालो-अप) समर्थन तब तक दिया जाता है जब तक कि वह नौकरी के स्थल पर स्वतंत्र रूप से काम न कर ले।

6.4.1 मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्य स्टेशन

मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों को विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए देश में लगभग 1000 संगठन हैं। ये संगठन 5-18 वर्ष की आयु के लोगों को शैक्षणिक सेवाएँ प्रदान करते हैं। स्कूल की पढ़ाई समाप्त करने के बाद व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसर तुलनात्मक रूप से कम ही हैं। वैसे, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कोई प्रणालीबद्ध और निर्धारित मानदंड उपलब्ध नहीं हैं। व्यावसायिक प्रक्रिया को सुधारने के लिए एन.आई.ई.पी.आई.डी. ने वर्कस्टेशनों की शुरुआत की ताकि मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों को चरणबध्द प्रशिक्षण मिले। मानसिक मंद लोगों के मूल्यांकन के बाद, एक प्रबंधकीय योजना बनायी जाती है, ताकि संज्ञानात्मक प्रेरक, संचार और सामाजिक क्रियाकलापों को प्रेरित कर उन्हें अलग-अलग वर्कस्टेशनों में रखा

जाए। आरंभ में वर्कस्टेशनों में मानसिक मंद व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के सेटिंग में काम करने के लिए दिये जाएँगे ताकि उनके कौशल और कार्य व्यवहार (जनरिक स्किल ट्रेनिंग) विकसित हों। जातिगत कौशल, विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण और स्वतंत्र कौशल में छः महीने की सफलतापूर्वक प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षार्थियों को खुला/ समर्थक /स्वयं समर्थक /आश्रित रोजगार में रखा जाता है। प्रशिक्षण के दौरान ही नौकरियों को पहचाना जाता है और अभिभावकों को अनुवर्ती कार्यवाही हेतु सूचित किया जाता है।

व्यावसायिक मूल्यांकन, मार्गदर्शन तथा परामर्श एवं कार्य स्थानों से संबंधित व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। संस्थान के प्रौढ स्वजीवन विभाग में कुल 227 प्रौढ मानसिक मंद व्यक्तियों ने इन सेवाओं का लाभ उठाया, लिंग-वार विवरण **तालिका 10** में दिये गये हैं।

तालिका 10 : डेयल में व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवाओं का लिंग वार-विवरण

लिंग	व्यावसायिक मूल्यांकन, मार्गदर्शन तथा परामर्श	व्यावसायिक प्रशिक्षण (कार्य स्थल)
पुरूष केसों की संख्या	96	73
महिला केसों की संख्या	29	29
कुल	**125**	**102**

व्यावसायिक प्रशिक्षण (स्वतंत्र कुशलता प्रशिक्षण) के तीसरी पारी में एन.आई.ई.पी.आई.डी. के विभिन्न विभागों में प्रशिक्षक क्लाईंटों को रोटेशन के आधार पर समर्थन सेवाओं के रूप में विभागीय आवश्यकताओं को बढ़ाने के लिए विस्थापित किया गया है। केस में कान्ट्रैक्ट स्टाफ द्वारा किये जाने वाले कार्य जैसे, सब्जी काटने में सहायता के लिए भी प्रशिक्षक क्लाइंटों को नियुक्त किया जाता है। इससे कान्ट्रैक्ट स्टाफ को अन्य मुख्य कार्यों में लगाया जा सकता है जबकि प्रशिक्षक क्लाइंटों को एक विशेष कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने का प्रशिक्षण मिलता है।

विभाग में पंजीकृत सभी क्लाईंटों को स्थान देने के लिए, जेनेरिक स्किल फेज को जेनेरिक स्किल **I, II** तथा **III** में बाँटा गया।

प्रशिक्षक क्लाईंटों द्वारा कार्य स्टेशन में तैयार की गई वस्तुएँ जैसे, स्क्रीन प्रिंटिंग, फोटोकापी, स्टेशनरी सामग्री (लिखने के पुस्तकें, फाइल पुस्तकें, आदि) तथा आफसेट प्रिंटिंग संस्थान में दैनिक कार्य में प्रयुक्त किये जा रहे हैं।

अन्य वस्तुएँ, जैसे ग्रीटिंग कार्ड, ग्लास पेन्टिंग, साफ्ट टॉय, दस्तकारी कार्य आदि, का संस्थान में आने वाले व्यक्तियों द्वारा खरीदे जाते हैं या संस्थान में ही वाल डेकोरेशन के लिए या अतिथियों को ज्ञापिका के रूप में प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किये जाते हैं। इस आदान प्रदान में हुई आय में से कुछ भाग उन प्रशिक्षणार्थियों को उनके प्रयासों के पुनर्बलन के रूप में दिया जाता है।

6.4.2 लेन-देन प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रौढ़ स्वजीवनयापन विभाग ने 'ट्रैन्सैक्शन ट्रैनिंग' नामक एक नया प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, संस्थान के कैम्पस के पास एक पोर्टबल काउन्टर (डेमो टेन्ट) खोला। व्यावसायिक अनुदेशकों की सहायता से वयस्क मानसिक मंद व्यक्ति व्यावसायिक प्रशिक्षण के विभिन्न उत्पादनों जैसे सॉफ्ट-टायस, चाकलेट, कला और शिल्पकारी वस्तुये, ग्रीटिंग कार्ड, आदि को बढावा देने के लिए इस डेमो टेन्ट में प्रदर्शित करते हैं। इस क्रियाकलाप के द्वारा, मार्केटिंग, सामाजिकीकरण, पैसों का लेनदेन, सामाजिक कौशल, संप्रेषण कौशल, आदि जैसी मूल आवश्यकताओं को समझ सकते हैं।

6.4.3 व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं सूचना सेवाएँ (वीजीआईएस)

व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं सूचना सेवाएँ (वीजीआईएस) प्रौढ़ मानसिक मंद व्यक्तियों के अभिभावक सूचना का आदान प्रदान करने के लिए एक अनोखा प्लाटफार्म है। नये कार्यस्टेशन, वर्तमान वर्ष में प्रौढ़ मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए उपलब्ध सेवाएँ, वर्तमान प्रवृत्तियाँ, योजनाएँ व सुविधाओं, रोजगार संबंधी पहलू, आदि पर बैठक के दौरान चर्चा की जाती है। इस वर्ष के दौरान, व्यावसायिक परामर्श कार्यक्रम से 212 अभिभावकों ने लाभ उठाया।

6.4.4 व्यावसायिक (आक्युपेशनल) चिकित्सा

मानसिक मंदन और संबध्द स्थिति और अन्य व्यापक विकासीय अक्षमताओं से पीडित लोगों की जरूरतों को व्यावसायिक चिकित्सा एकक पूरा करता है। यह सेवा मुख्य रूप से निष्पादन घटकों को विकसित करने, विशिष्ट संवेदी अवयवों को सुधारने, प्रेरक, संज्ञानात्मक, बोधात्मक कौशलों को विकसित कर स्वतंत्र रूप से जीना सिखाता है। जिन क्लाईंटों को इस सेवा की जरूरत होती है, उनका विस्तृत मूल्यांकन और विशिष्ट मध्यस्थता कार्यक्रम व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार किया जाता है, जिनको सहायक या अनुरूप उपकरणों की आवश्यकता होती है, उन्हें यथोचित केंद्रों में भेजा जाता है। देखरेखकर्ताओं को उसी वातावरण में मध्यस्थता करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान किया जाता है ।

6.5 कौशल विकास प्रशिक्षण

भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का एक प्रमुख कार्यक्रम है, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसका राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान द्वारा बौद्धिक दिव्यांगजनों के लिए कार्यान्वित कर रहा है, इसका उद्देश्य निम्नानुसार है

- बौद्धिक दिव्यांगजनों में कार्य कौशल शामिल करना जिससे वे कार्य की दुनिया में भाग ले सकें
- बौद्धिक दिव्यांग वयस्कों को प्रशिक्षित मानव संसाधन के रूप में सामाजिक आर्थिक गतिविधियों की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रोत्साहित करना।

वर्ष 2015-16 के दौरान, 81 मानसिक मंद व्यक्तियों ने सिपडा के इस कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दाखिला लिया और इन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है-

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	टिप्पणी
2015-16	500	81	प्रशिक्षण प्रगति पर है

दाखिल किये गये मानसिक मंद व्यक्तियों को कार्यस्टेशन के विभिन्न गतिविधियाँ जैसे फोटोकॉपी करना, स्पाईरल बाईंडिंग करना, लैमिनेशन करना, कपड़े सिलने का काम करना, एम्ब्राइडरी, ज्वेलरी तैयार करना, रंग तैयार करना, कार्पेंटरी का काम, राखी तैयार करना, दिया तैयार करना, पैपर बैग बनाना, कला तथा दस्तकारी क्रियाकलाप, एनवलप बनाना, स्क्रीन प्रिंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग, अक्रिलिक उत्पादनों की तैयारी, घरेलू क्रियाकलाप, फाईल कावर तैयार करना, स्क्रिब्लिंग पैड तैयार करना, बागबानी, कम्प्युर प्रशिक्षण क्रियाकलापों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

सिपडा के नये मार्गनिर्देशनानुसार, प्रशिक्षणार्थियों को फरवरी 2016 से मासिक स्टाईफंड एवं वाहन भत्ता भुगतान किया जा रहा है। प्रशिक्षण अधिकतम छः महीने के लिए दिया जा रहा है जिसके दौरान प्रशिक्षक को जनरिक (कार्य तत्परता) कौशलों, विशिष्ट कार्य कौशल, कार्य क्षमताओं, कार्य व्यवहार, स्व-समर्थन तथा अन्य रोजगार कौशलों में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रौढ़ स्वजीवन यापन विभाग ने प्राईवेट सेक्टर में 22 छात्रों को पारिश्रामिक रोजगार पर लगाया।

संरचित एवं व्यापक प्रशिक्षण पद्धति के द्वारा, कौशल प्रशिक्षण प्रौढ़ मानसिक मंद व्यक्तियों में स्वतंत्र जीवनयापन कौशल को बढ़ाने एवं उन्हें कार्य की दुनियाँ में योगदायी नागरिक बनाने का लक्ष्य रखता है।

एन.आई.ई.पी.आई.डी. द्वारा आयोजित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रौढ़ मानसिक मंद बच्चों के अभिभावक अत्यंत सराहना करते हैं। वे अपने बच्चों में विशिष्ट कार्य कौशल, कार्य व्यवहार तथा समुदाय जीवन कौशलों में वृद्धि देखकर खुश एवं संतुष्ट हैं।

6.4 परिवार कुटीर सेवाएँ

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में दूर-दराज के स्थानों से आनेवाले परिवारों के लिए परिवार कुटीर व्यवस्था उपलब्ध है। परिवार कुटीरों में 12 इकाइयाँ राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान सिकंदराबाद में उपलब्ध हैं। प्रत्येक इकाई में कम से कम 6 सदस्यों को रहने की सुविधा मिल सकती है। प्रत्येक इकाई में एक रसोई और वाश रूम है। जबकि परिवार

कुटीरों में रहने वाले संस्थान में ही एक मानसिक मंद व्यक्ति के अभिभावकों द्वारा चलाई जा रही कैन्टीन की सुविधा से लाभ उठा सकते हैं, वे परिवार कुटीर में रखे गये बर्तन, गैस आदि का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ वे दो सप्ताह तक रहकर व्यावसायिक तथा प्रशिक्षण सेवाएँ तथा कौशल प्रशिक्षण, व्यक्तिगत परिवार परामर्श, समस्या व्यवहार का प्रबंधन, वाणी-भाषा चिकित्सा, डाक्टरी सलाह, फिजियोथेरपी, मनोरंजन क्रियाकलाप और उनकी जरूरत की अन्य सहायताएँ प्राप्त कर सकते हैं। ये कुटीर अभिभावकों को उनके दैनिक जीवन से दूर हटकर अपने बच्चों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करवाते हैं।

एन.आई.ई.पी.आई.डी. - परिवार कुटीर

वर्ष 2015-16 के दौरान परिवार कुटीरों के उपयोगकर्ताओं की संख्या 374 है। रहने की औसत अवधि प्रत्येक परिवार के लिए पाँच दिन रही। परिवार कुटीरों में प्रदान की गई सेवाओं का विवरण **तालिका 11** में दर्शाया गया है।

तालिका 11: लिंग और आयु पर आधारित परिवार कुटीर मे निवास किए क्लाईटों की संख्या

आयु वर्ष में	कुल क्लाईट	प्रतिशत	पुरूष	प्रतिशत	स्त्री	प्रतिशत
0-3	40	14.6	28	13.8	12	16.9
4-6	43	15.7	31	15.3	12	16.9
7-9	63	23.0	54	26.6	9	12.7
10-14	68	24.8	49	24.1	19	26.8
15-18	31	11.3	20	9.9	11	15.5
18	29	10.6	21	10.3	8	11.3
योग	374	100.0	203	100.0	71	100.0

6.5 विशेष शिक्षा केन्द्र

विशेष शिक्षा केन्द्र संस्थान के मानव संसाधन विकास के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रयोगशाला की तरह सेवा प्रदान करता है।

केन्द्र में 3 से 18 वर्षों के बीच की आयु के बच्चों सहित विभिन्न स्तरों के 109 मानसिक मंदन से ग्रस्त बच्चों को दाखिल किया गया जिनमें अल्प और गंभीर मानसिक मंदन से ग्रस्त बच्चें भी हैं। यहाँ प्रारंभिक बाल्यवस्था विशेष शिक्षा से लेकर पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण के दस कक्षाएँ हैं। इसके अलावा, अतिरिक्त अक्षमताओं जैसे आत्मविमोह और संवेदी क्षतियों से ग्रस्त बच्चों के लिए, अति गंभीर रूप से ग्रस्त मानसिक मंद के लिए तथा खुली मूल शिक्षा कार्यक्रम के लिए चार विशिष्ट एककों की स्थापना की गई है ताकि यह देखा जा सके कि सभी स्तरों के मानसिक मंद बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया जाए और प्रशिक्षणार्थियों को उन सभी प्रकार के बच्चों की जानकारी हासिल हो सके।

नियमित स्कूल के अलावा, सामान्य सेवाओं से रेफर किये गये नए क्लाईंट जिन्हें विशेष शिक्षा केन्द्र के नियमित सेवाओं के लिए प्रवेश नहीं मिला, उनके लिए समूह क्रियाकलाप सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। ये विद्यार्थी बच्चे की आवश्यकतानुसार तथा अभिभावकों को सुविधानुसार क्लासरूम टीचर द्वारा दिये गये समय के अनुसार सेवाओं में उपस्थित होते हैं। विशेष शिक्षा केन्द्र द्वारा प्रदान किये गये सेवा क्रियाकलाप **तालिका 12** में दिये गये हैं।

तालिका 12 : राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के विशेष शिक्षा केन्द्र के सेवा क्रियाकलाप

क्र.	सेवाएँ	नये केसेस्	फालो अप केसेस्	कुल
1	समूह क्रियाकलाप	81	4382	4463
2	मोबाईल सेवा	274	2598	2872
3	आटीज्म इकाई	320	2331	2651
4	मल्टी सेन्सरी इकाई	242	881	1123
5	पीएमआर इकाई	27	860	887
6	सीएआई	80	2490	2570
7	योग	--	470	470

- संस्थान के वार्षिक दिवस 22 फरवरी, 2016 के अवसर पर नियमित स्कूल के विद्यार्थियों एवं विशेष स्कूल के विद्यार्थियों के लिए समावेशी खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया। इन समावेशी खेलकूद प्रतियोगिता में तीन नियमित स्कूलों ने भाग लिया।

- विशेष शिक्षा केन्द्र के विद्यार्थियों ने 3 दिसम्बर, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस समारोह में भाग लिया।

- विशेष शिक्षा केन्द्र ने विद्यार्थियों के लिए 2-3 मार्च 2016 को वार्षिक खेलकूद का आयोजन किया। विशेष शिक्षा केन्द्र के सभी विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया पुरस्कार प्राप्त किये। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में राष्ट्रीय समेकता तथा देशभक्ति बढ़ाने के लिए एस.ई.सी. स्वतंत्र दिवस एवं गणतंत्र दिवस समारोहों का आयोजन किया। एस.ई.सी. के विद्यार्थियों ने मार्च पास्ट, पॉप ड्रिल, समूह नृत्य तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया।

- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विभिन्न सांस्कृतिक मूल्यों पर शिक्षण व प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से धार्मिक पर्वों जैसे गणेश चतुर्थी, दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, रमजान तथा संक्रांती मनाया गया। स्कूल के विद्यार्थियों ने क्लासरूम सजावट, रंगोली, आदि, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया एवं इन त्यौहारों के अवसर पर अपने माता-पिता एवं सहोदरों के साथ विशेष व्यंजन तैयार किये।

6.7.1 राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान की परीक्षाओं के लिए खुली मौलिक शिक्षा प्रदान करने हेतु संसाधन कक्ष

राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान ने सारे देश में प्रसिद्ध संस्थाओं के जरिए दूरस्थ शिक्षा पध्दति द्वारा खुली मौलिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। अधिकांश बच्चे जो अल्प मानसिक मंदन और सीमा रेखा (बार्डर लाइन) की बुध्दि वाले होते हैं, विशेष स्कूलों में ठीक तरह से न जम पाने के कारण सही शिक्षा सुविधा न पाकर नियमित शिक्षा के समकक्ष चलने में कठिनाई महसूस करते हैं। ये बच्चे

राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान के सीखने को सरली कृत कार्यक्रम के कारण रा.मु.शि.संस्थान में खुली मौलिक शिक्षा का लाभ उठा पाते हैं। इससे विशेष स्कूलों और नियमित स्कूलों के बीच का अंतर भी पट जाएगा। इस बात के मद्देनज़र, बॉर्डर लाईन और अल्प मानसिक मंद बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए संस्थान ने एक संसाधन कक्ष की स्थापना की और ये बच्चे राष्ट्रीय खुली मौलिक शिक्षा कार्यक्रम में भाग लेकर अर्हता प्राप्त कर सकते हैं। मानसिक मंदन तथा अधिगम समस्या वाले प्राइमरी स्तर के विद्यार्थियों के लिए एन.आई.ई.पी.आई.डी. ने विशेष कोचिंग कक्षाएँ चलाई। वर्ष 2015-16 के दौरान इस कार्यक्रम द्वारा 32 बच्चो ने लाभ उठाया।

6.8 अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का लक्ष्य अपने बच्चों की देखरेख और प्रबंधन और प्रशिक्षण में लगे अभिभावकों के बीच एक-दूसरे को आपसी समर्थन और विचारों और सूचना के आदान-प्रदान के लिए अभिभावकों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित करना है। प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान कुल 68 अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए 3437 अभिभावक लाभान्वित हुए। इसमें मास्टर प्रशिक्षक कार्यक्रम के अभिभावक भी सम्मिलित हैं।

6.9 राहत देखभाल सेवाएँ

राहत देखभाल एक अल्पकालीन देखभाल कार्यक्रम है जहाँ मानसिक मंद बच्चों के परिवार अपने दैनिक जीवन से और तनाव से कुछ समय के लिए छुटकारा पा सकते हैं। राहत देखभाल से मानसिक मंद बच्चों को अपने परिवार से अलग रहकर स्वतंत्र जीवनयापन के कौशलों को बढाने का अवसर मिलता है। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने निम्नलिखित उद्देश्यों से राहत देखभाल सेवाएँ आरंभ की हैं।

- अभिभावक / परिवार सदस्यों को अपनी अन्य जिम्मेदारियों को निभाने के लिए राहत समय का एक अवसर प्रदान करना,
- मानसिक मंद बच्चों के दैनिक देखभाल के तनाव से राहत देने के लिए अभिभावकों को एक अवसर प्रदान करना
- मानसिक मंद व्यक्तियों को घर से अल्पावधि के लिए बाहर रहने का मौका प्रदान करना
- एन.आई.ई.पी.आई.डी. में विभिन्न शैक्षणिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए एक प्रदर्शन केन्द्र के रूप में सेवा प्रदान करना।

राहत देखभाल केन्द्र में शून्य अस्वीकृति का नियम रखकर पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। प्रत्येक सुविधा का समर्थन दिन में एक विशेष शिक्षक द्वारा दिया जाता है तथा चौबीस घंटे एक देखभालकर्ता (आया) रहती है। अवकाशकालीन, भोजन तथा दवाइयाँ जैसी अन्य सुविधाएँ भी दी जाती हैं। मानसिक मंद बच्चों के अभिभावक और पारिवारिक सदस्य इन सेवाओं से पाँच दिन तक (विशेष परिस्थितियों में इस अवधि को बढाया जाता है) लाभ उठा रहे हैं। वर्ष के दौरान इस राहत देखभाल केन्द्र की सेवाओं से 209 लाभान्वित हुए। विवरण **तालिका 13** में दिया गया है।

तालिका 13: राहत देखभाल केन्द्र में नए क्लांईटों का पंजीकरण (एन=209)

महीना	लाभान्वित	महीना	लाभान्वित
अप्रैल, 2015	17	अक्तूबर	23
मई	13	नवम्बर	16
जून	15	दिसम्बर	22
जुलाई	19	जनवरी, 2016	18
अगस्त	18	फरवरी	18
सितम्बर	16	मार्च	14

6.10 एन.आई.ई.पी.आई.डी. के सामान्य सेवाओं पर क्लाईंटों का पुनर्निवेशन

संस्थान द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणता को परिष्कृत करने के प्रयास में क्लाइंटों से पुनर्निवेशन लिया जाता है। वर्ष के दौरान 939 क्लाइंटों/अभिभावकों से प्राप्त पुनर्निवेशन के विश्लेषण से यह पता चला कि एन.आई.ई.पी.आई.डी. द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से 86 प्रतिशत संतुष्ट हैं, विवरण **तालिका 14** में दिया गया है। व्यावसायिकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का संतोषप्रद स्तर (क्र.1 से 19 तक) 88% रहा, जबकि संकाय सदस्य व अतिथि संकाय सदस्यों के पर्यवेक्षण के अधीन दीर्घावधि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों द्वारा क्लाईंटों को प्रदान की जा रही सेवाओं का संतोषप्रद स्तर 78% (क्र.20-क-छ) रहा। पुनर्निवेशन के अतिरिक्त, सेवा प्रदान किये जाने वाले स्थान पर सुझाव पेटी तथा शिकायत रजिस्टर भी रखा गया है। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान सेवाओं से संबंधित क्लाईंटों को आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए उचित कार्यवाही की जा रही है।

तालिका 14: एन.आई.ई.पी.आई.डी में अभिभावकों व क्लाईंटों से पुनर्निवेशन (एन.=939)

क्र.सं.	मद	संतुष्ट (प्रतिशतता)
1	व्यावसायिकों द्वारा केस की स्थिति का विवरण स्पष्ट करना	93.8
2	अपांईटमेंट के लिए दी गई तिथियाँ	92.1
3	प्रबंधन योजना की रेशनेल पर स्पष्टीकरण	93.0
4	घर पर प्रबंधन योजना पर कार्य का मार्गदर्शन व प्रशिक्षण (एचबीटी)	90.8
5	अंतराक्षेपण के बाद व्यक्ति में सुधार	92.8
6	व्यावसायिक स्टाफ या सहायक स्टाफ का अपने काम की ओर रवैया	87.5
7	एन.आई.ई.पी.आई.डी. में उपलब्ध सेवाओं के बारे में जानकारी देना	89.8
8	सहायता प्रदान करने मे सहयोग	85.5
9	सेवा प्रदान करने वाले व्यावसायिक द्वारा क्लाईंट के साथ बिताया गया समय	87.2
10	सेवा प्रदान करने वाले से मिलने के लिए बिताया गया समय	92.3
11	सेवा प्रदान करने वालों की क्षमता /विशेषज्ञता	87.8
12	मूल्यांकन करने के लिए बताये गए कारण तथा परिणामों के बारे में स्पष्टीकरण	86.2
13	परामर्शी सेवाओं का प्रावधान	85.8
14	रियायतें व सुविधाओं के बारे में सूचना	85.2
15	सुविधाएँ जैसे पीने का पानी, राहत कक्ष, व्हील चैयर, कैन्टीन सेवा आदि	83.9
16	विभिन्न अक्षमताओं के बारे में पठन सामग्री की उपलब्धता	82.4
17	अपाइंटमेंट में सेवा प्रदान करने में समय की पावंदी व उपलब्धता	85.9
18	आवश्यकता पड़ने पर व्यावसायिक स्टाफ का योगदान	86.4
19	सेवाओं में मित्रतापूर्ण वातावरण निर्माण करने में स्टाफ का योगदान	86.9
20	**प्रदान की गई सेवाओं के बारे में:**	
क	मेडिकल	81.6
ख	व्यवहार परिवर्तन	79.1
ग	अभिभावकीय परामर्श	78.2
घ	विशेष शिक्षा	77.6
च	फिजियोथिरेपी	75.3
छ	वाणी व भाषा थिरेपी	76.0
	संपूर्ण	86.0

अध्याय 7

मॉडल विशेष शिक्षा केन्द्र

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 1964 में स्थापित मॉडल विशेष शिक्षा केन्द्र (एम.एस.ई.सी.) को वर्ष 1986 में राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरकण संस्थान, सिकंदराबाद के प्रशासनाधीन लाया गया। मंदबुध्दि व्यक्तियों को अपने अंत:शक्ति का पूर्ण रूप से विकास करने में सहायता देने के उद्देश्य से यह केंन्द्र कार्यरत है। भर्ती किये गये बच्चों की संख्या 120 थी, जिनमें से 27 आवासीय और 93 अनावासीय थे **(तालिका 15)**। एन.आई.ई.पी.आई.डी.. एम.एस.ई.सी. का 17 फरवरी, 2015 को नोएडा केन्द्र को स्थानांतरित किया गया। नई दिल्ली केन्द्र में आंशिक सेवाएँ (केवल डे केयर (अनावासीय) क्रियाकलाप) प्रदान की जा रही हैं जबकि नोएडा केन्द्र में डे केयर के साथ साथ आवासीय सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

स्कूल के क्रियाकलापों के अतिरिक्त, एन.आई.ई.पी.आई.डी.. एम.एस.ई.सी. ने सात अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम, 16 अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। केन्द्र ने मानसिक मंद बच्चों को पुनर्वास सेवाएँ प्रदान की जिसमें मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, व्यवहार परिवर्तन, अभिभावक परामर्श, मोबाईल / गृह आधारित प्रशिक्षण शामिल है। देश के विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को एन.आई.ई.पी.आई.डी.. एम.एस.ई.सी. ने परामर्शी एवं तकनीकी समर्थन प्रदान किया। केन्द्र ने विस्तार तथा आउटरीच कार्यक्रमों के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्य में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी भाग लिया।

तालिका 15 : लिंग वार दाखिले

लिंग	नई दिल्ली		नोएडा		कुल	
	अनावासीय	आवासीय	अनावासीय	आवासीय	अनावासीय	आवासीय
लडकें(=91)	55	0	19	17	74	17
लडकियाँ(=29)	18	0	1	10	19	10
कुल (=120)	73	0	20	27	93	27

7.1 स्कूल के क्रियाकलाप

व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम:

सभी विद्यार्थियों के लिए त्रैमासिक आई.ई.पी. तैयार किया गया एवं तदनुसार मूल्यांकन किया गया। लक्ष्यों के चयन एवं कौशल कार्यान्वित करने व प्रशिक्षण में अभिभावकों को हर एक स्तर पर सम्मिलित किया गया। आवधिक अभिभावक शिक्षक बैठकें भी आयोजित की गईं। शैक्षिक सत्र के अंत में, छात्रों के रिपोर्ट पर चर्चा की गई और रिपोर्ट अभिभावकों को सौंपी गई अभिभावकों को अपने बच्चे के लिए घर में करने के लिए क्रियाकलापों के बारे में मार्गदर्शन भी दिया गया।

सामुदायिक जागरूकता एवं सामाजिक कौशल

- बच्चों को विभिन्न समुदाय सेट अप दिखाने के लिए ले जाया गया। सभी धर्मों का इतिहास एवं संस्कृति के प्रति सद्भाव बढ़ाने के लिए स्कूल में सभी प्रमुख त्यौहार मनाये गये। स्कूल के पाठ्यक्रम के एक अनिवार्य अंग के रूप में राष्ट्रीय त्यौहार मनाये गये। स्कूल की गतिविधियों में राष्ट्रीय त्यौहार मनाना स्कूल के पाठचर्या का एक हिस्सा बन गया। रक्षा बंधन, दिवाली, क्रिसमस जैसे धार्मिक पर्व एन.आई.ई.पी.आई.डी. एम.एस.ई.सी. के विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों ने मनाये।

स्वच्छ भारत अभियान

- एन.आई.ई.पी.आई.डी. एम.एस.ई.सी. ने स्वच्छ भारत अभियान के एक वर्ष पूर्ण होने पर, विद्यार्थियों व शिक्षकों ने स्वच्छता का महत्व बताते हुए पोस्टर तैयार किये। विद्यार्थियों व शिक्षकों ने एम.एस.ई.सी. भवन के बाहरी क्षेत्र साफ करने में तीन घंटे का समय बिताया और आम जनता को स्वच्छता पर शिक्षा देने का प्रयास किया। स्वच्छता अभियान के गतिविधिया वर्ष भर चलती रही।

खेलकूद गतिविधियाँ एवं कार्यक्रम

- स्कूल के छात्र वर्ष के दौरान कई खेल-कूद क्रियाकलापों में भाग लिया जैसे- दौडना, तेज़ चलना, बास्केट बॉल, बॉक्से, क्रिकेट, शॉटपुट, फुटबॉल, ट्रैम्पोलीन, स्टांडिंग लाँगजम्प, साफ्ट बॉल थ्रो, कैरम व अन्य भीतरी खेल। प्रात: प्रार्थना के समय छात्रों से आधा घंटे का समय शारीरिक व्यायाम करवाया जाता है तथा स्वस्थ्य एवं स्वच्छता, एवं अच्छी आदतों के बारे में बताया जाता है ।

- राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खेल-कूद प्रतियोगिताओं में भाग लिये छात्रों को दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा 26.5.2015 को त्यागराज स्टेडियम में सम्मानित किया गया। मास्टर मनीष, एन.आई.ई.पी.आई.डी. एम.एस.ई.सी. के छात्र को लांग जम्प नेशनल चांपियनशिप में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर 12-15 मार्च के दौरान जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रु.42,000/- का नकद पुरस्कार दिया गया।

अंतर विद्यालयी प्रतियोगिताएँ

- एन.आई.ई.पी.आई.डी. एम.एस.ई.सी. , नई दिल्ली / नोएडा के सात छात्रों ने वेरी स्पेशल आर्ट्स् इंडिया, वसंत कुंज, नई दिल्ली द्वारा मार्च 2015 को आयोजित राष्ट्रीय कला प्रतियोगिता में भाग लिया। परिणाम जुलाई 2015 में घोषित हुआ। वरिष्ठ समूह में संजना को रु.500/- का प्रथम पुरस्कार मिला एवं अन्य छ: छात्रों को सहभागिता प्रमाण पत्र मिला।

- एम.एस.ई.सी. के 10 छात्र ओखला सेन्टर, ओखला, नई दिल्ली में 19 फरवरी, 2016 को आयोजित भारतीय त्योहार विषय पर आठवी वार्षिक पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। दो छात्र, साहिल एवं दीप प्रकाश प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।

- एम.एस.ई.सी. के चार छात्रों ने फ्लोरल बंधनवर / तोरन व मटका पेंटिंग वार्षिक रंगोली प्रतियोगिता 12 फरवरी 2016 को वेरी स्पेशल आर्ट्स्, वसंत कुंज, नई दिल्ली में भाग लिया। दो छात्र, साहिल एवं नेहा दास ने फ्लोरल बंधनवर प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।

- एम.एस.ई.सी. के 26 छात्रों नें इम्प्रेसारियो इंडिया द्वारा इंटरनेशनल सेन्टर, मैक्स मुलर, दिल्ली द्वारा 24 फरवरी, 2016 को आयोजित हमारा सर्कस ए लाईव्ली पप्पेट शो में भाग लिया। छात्रों ने कार्यक्रम का आनंद उठाया।

पेंटिंग प्रतिगयोगिता

- एम.एस.ई.सी. के छात्रों ने ओखला सेन्टर, ओखला, नई दिल्ली में 19 फरवरी, 2016 को आयोजित भारतीय त्योहार विषय पर आठवा वार्षिक पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। एक छात्र दीक्षा ने प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।

- एन.आई.ई.पी.आई.डी. एम.एस.ई.सी. में 16 सितम्बर, 2015 को पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। कुल 50 छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग लिया और सभी के लिए सार्वजनिक स्थान विषय पर विभिन्न चित्र बनाए। 12 उत्तम चित्रों का चयन किया गया और उन्हें भारत सरकार, गृह एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भवन सामग्री व तकनीकी प्रोन्नत काउंसिल को भेजा गया जिनमें से 3 पेंटिंगों का चयन किया गया और वर्ल्ड हैबिटैट डे 5 अक्तूबर 2015 को आयोजित समारोह के अवसर पर पुरस्कार प्रदान किया गया।

- नेशनल जुवलॉजिकल पार्क, नई दिल्ली द्वारा वाईल्ड लाईफ वीक के पूर्व संध्या पर आयोजित ऑन दि स्पाट पेंटिंग प्रतियोगिता में 11 छात्रों ने भाग लिया। 5 अक्तूबर, 2015 को एम.एस.ई.सी. के छात्रों ने एक द्वितीय पुरस्कार (रु.2000/-) प्रमाण पत्र सहित, एक तृतीय पुरस्कार (रु. 1000/-) एवं प्रमाण पत्र और दो सांत्वना पुरस्कार (रु. 500/-) प्रमाण पत्र सहित प्राप्त किया । पर्यावरण मंत्री, श्री प्रकाश जावेदकर से इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली में छात्रों ने पुरस्कार प्राप्त किया।

- 14 से 21 वर्ष की आयु समूह वाले चार छात्रों द्वारा बनाये गये स्वच्छ भारत पर पेंटिंग, कृष्णा के रासलीला, बटरफ्लाइ गार्डेन तथा ट्रेडीशनल इंडिया को वेरी स्पेशल आर्ट्स् इंडिया 2016, वसंत कुंज, नई दिल्ली के 22 वाँ वार्षिक आर्ट प्रतियोगिता को भेजा गया।

कंप्युटर क्विज प्रतियोगिता

- एयर फोर्स गोल्डन जुबिली स्कूल, सुब्रोतो पार्क, नई दिल्ली ने 31 जुलाई, 2015 को एक संगम कार्यक्रम (अंतरविद्यालयी प्रतिस्पर्दा राज्य स्तर) का आयोजन किया गया। एन.आई.ई.पी.आई.डी., एम.एस.ई.सी. के मास्टर दीप प्रकाश ने कंप्यूटर प्रश्न मंच प्रतियोगिता में भाग लिया और प्रथम पुरस्कार जीत लिया।

चलचित्र उत्सव

- एन.आई.ई.पी.आई.डी., एम.एस.ई.सी. के छात्रों एवं स्टाफ ने 1 दिसम्बर से 3 दिसम्बर 2015 को सिरिफोर्ट ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में आयोजित दिव्यांगजन के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र उत्सव में उपस्थित हुए।

वार्षिक दिवस

- एम.एस.ई.सी., लाजपत नगर में 17.2.2016 को बेस्ट ऑवुट ऑफ वेस्ट पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सभी कक्षाओं के छात्रों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और अपशिष्ट से सुंदर हस्तकारियों के रूप में मोडने में आनंद उठाया। छात्रों व कर्मचारी सदस्यों के लिए वार्षिक दिवस के पूर्व संध्या के अवसर पर 20-02-2016 को खेल-कूद व मजेदार खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

छात्रावास की गतिविधियाँ

- आवासीय सुविधा उपलब्ध कर रहें छात्रावासियों को विभिन्न कौशलों में नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया गया जैसे - सूक्ष्म तथा स्थूल गति कौशल, दैनिक जीवन के क्रियाकलाप, घरेलू कौशल, सामाजिक कौशल, अच्छे संस्कार और आदतें। बच्चों में वाँछित परिवर्तन लाने के लिए और अच्छे आदतें डालने के लिए हाउज़ मदर द्वारा व्यवहार परिवर्तन किया जाता है। हर एक छात्र का वाणी समस्या पता लगाने के लिए वाणी मूल्यांकन किया गया और तदनुसार स्पीच थिरेपी के लिए चिकित्सीय योजना बनाया गया। हाउज़ मदर ने स्पीच थिरेपी के लिए सभी छात्रों को एन.आई.एच.एच., नोएडा को ले गई।

- छात्रों के जन्मदिन समारोह छात्रावास में उनके अभिभावकों के साथ मनाया गया। बच्चों को आस पास के गार्डेन व पार्कों को हॉस्टल स्टाफ सहित ले जाया गया। सभी छात्रों एवं हास्टल स्टाफ के लिए खेल क्रियाकालापों का आयोजन किया गया।

7.2 कौशल विकास प्रशिक्षण

- वर्ष 2015-16 के दौरान एम.एस.ई.सी. लाजपत नगर में कौशल प्रशिक्षण में कार्पेन्टरी व हैंडीक्राफ्ट्स् ट्रेड्स् में 14 लाभान्वितों ने दाखिला लिया। गैरसरकारी संगठनों से पार्टनरशिप कार्यक्रम के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों से संपर्क स्थापित किया गया जहाँ वी.ए.पी.एस. पर प्रौढ़ मानसिक मंद व्यक्तियों का मूल्यांकन किया गया। विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 30.3.2016 को आयोजित एक्सेसिबल इंडिया कैम्पैन के एक भाग के रूप में आयोजित इनक्लूजिव एण्ड़ एक्सेसबल इंडेक्स पर कार्यक्रम में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के छात्रों ने भाग लिया।

होली मनाते हुए

अध्याय-8

परामर्शी तथा तकनीकी समर्थन

8.1 भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से सहायता अनुदान पाने के लिये गैर सरकारी संगठनों के आवेदनों का तकनीकी मूल्यांकन

इस योजना के अंतर्गत अक्षम व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहन देने के लिये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देश में गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान देता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुरोध पर संस्थान गैर सरकारी संगठनों का तकनीकी मूल्यांकन करता है और मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

8.2 भारतीय पुनर्वास परिषद्

संस्थान के स्टाफ ने भारतीय पुनर्वास परिषद् के विभिन्न पाठयक्रमों का विकास और मूल्यांकन सबंधी बैठकों में भाग लिया। भारतीय पुनर्वास परिषद् की ओर से संस्थान के संकाय सदस्यों ने देश भर के विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण किया।

क्र.	समर्थन का प्रकार	संस्था का नाम व पता	तिथियाँ
1.	जी.आई.ए., एम.एस.जे.ई. का निरीक्षण	मेसर्स स्नेहा सोसाईटी ऑफ रूरल रीकंस्ट्रक्शन, निजामाबाद	23.03.16
2.	आर.सी.आई. का तकनीकी पुन: मूल्यांगन	एससीएडी, तिरुनलवेली (तमिलनाडु)	29.5.15
3.	आरसीआई निरीक्षण	इंटग्रेटेड स्पेशल एजुकेशन, वल्लप्पचेरुवु रोड, नरसरावपेट, गुन्टुर जिला, आँ.प्र.	13.06.15
4.	आर.सी.आई. निरीक्षण / जाँच पड़ताल	जीवन ए रीसर्च एण्ड रीहैबिलिटेशन सेन्टर फॉर डिसेबल्ड कम स्पेशल टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर, बस्तकोला, धनबाद (झारखण्ड)	26-27 मई, 2015

8.3 गैर सरकारी संगठनों को तकनीकी सहायता

इस उद्देश्य के अंतर्गत संस्थान आरंभ से ही गैर सरकारी संगठनों व अन्य संस्थानों को तकनीकी सहयता प्रदान करता आ रहा है।

8.4 विशेष रोजगार कक्ष

वर्ष 1995 में एन.आई.ई.पी.आई.डी. में स्थापित विशेष रोजगार सेल में विकलांग व्यक्तियों का पंजीकरण किया जाता है, ताकि विभिन्न संगठनों में नौकरी हेतु इन व्यक्तियों को नामांकित किया जा सके। इससे विभिन्न संगठनों से प्राप्त माँग पत्रों के अनुसार योग्यता के आधार पर अपने अपने नामांकन भेजने हेतु विशेष रोजगार सेल में अभी तक पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या 95 है।

अध्याय-9

दस्तावेजजीकरण व प्रचार-प्रसार

दस्तावेजीकरण तथा प्रचार प्रसार राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है। संस्थान में मानसिक मंदन और संबंधित क्षेत्रों में पूरी तरह से लैस संसाधन केन्द्र हैं जिसमें पर्याप्त संख्या में पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएँ हैं। संस्थान पत्र पत्रिकाओं के लेखों की छाया प्रतियाँ राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के प्रकाशनों, वीडियो कैसेटों तथा फ्लापियों का वितरण, तथा पुस्तकालय सेवाएँ प्रदान करता, पठन सूची एवं समाचार पत्रों की पेपर क्लिपिंग तैयार करता है व इंटरनेट द्वारा सूचना सेवाएँ प्रदान करता है।

संस्थान मेंटार्ड बुलेटिन नामक द्वैमासिक पत्रिका प्रकाशित करता है जिसमें विकलांगता पर लिखे हुए लेखों के सारांश होते हैं। देश भर के लगभग 300 से अधिक संस्थान इससे लाभ उठाते हैं। यदि कोई किसी लेख का पूरा सारांश चाहते हों तो, उन्हें लेख के पूरे विषयों की छायाप्रति दी जाती है।

संस्थान के पुस्तकालय में 31.3.2016 तक 14,000 पुस्तकें (खरीदी गई, ग्रैटिस में मिलीं, या उपहार के रूप में मिली) हैं। वर्ष के दौरान लगभग 8961 व्यावसायिक तथा विद्यार्थियों ने एन.आई.ई.पी.आई.डी. पुस्तकालय सेवाओं का उपयोग किया।

9.1 पोस्टर्स एवं फ्लिप चार्ट

संस्थान लगातार विकलांगता को पहचानने के लिये जन जागृति कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है जैसे विकलांग व्यक्तियों को पहचानने के लिए ग्रास रूट लेवल वर्कर्स के लिये पोस्टर प्रिंटिंग, सूचना सामग्री प्रकाशन, फ्लिप चार्ट तैयार करना आदि।

9.2 वेबसाईट डिजिटीकरण

एन.आई.ई.पी.आई.डी. के वेबसाईट को पूरी तरह संशोधन कर फ्लैश इमेजेस् के साथ एक नया रूप दिया गया और इसे अक्षमता मैत्रीपूर्ण बनाया गया। यह वेबसाईट हिन्दी में भी उपलब्ध है। वेबसाईट का सुरक्षा लेखा परीक्षा किया गया और (एस.टी.क्यू.सी.) स्टैन्डरडाईजेशन, टेस्टिंग एण्ड क्वालिटी सर्टीफिकेशन का कार्य किया जा रहा है। इनमें से आये गये असंगतियों को पूरा किया गया। एस.टी.क्यू.सी. प्रमाणीकरण की प्रतीक्षा है। एन.आई.सी., हैदराबाद में संस्थान का वेबसाईट (www.nimhindia.gov.in) होस्ट किया गया।

एन.आई.ई.पी.आई.डी., मुख्यालय में पुस्तकालय

अध्याय -10

विस्तार तथा बहि: पहुँच कार्यक्रम

10.1 यंत्र/उपकरणों का क्रय/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिये सहायता योजना (एडिप योजना)

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश भर के विकलांग व्यक्तियों को यंत्र व उपकरणों के वितरण हेतु संश्लिष्ट पुनर्वास शिविरों का आयोजन करना है।

इस प्रक्रिया में पहले मूल्यांकन किया जाता है और इसके बाद मूल्यांकन शिविर में पहचान किये गये विकलांग व्यक्तियों को यंत्र व उपकरण वितरित किये जाते हैं।

जिला मैजिस्ट्रेट / कलेक्टर के कार्यालय की सहायता इन शिविरों के आयोजन के लिए सुनिश्चित की जाती है। शिविर के आयोजन के लिए जिला अस्पताल, गैर सरकारी संगठन तथा अन्य संगठनों को उचित मानदेय देकर मदद ली जाती है। प्रक्रिया में निम्नलिखित सोपान हैं-

प्रचार प्रसार

शिविरों का आयोजन करने से पहले आयोजक विस्तृत प्रचार प्रसार करते हैं जिसके लिए क्षेत्रीय भाषाओं में करपत्र मुद्रित करवा कर बाँटे जाते हैं।

सम्मिलित व्यावसायिक

शिविरों का आयोजन करने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित व्यावसायिकों का प्रबंध किया जाता है मनोवैज्ञानिक, विशेष शिक्षक (मा.म., श्र.वि., दृ.वि.), श्रवण चिकित्सक, नेत्र चिकित्सक, आर्थोपैडिक सर्जन, भौतिक चिकित्सक, पी. व ओ. इंजिनीयर/तकनीशियन तथा मनश्चिकित्सक।

आंकडों का रखरखाव

एडिप क्रियाकलापों संबंधी निम्न लिखित आँकडों का रखरखाव किया जाता है।

- प्रत्येक व्यक्ति का केस पंजीकरण फार्म जिनका कैम्प के दौरान मूल्यांकन किया गया है-
- मूल्यांकन फार्म
- यंत्रों व उपकरणों का श्रेणी-वार विवरण तैयार करना
- यंत्रों व उपकरणों का वितरण संबंधी ब्यौरा
- 19 कॉलम रजिस्टर का कम्प्यूटर पर दस्तावेजीकरण

वित्तीय सहायता

यह योजना चलाने के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद द्वारा एडिप शिविर पर जागरूकता निर्माण, पहचान तथा मूल्यांकन शिविर, यंत्रों व उपकरणों का क्रय व वितरण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। शिविरों के दौरान लाभदायकों को तथा संरक्षकों के खान-पान आदि का प्रबंधन भी किया जाता है।

नेटवर्किंग

स्थानीय गैर सरकारी संगठन के साथ नेटवर्क बनाये रखना तथा मेडिकल कालेज/जिला अस्पताल/ग्रामीण अस्पताल/पी.एच.सी/डी.डी.आर.सी./अन्य कोई समर्थ संगठन के साथ हितार्थियों को यंत्र व उपकरणों के फिटमेंट/पोस्ट फिटमेंट हेतु संपर्क बनाना सुनिश्चित किया जाता है।

फालो अप

विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए तथा इस योजना के अंतर्गत जिन व्यक्तियों को यंत्र व उपकरण दिये गये हैं, उनके उपयोग तथा रखरखाव के लिए स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय द्वारा फालो अप सेवाओं का आयोजन किया जाता है।

10.1.1 साधन व उपकरणों का वितरण एडिप योजना

वर्ष 2015-16 के दौरान एडिप योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को कुल 1518 साधनों व उपकरणों का वितरण किया गया। वितरित साधन एवं उपकरण एवं उपकरणों का विवरण **तालिका 16** में प्रस्तुत किया गया है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष के दौरान रु.169.51 लाख रुपये खर्च किये गये।

वर्ष	एडिप से लाभान्वित
2014-15	1100
2015-16	1518

टी.एल.एम.किट-II का प्रदर्शन

तालिका 16: वर्ष 2015-16 के दौरान शिविरों का आयोजन तथा वितरित किये गये साधन व उपकरणों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य	स्थान	दिनांक	लाभार्थियों की संख्या
1	महाराष्ट्र	भानदुप	05.04.2015	43
2	आँध्र प्रदेश	नेल्लूर	01.06.2015	213
3	आँध्र प्रदेश	नेल्लूर (दूसरा फेस)	08.07.2015	112
4	सिक्किम	गंगटोक	11. 07.2015	60
5	आँध्र प्रदेश	कर्नूल	14.07.2015	147
6	आँध्र प्रदेश	कर्नूल (दूसरा फेस)	23-24 सितम्बर, 2015	17
7	मेघालय	शिलांग	8-9 अक्तूबर, 2015	57
8	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	12.01.2016	187
9	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	22-24 जनवरी, 2016	372
10	आँध्र प्रदेश	नेल्लूर	03.01.2016	61
11	जम्मू व कश्मीर	बारामुल्ला	16-18 फरवरी, 2016	224
12	मेघालय	शिलांग	15 मार्च, 2016	25
	कुल			1518

10.2 पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यक्रम

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य सरकार तथा गैर सरकारी संगठनों के द्वारा मानसिक मंदन के बारे में जागरूकता लाने तथा गुणवत्ता सेवाओं को बढ़ावा देने में सहायता देने के लिए वर्ष 2002 से कार्यक्रमों का आरंभ किया। वर्ष 2015-16 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के गतिविधियों के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने पूरे सात पूर्वोत्तर राज्यों में अभिभावकों, व्यावसायिकों, कार्मिकों तथा मानसिक मंद व अन्य विकलांग व्यक्तियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम, संवेदीकरण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस वर्ष के दौरान 81 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिससे 6216 व्यक्ति लाभआन्वित हुए **(तालिका 17)**। वर्ष के दौरान 160.98 लाख रुपये पूर्वोत्तर क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए खर्च किये गये। सहभागियों को उपरोक्त कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए यात्रा व दैनिक भत्ता दिया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का राज्य वार विवरण **परिशिष्ट 3 (पृष्ठ सं. 74** में दिया गया है।

तालिका -17 पूर्वोत्तर क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम

क्र. सं.	राज्य	आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	कुल लाभार्थियों की संख्या	व्यय (रुपये लाखों में)
1	अरूणाचल प्रदेश	7	1133	18.61
2	असम	4	387	21.19
3	मणीपुर	8	671	32.20
4	मेघालय	5	259	18.37
5	मिजोरम	8	474	33.09
6	नागालैंड	2	98	18.70
7	सिक्किम	43	2674	9.63
8	त्रिपुरा	4	520	9.19
	कुल	81	6216	160.98

10.2.1 सी.ए.आई.लैब तथा मॉडल क्लासरूम की स्थापना

- मानसिक मंद बच्चों को तकनीकी उपयोगिता से लाभान्वित होने के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने कम्प्युटर सहायता अनुदेशन (सीएआई) लैब की स्थापना सिक्किम, मणिपुर मेघालय, नागालैंड, मिजोरम तथा त्रिपुरा के पूर्वोत्तर राज्यों में की। सीएआई पैकेज उपयोगिता पर विशेष शिक्षकों को अभिमुखी किया गया।

- मानसिक मंद बच्चों के हितार्थ, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय तथा मणिपुर राज्यों के विशेष स्कूलों में उचित फर्नीचर उपलब्ध कराने के द्वारा माडल क्लास रूमों की स्थापना का आरंभ किया।

10.3 एन.आई.ई.पी.आई.डी. रिसोर्स केन्द्र, गैंगटोक, सिक्किम

विकासात्मक विलम्ब वाले बच्चों तथा विकलांग व्यक्तियों को सेवा प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा कल्याण विभाग के कार्यालय में 26 मार्च, 2014 को संस्थान ने गैंगटॉक, सिक्किम में संसाधन केन्द्र स्थापित किया। इसके अतिरिक्त, सिक्किम सरकार के सामाजिक न्याय, अधिकारिता तथा कल्याण विभाग के पूर्ण सहयोग से यह केन्द्र, विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में समाज को, स्कूल व कालेज विद्यार्थियों को जागरूक करने, व्यावसायिकों को, ग्रास रूट स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहा है।

प्रारंभ से ही, सिक्किम में विकलांगता / विकासात्मक विलम्ब वाले व्यक्तियों को पहचानने में ग्रास रूट लेवेल कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने, प्रारंभिक पहचान तथा प्रारंभिक हस्तक्षेप के क्षेत्र में रेफरल सेवाएँ तथा पुनर्वास सेवाओं में तेजी लाने के लिए यह केन्द्र सतर्कता से प्रयास कर रहा है।

नेटवर्किंग

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान संसाधन केन्द्र, सरकारी एजेंसियों जैसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता एवं कल्याण विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर, गैर सरकारी संगठन, अभिभावक एवं अन्य स्टेक होल्डर्स विकलांग पुनर्वास के सहयोग से क्षेत्र के क्रियाकलाप नियमित बैठकों द्वारा देख रहे हैं एवं अधिक से अधिक / नवीनतम सूचना का अद्यतन कर रहे हैं। कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये एवं विकलांग बच्चों को पहचाना गया, जाँच भी की गई एवं पहचाने गये लाभान्वितों को संयुक्त प्रयास से उपायात्मक सेवाएँ भी आरंभ की गई।

नियमित छात्रों, ग्रास रूट कार्यकर्ताओं एवं आम जनता को विकलांगता की रोकथाम एवं कारण, विकलांग व्यक्ति में निहित आत्मसम्मान के आदर के बारे में, सहानुभूत्यात्मक प्रस्ताव, अवरोध मुक्त वातावरण एवं अभिगम्यता जैसे विषयों पर संवेदीकरण किया गया। विद्यार्थियों को विकलांगता पुनर्वास संबंधी कोर्स लेने के लिए और विकलांग बच्चों के परिवारों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रेरित किया गया। वर्ष 2015-16 के दौरान, इन विषयों पर विभिन्न कार्यक्रम चलाये गये जिससे सिक्किम राज्य के 2674 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

10.4 समुदाय आधारित कार्यक्रम (सी.बी.पी.)

वर्ष 2015-16 के दौरान 39 समुदाय आधारित कार्यक्रमों (पूर्वोत्तरी कार्यक्रमों के अलावा) से 4321 लाभान्वित हुए। इसमें विकलांगता पर जागरूक रैलियाँ, अभिमुखी कार्यक्रम, मूल्यांकन शिविर आदि शामिल हैं। सी.बी.पी. के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के दौरान एन.आई.ई.पी.आई.डी. द्वारा आयोजित क्रियाकलाप / कार्यक्रमों का विवरण **तालिका 18** में दर्शाया गया है। कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 4 (पृष्ठ सं 76)** में दिया गया है।

तालिका 18: वर्ष 2015-16 - समुदाय आधारित कार्यक्रम

आयोजक	कार्यक्रमों की संख्या	लाभान्वितों की संख्या
मुख्यालय	8	740
क्षेत्रीय केन्द्र, दिल्ली/ नोएडा	12	836
क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकता	8	1696
क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई	7	473
एम.एस.ई.सी., नई दिल्ली/ नोएडा	12	836
कुल	39	4321

10.5 अभिमुखी कार्यक्रम

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान एवं क्षेत्रीय केन्द्रों को प्रति वर्ष कई व्यावसायिक, प्रमुख व्यक्ति तथा दीर्घावधि पाठ्यक्रम प्राप्त कर रहे विद्यार्थी भेंट करते हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान तथा क्षेत्रीय केन्द्र इन अतिथि व्यावसायिकों को अभिमुखी कार्यक्रम प्रदान करता है। वर्ष 2015-16 के दौरान 2505 भेंटकर्ताओं ने इस कार्यक्रम से लाभ उठाया।

10.5 प्रदर्शनियाँ

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान प्रति वर्ष देश भर में विभिन्न प्रदर्शनियों तथा मेलों में स्टाल लगाकर जागरूकता अभियान का आयोजन करता है। विकलांगता पर जागरूकता कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने देशभर में 05 प्रदर्शनियों में स्टाल लगाकर भाग लिया एवं रैली का आयोजन किया जिससे 6850 व्यक्ति लाभान्वित हुए, विवरण **तालिका 18.1** में दर्शाया गया है।

तालिका -18.1 प्रदर्शिनियाँ 2015-16

क्र. सं.	लक्ष्य ग्रूप	दिनांक	स्थान	लाभार्थियों की संख्या
1	आम जनता, दिव्यांगजन एवं अन्य	14.07.2015	कर्नूल (आ.प्र.) में मेघा शिविर के दौरान	1500
2	आम जनता जानकारी अभियान	07.10.2015 09.10.2015	यमीगनुर, कर्नूल जिला (आ.प्र.)	3000
3	सामर्थ्य प्रदर्शनी	03.12.2015	एन.आई.ई.पी.आई.डी., मुख्यालय, सिकन्दराबाद	350
4	आम जनता जानकारी अभियान	08.01.2016 9.01.2016	अर्मूर, निजामाबाद जिला, (आ.प्र.)	1000
5	सामर्थ्य प्रदर्शनी	22.02.2016	एन.आई.ई.पी.आई.डी., मुख्यालय, सिकन्दराबाद	1000
			कुल	**6850**

अध्याय-11

राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा अन्य क्रियाकलाप

11.1 XXIII वी राष्ट्रीय अभिभावक बैठक

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने मानसिक मंद बच्चों के अभिभावकों को एक आम मंच पर लाने की सुविधा प्रदान की, ताकि, वे अपने बच्चों की समस्याओं पर चर्चा कर सकें। आखिरकार यह एक पंजीकृत अभिभावक संगठन के रूप में बना। एक पारदर्शी और समुचित फोरम बनाने के लिए एन.आई.ई.पी.आई.डी. ने वर्ष 1990 में अभिभावाकों का पहला राष्ट्र स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है, मानसिक मंद बच्चों के अभिभावकों को साधिकार बनने में अभिभावकों के बीच एक बेहतर कडी बनाने और मानसिक मंद बच्चों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने का अवसर मिलें। अभी तक एन.आई.ई.पी.आई.डी.ने परिवार नामक राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ पेरेन्ट्स एसोसियेशन के सहयोग से देश के विभिन्न भागों में 23 राष्ट्रीय अभिभावक बैठकों का आयोजन किया। इन बैठकों के आयोजन अनोखे होते हैं क्योंकि, अभिभावक और व्यावसायिक साईन्टिफिक पेपर प्रस्तुत करते हैं। जिन पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाती है। अक्सर इस बैठक के दौरान आगे के विकास के बारे में रोड मैप तैयार किया जाता है।

23 वीं राष्ट्रीय अभिभावक बैठक का आयोजन 28-29 नवम्बर, 2015 को परिवार नेशनल कॉनफेडरेशन ऑफ पेरेन्टस् ऑर्गनाईजेशन के सहयोग से प्राच्य शोध पीठ ऑफ प्रयास संस्थान, उदयपुर में एक अभिभावक गैर सरकारी संगठन में आयोजित किया गया। श्री गुलाब चंद कटारिया, राजस्थान के गृह मंत्री इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे।

तकनीकी सत्र के दौरान निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई:

- अधिकार एवं कानूनी हक
- अभिगम्यता एवं कौशल विकास
- प्रारंभिक हस्तक्षेप देखभाल
- पी.डबल्युआई.डी. के लिए देखभाल प्रावधान
- इन्क्लूजिव शिक्षा
- स्व-समर्थन
- सरकारी/ राष्ट्रीय न्यास योजनाएँ

देश भर के विभिन्न अभिभावक संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हुए 350 अभिभावक एवं व्यावसायिकों ने इस बैठक में भाग लिया।

11.1.1 क्षेत्रीय अभिभावक बैठक 2015-16

राष्ट्रीय अभिभावक बैठक के साथ-साथ संस्थान ने क्षेत्रीय स्तर पर अभिभावकों की चिंता वाले विषयों पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय स्तर पर अभिभावक बैठकों का आयोजन भी किया। क्षेत्रीय अभिभावक बैठकें भी राष्ट्रीय फेडरेशन आफ पेरेन्ट्स एसोशियेशन से संपर्क बनाकर तथा चयनित क्षेत्र के किसी एक पंजीकृत अभिभावक संगठन के सहयोग से आयोजित किये जाते है। यह आशा की जाती है कि क्षेत्रीय अभिभावक बैठकों द्वारा और अधिक स्व सहायक समूह बनाने के लिए अभिभावक संगठनों के विस्तार करने में और मानसिक मंद व्यक्तियों के क्षेत्रीय समस्याओं को सुलझाने में सहायक होंगें। वर्ष 2015-16 में 10 क्षेत्रीय अभिभावक बैठकें आयोजित की गई और एक एनपीएम का आयोजन किया गया जिससे 1930 अभिभावक लाभान्वित हुए। विवरण **तालिका 19** में दर्शाया गया है।

तालिका 19: क्षेत्रीय अभिभावक बैठक / राष्ट्रीय अभिभावक बैठकों की सूची 2015-16

क्षेत्रीय अभिभावक बैठक	स्थान	दिनांक	लाभान्वित अभिभावकों की संख्या
1	वरंगल, तेलंगाना	19-20 सितम्बर, 2015	140
2	हल्दवानी, नैनिताल	10-11 अक्तूबर, 2015	202
3	भावनगर, गुजरात	24-25 अक्तूबर , 2015	160
4	सोनेपुर, ओडिसा	30-31 अक्तूबर , 2015	150
5	गोवा	16-17 जनवरी, 2016	181
6	दुलियाजान, असम	23-24 जनवरी, 2016	143
7	विशाखपट्टणम, आँध्रप्रदेश	20-21 फरवरी, 2016	164
8	होशियारपुर, पंजाब	27-28 फरवरी, 2016	182
9	दिमापुर, नागालैंड	11-12 मार्च, 2016	88
10	नगडा, उज्जैन, म.प्र.	19-20 मार्च, 2016	170
	कुल		**1580**
राष्ट्रीय अभिभावक बैठक (23वां)	उदयपुर, राजस्थान	28-29 नवम्बर, 2015	350
	सकल योग		**1930**

11.2 विशेष कर्मचारियों की XXI वी राष्ट्रीय बैठक

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान विशेष कर्मचारियों की बैठक 1995 से आयोजित कर रहा है। विशेष कर्मचारियों की बैठक एक मात्र कार्यक्रम है जहाँ पारिश्रामिकता पर नौकरियाँ कर रहे मानसिक मंद व्यक्तियों को एक मंच पर अपने व्यावसायिक कौशल, संप्रेषण क्षमताएँ, सामाजिकीकरण, मार्केटिंग क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अवसर दिया जाता है। पिछले 21 वर्षो से इसकी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आई हैं, इसलिए यह राष्ट्रीय स्तर की बैठक लक्षित आबादी का ध्यानाकर्षण कर रही है।

विशेष कर्मचारियों की XXI वीं राष्ट्रीय बैठक 22 फरवरी,2016 को एन.आई.ई.पी.आई.डी., सिकंदराबाद में आयोजित की गई। विभिन्न क्षेत्रों में पी.डबल्यु.आई.डी. के अनोखे क्षमताओं को दर्शाने वाली अनेक क्रियाकलापों को इस बैठक में देखने को मिला। देश भर के 126 विशेष कर्मचारियों ने इस बैठक में अपने संरक्षकों के साथ भाग लिया। मुख्य अतिथि श्री मल्ला रेड्डी, संसद सदस्य, सिकंदराबाद इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री बी.वी.रामकुमार, उपनिदेशक (प्र), एन.आई.ई.पी.आई.डी. ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विशेष कर्मचारियों के विभिन्न ट्रेडों व कार्यों में कार धोना (कार वाशिंग मैन), कैंडल तैयार करना, फाइल तैयार करना, प्रिंटिंग कार्य, कार्पेंटरी कार्य, टेलरिंग, कुकिंग, एम्ब्राइडरी, ग्लास पेंटिंग, साफ्ट टॉय बनाना, ऑफिस बॉय, आदि शामिल थे। बैठक के दौरान, गैर सरकारी संगठनों के विशेष कर्मचारियों ने अपने व्यावसायिक कुशलताओं व उत्पादनों का अबिलिटी मेला के द्वारा प्रदर्शन किया। स्टाल को आये प्रमुख व अन्य व्यक्ति विभिन्न राज्यों के गैरसरकारी संगठनों द्वारा स्टाल्स् में विशेष कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शित व्यावसायिकों के क्षमताओं की प्रशंसा की। इस कार्यक्रम का टी.वी.मीडिया व अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विस्तार पूर्वक कवर किया।

11.3 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम

एन.आई.ई.पी.आई.डी. ने मार्च 2015 को रु.3.75 करोड का बजट राशि में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमोदित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं / उपायों का आरंभ किया जिसमें सी.ए.आई. और ई-साध्य साफ्टवेयर लोड किया हुआ लैपटॉप का मुफ्त वितरण, ट्यूशन फी की प्रतिपूर्ति, मानसिक मंद व्यक्तियों व संरक्षकों के लिए यात्रा व दैनिक भत्ते की प्रतिपूर्ति, दवाइयों का मुफ्त वितरण, अभिभावकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम, आदि, शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के दौरान आयोजित गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है-

- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा का सेन्ट्रल सेक्टर स्कालरशिप योजना में दिये गये मानदंड के अनुसार दीर्घावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राप्त कर रहे संस्थान के विद्यार्थियों को शुल्क, रहन-सहन के खर्च की प्रतिपूर्ति, पुस्तकें व लैपटॉपों का मुफ्त वितरण।
- राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में पंजीकृत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के क्लाईंटों को दवाइयों का वितरण/ दवाई खर्च की प्रतिपूर्ति
- स्पेशल स्कूल / समूह क्रियाकलाप को आने वाले बच्चों को ट्यूशन फी, परिवहन खर्च, युनीफार्म तथा पुस्तकों के लिए खर्च की प्रतिपूर्ति
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यावसायिकों को कम्प्युटर सहायता अनुदेश (सी.ए.आई) पैकेज तथा ई-साध्य साफ्टवेयर में प्रशिक्षण

11.3.1 अ.ज./ अ.ज.जा. व्यावसायिकों के लिए एसटीपी

वर्ष 2015-16 के दौरान, कंप्युटर सहायता अनुदेशन (सीएआई) तथा ई-साध्य पर आठ एस.टी.पी. का आयोजन किया गया जिससे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के 193 व्यावसायिक लाभान्वित हुए। वर्ष 2015-16 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण **तालिका 20** में दिया गया है।

तालिका 20: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यावसायिकों को कम्प्युटर सहायता अनुदेश (सी.ए.आई) पैकेज में प्रशिक्षण

क्र.	राज्य	प्रशिक्षण की तिथि	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल
1.	कर्नाटक	26-30 अक्तूबर 2015	16	5	21
2.	तमिलनाडु	16-20 नवम्बर 2015	17	0	17
3.	आँध्रप्रदेश व तेलंगाना	23-27 नवम्बर 2015	28	07	35
4.	गोवा एवं लक्षद्वीप तथा दक्षिणी राज्य	7-11 दिसम्बर 2015	25	06	31
5.	क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता	14-18 दिसम्बर 2015	26	01	27
6.	नोएडा, उत्तर प्रदेश	26-30 दिसम्बर 2015	11	---	11
7.	नोएडा, उत्तर प्रदेश	14-18 दिसम्बर 2015	25	04	29
8	असम, गुवाहाटी	14-20 अप्रैल, 2016	0	22	22
	सकल योग		**148**	**45**	**193**

11.3.2 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के बौद्धिक दिव्यांगजन को लैपटॉपों का वितरण

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए कल्याणकारी योजना के एक भाग के रूप में, एन.आई.ई.पी.आई.डी. ने कंप्यूटर सहायता अनुदेशन (सीएआई) पैकेज एवं ई-साध्य पैकेज इंस्टॉल किये हुए लैपटॉपों का अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के 553 बौद्धिक दिव्यांगजनों को वितरित किये। लैपटॉपों का राज्यवार वितरण विवरण **तालिका 20.1** में दिया गया है।

तालिका 20.1 : वर्ष 2015-16 के दौरान अ.ज./ अ.ज.जा. वर्ग के बौद्धिक अक्षम दिव्यांगजनों को लैपटॉपों का वितरण

क्र.	राज्य	स्थान	वितरण तिथियाँ	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल
1.	आँध्रप्रदेश	कर्नूल, नेल्लूर	14-07-2015 25-08-2015 03-01-2016	57	08	65
2.	छत्तीसगढ़	राजनन्दनगांव	25-6-2016	03	01	04
3.	गुजरात	राजकोट	17-03-2016 18-03- 2016	33	24	57
4.	झारखण्ड	धनबाद	25-08-2015	06	01	07
5.	मध्यप्रदेश	जबलपुर	25-08-2015	29	05	34
6.	महाराष्ट्र	नवी मुम्बई	16-10-2015	30	08	38
7.	मेघालय	ईस्ट खासी हिल्स	08-10-2015	----	10	10
8.	मिजोरम	आइजोल	11-03-2016 12-03- 2016	----	18	18
9.	ओडिसा	भुवनेश्वर	15-02-2016	08	----	08
10.	पंजाब	हरियाणा	03-12-2015 15-02-2016	169	----	169
11.	राजस्थान	राजस्थान	25-08-2015	12	----	12
12.	सिक्किम	गैंगटॉक	11-07-2015 16-04-2016	---	09	09
13.	तेलंगाना	एन.आई.ई.पी.आई.डी., सिकंदराबाद	31-07-2015	59	15	74
14.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ, वारणासी	04-09-2015 16-01-2016 22-01-2016	48	----	48
					कुल	553

11.4 विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने 3.12.2015 को आम जनता के लिए मुक्त दिवस के रूप में घोषित कर विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। जनता को विकलांगता, विशेषकर मानसिक मंदन की रोकथाम, प्रारंभिक पहचान एवं असर के बारे में सूचना दी। इसके अलावा, एन.आई.ई.पी.आई.डी. के विभिन्न क्रियाकलापों को भेंटकर्ताओं ने प्रत्यक्ष देखा। एन.आई.पी.आई.डी. के छात्रों व प्रशिक्षुओं के सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रदर्शन के साथ इस कार्यक्रम का समापन हुआ।

11.5 एन.आई.ई.पी.आई.डी. का वार्षिक दिवस समारोह

एन.आई.ई.पी.आई.डी. एवं उनके क्षेत्रीय केन्द्रों ने 32 वाँ वार्षिक दिवस मनाया। इस अवसर पर एन.आई.ई.पी.आई.डी. के मुख्यालय में शैक्षिक वर्ष 2014-15 के 3 छात्रों को अपने अपने दीर्घावधि कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों पर प्रशस्ति पत्र व योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए **(तालिका-21)**।

मेरिट प्रमाण पत्र प्राप्त करती सुश्री वाणी एम. नारायण, एम.फिल. की छात्रा

इस अवसर पर एन.आई.ई.पी.आई.डी., सिकन्दराबाद, के विशेष शिक्षा केन्द्र, के मानसिक मंद बच्चों व उनके अभिभावकों, विभिन्न दीर्घावधि पाठ्यक्रम प्राप्त कर रहें छात्रों व कर्मचारियों ने विभिन्न सांस्कृतिक क्रियाकलाप प्रस्तुत किए।

तालिका 21: दीर्घावधि शैक्षिक कार्यक्रम के प्रशस्ति व योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए विद्यार्थियों की सूची

क्र.सं.	विद्यार्थी का नाम व पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम	प्रशस्ति व योग्यता प्रमाण-पत्र का नाम
1.	सुश्री वीणा एम.नारायण	एम.फिल. पुनर्वास मनोविज्ञान	रूपलाल इन्द्रावती सेठ, स्वर्ण पदक, प्रशस्ति व योग्यता प्रमाण-पत्र, नकद पुरस्कार
2.	श्री युनुस एम.के.	एम.एड.स्पेशल एजुकेशन (एम.आर.)	नारायण ऑपरचुनिटी स्कॉलरशिप, प्रशस्ति पत्र, नकद पुरस्कार
3.	सुश्री जीवा सुसन जोस	डी.एड. स्पेशल एजुकेशन (एम.आर.)	डॉ.बी.डी.मेनन स्वर्ण पदक, प्रशस्ति पत्र एवं नकद पुरस्कार

11.6 इन्टर्नशिप

एन.आई.ई.पी.आई.डी. एवं क्षेत्रीय केन्द्र शैक्षिक संगठनों के विद्यार्थी, जो व्यावसायिक स्तर पर स्नातक एवं मास्टर्स कार्यक्रम कर रहें हैं, को विस्थापन सुविधाएँ दी जाती है। वर्ष 2015-16 में विभिन्न विभागों में विभिन्न संस्थानों के 528 विद्यार्थियों को इंटर्नशिप हेतु संस्थान के विभिन्न विभागों में विस्थापित किया गया।

11.7 पुरस्कार

डॉ.प्रतिभा करन्त को आटीज्म से ग्रस्त बच्चों के प्रशिक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2015 के लिए डॉ.रीता पेशावरिया ओरेशन अवार्ड एन.आई.ई.पी.आई.डी. सिकंदराबाद में 6.12.2015 को प्रदान किया गया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माननीय सचिव, श्री लव वर्मा इस अवसर पर मुख्य अतिथि रहे।

डॉ. रीता पेशावरिया आरेशन अवार्ड प्राप्त करती डॉ. प्रतिभा करंत

11.8 स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ भारत अभियान जो भारत सरकार एवं माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आरंभ किया गया एक स्वच्छता अभियान है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान एवं उसके क्षेत्रीय केन्द्र दो घंटे का समय निकालकर कैम्पस की सफाई कर रहे हैं एवं सभी कर्मचारी एवं दीर्घावधी पाठ्यक्रम प्राप्त कर रहे छात्र इस स्वच्छता अभियान में सक्रिय भाग ले रहे हैं।

11.9 प्रमुख व्यक्तियों की भेंट

- श्री लव वर्मा, सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने 36 वी महापरिषद् की बैठक में उपस्थित होने के लिए 6 दिसम्बर, 2015 को राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान की भेंट की।
- श्री मल्ला रेड्डी, संसद सदस्य, मलकाजगिरि, हैदराबाद ने 21वी विशेष कर्मचारियों की राष्ट्रीय बैठक का उद्घाटन करने हेतु 22 फरवरी, 2016 को राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान की भेंट की।

अध्याय 12

प्रशासन

12.1 स्टाफ की संख्या

भारत सरकार, कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालय, कार्मिक, जन-शिकायतें और पेंशन विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था (रेस.,) दिनांक 2.7.1997 के अनुसार संशोधित पद-आधारित रोस्टर को अपनाया गया तथा पालन किया गया। 31 मार्च, 2016 को पदों की कुल संख्या **तालिका 22 तथा 23** में दर्शायी गयी है। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान तथा क्षेत्रीय केन्द्रों व एन.आई.ई.पी.आई.डी. एम.एस.ई.सी., नई दिल्ली के अधिकारी व कर्मचारियों की सूची परिशिष्ट 9, पृष्ठ सं 72 पर दी गई है।

तालिका 22: एन.आई.ई.पी.आई.डी. सिकंदराबाद एवं क्षेत्रीय केन्द्र

क्र.	वर्ग	मंजूर की गई संख्या	भर्ती की गई कुल संख्या
1.	क	26	19
2.	ख	19	15
3.	ग	48	40
4.	घ	14	10
	कुल	**107**	**84**

तालिका 23: एन.आई.ई.पी.आई.डी. एम.एस.ई.सी., नई दिल्ली

क्र.	वर्ग	मंजूर की गई संख्या	भर्ती की गई कुल संख्या
1.	क	01	01
2.	ख	15	12
3.	ग	08	06
4.	घ	09	05
	कुल	33	24

12.2 नियुक्तियाँ / सेवा निवृत्तियाँ

नियुक्तियाँ

1. डॉ.मौसमी भौमिक को 17.4.2015 से विशेष शिक्षा में व्याख्याता पद पर नियुक्ति की गई।
2. डॉ.अमृता सहाय को पुनर्वास मनोविज्ञान में सहायक आचार्य पद पर 18.5.2015 से नियुक्त किया गया।
3. डॉ.मेरी अनुरूपा को 18.5.2015 से सहायक आचार्य, बालचिकित्सा पद पर नियुक्त किया गया।
4. श्री जी.श्रीनिवासुलु को व्यावसायिक परामर्श एवं रोजगार में व्याख्याता पद पर नियुक्त किया गया।
5. डॉ.आर.शिल्पा मनोज्ञा को विशेष शिक्षा में व्याख्याता पद के लिये 30.11.2015 को चुना गया।
6. डॉ.वी.श्रवण रेड्डी को मनश्चिकित्सा में सहायक आचार्य पद पर 1.12.2015 को नियुक्त किया गया।
7. श्री ए.जगन मोहन रेड्डी को संपदा अधिकारी पद पर 13.7.2015 को नियुक्त किया गया।
8. श्री टी.राजु को 9.11.2015 से विशेष शिक्षा शिक्षक पद पर नियुक्त किया गया।
9. श्री सुबेश चौधरी को 9.11.2015 से विशेष शिक्षा शिक्षक पद पर नियुक्त किया गया।
10. सुश्री के.मंजुला को एल.डी.सी. / टाईपिस्ट पद पर 22.5.2015 को नियुक्त किया गया।

11. श्रीमति जी.लक्ष्मी को 10.12.2015 से कनिष्ठ विशेष शिक्षा शिक्षक पद पर नियुक्त किया गया।

12. श्री जी.साईनाथ कुमार को 8.7.2015 से अटेन्डर (अनुकंपा नियुक्ति) पद पर नियुक्त किया गया।

सेवा निवृत्तियाँ / त्यागपत्र

1. श्रीमति विजयलक्ष्मी बहल, वरिष्ठ आक्युपेशनल थेरपिस्ट 30.11.2015 को सेवा निवृत्त हुई।

2. डॉ.टी.अनिता रेड्डी, पुनर्वास चिकित्सक का आ.आई.टी. हैदराबाद में साईकोलॉजिकल काउन्सेलर पद के लिए चयनित होने पर त्याग पत्र दिया।

3. श्री पी.वासु, एल.डी.सी. / टाईपिस्ट का 30.11.2015 को सेवानिवृत्त हुए।

4. श्री के.रमेश, एएओ ने 25.5.2015 को त्याग पत्र दिया अतएव वह अपने पेरेंट डिपार्टमेंट को वापिस चले गए ।

12.3 सतर्कता एकक के क्रियाकलाप एवं उपलब्धियाँ

भारत सरकार के निर्देश के अनुसार विभिन्न सतर्कता प्राधिकारियों को सतर्कता की त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक विवरणियाँ भेजी गई।

वर्ष 2015-16 के दौरान 26.10.2015 से 30.10.2015 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। मुख्य स्थानों पर भ्रष्टाचार विरोधी संदेश / पोस्टर्स लगाये गये और 26.10.2015 को प्रतिज्ञा ली गई। नारे लेखन, निबंध लेखन, अंग्रेजी, हिन्दी में संदेशों सहित पोस्टर तैयार करना, वक्तृता. स्किट जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

12.4 हिन्दी कार्यान्वयन

संस्थान, राजभाषा अधिनियम, नीति व नियमों का अनुपालन अपने मुख्यालय तथा दिल्ली, मुम्बई व कोलकाता में स्थित क्षेत्रीय केन्द्रों में एवं रा.मा.वि.सं. माडल स्पेशल एजुकेशन सेंटर, नई दिल्ली में क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हिन्दी को राजभाषा के रूप में प्रचार प्रसार करने के लिए तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्देशित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संस्थान ने विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनों के द्वारा हर संभव प्रयास किया।

1. नियमों का अनुपालन

वार्षिक कार्यक्रम 2014-15 पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में चर्चा की गई और सभी विभागों को परिचालित किया गया। वार्षिक कार्यक्रम में दिये गये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया गया। हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया गया और राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अधीन आने वाले कागजात, अर्थात्, सामान्य आदेश, ज्ञापन आदि द्विभाषी में जारी किये गये। जहाँ तक संभव हो, क तथा ख क्षेत्र को भेजे जाने वाले पत्र तथा ग क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्र द्विभाषी में भेजे गयें।

2. हिन्दी कार्यशालाएँ

संस्थान के अधिकारी व कर्मचारियों को राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 के बारे में अवगत कराने हेतु अवैधिक कार्यशालाएँ 30.6.2015, 6.10.2015, 30.12.2015 तथा 4.4.2016 को आयोजित की गई। संस्थान के अधिकारियों व कर्मचारियों ने इन कार्यशालाओं से लाभ उठाया।

3. राजभाषा कार्यान्वयन समिति

संस्थान के राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष संस्थान के निदेशक हैं तथा उपनिदेशक (प्र) हिन्दी कार्यान्वयन अधिकारी हैं। सभी विभागों व अनुभागों के प्रतिनिधि, हिन्दी कर्मचारी इस समिति के सदस्य हैं। समिति की बैठकें हर तिमाही में आयोजित की जाती हैं जिसमें राजभाषा क्रियान्वयन संबंधी विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाती है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें 26.6.2015, 30.9.2015, 28.12.2015 तथा 31.3.2016 को आयोजित की गई।

4. प्रशिक्षण

भारत सरकार के आदेशानुसार, संस्थान के कर्मचारियों को हिन्दी भाषा, टंकण तथा आशुलिपि में प्रशिक्षण हेतु केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान को भेजा जाता है।

5. हिन्दी पखवाड़ा समारोह

हिन्दी के प्रचार प्रसार हेतु तथा कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, हिन्दी पखवाडे का 14-28 सितम्बर, 2015 को आयोजन किया गया। इस पखवाडे के दौरान कर्मचारियों को राजभाषा नियमों के बारे में बताया गया। हिन्दी के प्रति रुचि बढ़ाने तथा भाषा की सरलता को समझने के लिए संस्थान के अधिकारियों के लिए निम्नलिखित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया- क) हिन्दी मुहावरें, ख) पारिभाषिक शब्दावली और वाक्य का अनुवाद ग) नोटिंग तथा ड्राफ्टिंग घ) हिन्दी टंकण, च) प्रश्नमंच।

प्रतियोगिताओं के विजेताओं को हिन्दी पखवाडा समापन समारोह के दौरान पुरस्कार वितरित किये गये।

6. आवधिक रिपोर्ट

संस्थान ने तिमाही तथा वार्षिक रिपोर्टों को निर्धारित प्रोफार्मा में समय पर मंत्रालय को भेजा। इसके अतिरिक्त, नागरिक चार्टर द्विभाषी में तैयार किया गया जबकि, प्रतिदिन एक हिन्दी शब्द सीखें योजना जारी है।

12.5 परिषद् की बैठकें

वर्ष 2015-16 में आयोजित परिषद् की बैठकें **तालिका 24** में दर्शायी गयी। प्रत्येक परिषद् के लिए नामित अभ्यर्थियों के नाम **परिशिष्ट 5, 6** पर दिये गये हैं। **(पृष्ठ सं 78-80)**

तालिता 24: वर्ष के दौरान आयोजित परिषद् की बैठकों का विवरण

क्र.	बैठकें	संख्या	दिनांक	स्थान
1	महापरिषद्	36	6.12.2015	एन.आई.ई.पी.आई.डी. मुख्यालय
2	कार्यकारिणी परिषद्	106	16.6.2015	नई दिल्ली
3	कार्यकारिणी परिषद्	107	10.10.2015	नई दिल्ली

12.6 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान वर्ष 2005 से ही सूचना का अधिकार अधिनियम को क्रियान्वित कर रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) (बी) के अनुसार आर.टी.आई. अधिनियम में दिये गये प्रावधान अनुसार संस्थान संबंधी सूचना वेबसाइट पर अपलोड की गई। संस्थान में वर्ग 'क' स्तर पर जनसूचना अधिकारी कार्यरत् है और वर्ग ख स्तर पर सहायक जनसूचना अधिकारी कार्यरत् हैं और वर्ग 'ख' स्तर पर अपीलेट अथारिटी नियमित हैं। इन अधिकारियों के अलावा, क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली, कोलकाता, तथा नवी मुम्बई के प्रभारी अधिकारी सहायक जनसूचना अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं जबकि एन.आई.ई.पी.आई.डी.. एम.एस.ई.सी. के प्रधानाचार्या सहायक जनसूचना अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। वर्ष 2015- 16 के दौरान आर.टी.आई. के अंतर्गत 64 आवेदन पत्र प्राप्त हुए और इनमें से 52 निपटाये गये।

12.8 संस्थान की समितियाँ

अपने क्रियाकलापों के संपादन के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के उपनियम में निम्नलिखित समितियों को निर्धारित किया है:

* महापरिषद् **(परिशिष्ट 5, पृष्ठ सं 78)**
* कार्यकारिणी परिषद् **(परिशिष्ट 6, पृष्ठ सं 80)**
* शैक्षणिक समिति **(परिशिष्ट 7, पृष्ठ सं 81)**
* एथिक्स समिति
* आंतरिक समिति
    - क्रय समिति
    - प्रशासनिक समन्वयन समिति
    - संवर्ग पुर्नविक्षण समिति
    - खान-पान प्रबंधन समिति
    - अध्ययनार्थ छुट्टी देने के लिए समिति
    - पाठ्यक्रम समन्वयक समिति
    - संपदा समिति
    - संकाय समन्वयन समिति
    - सामान्य सेवाएँ समिति
    - स्वास्थ्य समिति
    - आंतरिक शिकायत समिति
    - आई.टी.समिति
    - प्रंबधन पुनरीक्षण समिति
    - स्टाफ क्वार्टर्स समिति
    - विद्यार्थी समिति
    - निविदा खोलने की समिति
    - एन्टी रैगिंग समिति
    - परीक्षा समिति

मिथक : विवाह से बौद्धिक विकलांगता का इलाज हो सकता है।

वास्तव : विवाह से बौद्धिक विकलांगता का इलाज नहीं किया जा सकता है।

बौद्धिक अक्षम व्यक्ति का विवाह उनकी चिकित्सा स्थिति के बारे में सूचित करके साथी से पूर्ण सहमति लेकर करना चाहिए।

12.9 संपदा की गतिविधियाँ

क्र.	कार्य / स्थान का नाम	अनुमानित लागत	सी.पी.डबल्यु.डी. को भुगतान किया गया अग्रिम	वर्तमान स्थिति
1	एन.आई.ई.पी.आई.डी. मुख्यालय में लडके व लडकियों के लिए एस.सी./ एस.टी. हास्टल भवन का निर्माण	रु. 398.65 लाख	रु. 133 लाख	एस.सी. / एस.टी. हास्टल भवन का निर्माण आरंभ हुआ।
2.	एन.आई.ई.पी.आई.डी., नवी मुम्बई में क्षेत्रीय केन्द्र का निर्माण	रु. 1466.80 लाख	रु. 489 लाख	सिड़को द्वारा ड्राईंग प्रस्तुत किया और सी.पी.डबल्यु.डी. द्वारा एन.आई.टी. जारी किया गया।
3	एन.आई.ई.पी.आई.डी. सी. आर.सी. के लिए प्रशासन भवन का वेंकटाचलम मंडल, नेल्लूर जिला (आँ.प्र) में निर्माण	रु. 1717.03 लाख	रु. 572.34 लाख	कार्य सौंपा गया और आरंभ किया गया।

सिपडा के अंतर्गत बौद्धिक दिव्यांगजन के लिए व्यावसायिक क्रियाकलाप

अध्याय 13

लेखें तथा वित्त

वर्ष 2013-14 तथा 2014-15की तुलना में वर्ष 2015-16 के लिए संस्थान की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है-

तालिका 25: संस्थान की वित्तीय स्थिति (रुपये लाखों में)

	विवरण	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16
1.	आदि शेष	(क) योजना निधि	--	248.62	199.12
		(ख) पूर्वोत्तरी क्रियाकलाप	82.13	125.65	71.01
		(ग) एडिप क्रियाकलाप	104.23	45.68	2.00
		(घ) पेंशन खाता	272.06	268.56	291.98
		(च) अन्य	268.08	288.56	437.55
2.	मंत्रालय से अनुदान	**कुल(क+ख+ग+घ+च)**	**726.50**	**977.07**	**1,001.66**
		(क) योजना	1170.00	840.00	1531.00
		(ख) योजनेतर	482.00	590.00	630.00
		(ग) पूर्वोत्तरी क्रियाकलाप	90.00	0.00	120.00
		(घ) एडिप	75.00	40.15	162.50
		कुल(क+ख+ग+घ)	**1,817.00**	**1470.15**	**2,443.50**
3.	अन्य स्रोतों से प्राप्तियाँ-				
	अन्य ऋण एवं अग्रिम		245.56	446.97	1,299.91
4.	अर्जित ब्याज		24.35	92.13	46.49
5.	आंतरिक प्राप्तियाँ		86.04	117.43	114.84
		सकल योग (1+2+3+4+5)	**2,945.27**	**3,103.75**	**4,906.40**
6.	खर्च	(क) योजना	833.49	946.46	1,574.45
		(ख) पूर्वोत्तरी क्रियाकलाप	134.37	54.64	160.98
		(ग) योजनेतर	450.77	508.03	512.49
		(घ) एडिप क्रियाकलाप	137.63	86.59	169.51
		(च) पेंशन भुगतान	166.79	162.15	188.12
		(छ) अन्य	245.15	344.22	1,331.53
		कुल(क+ख+ग+घ+च+छ)	**1,968.20**	**2,102.09**	**3,937.08**
7.	उपलब्ध शेष राशि	(क) योजना निधि	248.62	199.12	155.66
		(ख) पूर्वोत्तरी क्रियाकलाप	125.65	71.01	30.03
		(ग) एडिप क्रियाकलाप	45.68	2.00	1.34
		(घ) पेंशन खाता	268.56	291.98	410.63
		(च) अन्य	288.56	437.55	371.66
		कुल(क+ख+ग+घ+च)	**977.07**	**1,001.66**	**969.32**

वर्ष 2015-16 के दौरान, संस्थान को रु. 4,906.40 लाख रुपये, आदि शेष सहित, प्राप्तियों के रूप में प्राप्त हुए जिनका सार्वजनिक बैंकों में संस्थान के बचत खातों में जमा करवाया गया। रु. 4,906.40 लाख रूपयों में से 3,937.08 लाख रुपयों को योजना, गैर योजना तथा अन्य गतिविधियों के उद्देश्यों के अनुसार योजनाबद्ध कार्यक्रमों के लिए वर्ष 2015-16 के दौरान खर्च किया गया और शेष राशि रु.969.32 लाख रुपये रही।

31.3.2016 तक का तुलन पत्र, 2015-16 वर्ष के लिए आय तथा व्यय खाता, वर्ष 2015-16 का प्राप्तियाँ तथा भुगतान खाता लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र सहित संलग्न है।

महानिदेशक लेखापरीक्षा(केंद्रीय) का कार्यालय
सैफाबाद, हैदराबाद-500004.
OFFICE OF THE
DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (CENTRAL)
SAIFABAD, HYDERABAD - 500 004.

No.DGA(C)/CEA/Unit-V/NIMH/SAR.2015-16/ 211 21 November 2016

सेवा में,
सचिव महोदय,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
डॉ.राजेन्द्र प्रसाद रोड, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली 110 001

महोदय,

विषय: राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एन.आई.ई.पी.आई.डी.) (पूर्व में एन.आई.एम.एच.), सिकंदराबाद के वर्ष 2015-16 के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

*****

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एन.आई.ई.पी.आई.डी.) (पूर्व में एन.आई.एम.एच.), सिकंदराबाद के वर्ष 2015-16 के वर्ष 2015-16 के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, पृथक लेखा परीक्षा के अनुबंध एवं वर्ष 2015-16 के लिए संस्थान के वार्षिक लेखों की प्रति संसद के सामने पेश करने हेतु अग्रेषित किया जा रहा है। संसद के दोनों सदनों में पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथियाँ हमें सूचित करें।

इस पत्र संलग्नकों सहित प्राप्ती की सूचना भेज दें।

सं. : यथोपरि
भवदीय
ह/-

महानिदेशक लेखापरीक्षा(केंद्रीय)

प्रति: सुश्री जान्हवी ए.वर्रा, निदेशक(प्रभारी), राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एन.आई.ई.पी.आई.डी.) (पूर्व में एन.आई.एम.एच.), मनोविकास नगर, सिकंदराबाद- 500 009 को वर्ष 2015-16 के वार्षिक लेखों की एक प्रति (अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति इस अनुरोध के साथ भेजा जा रहा है कि, वार्षिक लेखें 2015-16 की अनुमोदित हिन्दी संस्करण की एक प्रति इस कार्यालय को भेजें।

सं. यथोपरि

ह/-
उपनिदेशक/ कें.व्य.ले.प.

Phone Nos. : 040-23236811 to 23236819 E-mail : pdachyderabad@cag.gov.in Fax No. : 040-23232294

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एन.आई.ई.पी.आई.डी.) (पूर्व में एन.आई.एम.एच.),, सिकंदराबाद के 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

हमने, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के (सेवा की विधियाँ, अधिकार तथा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एन.आई.ई.पी.आई.डी.) (पूर्व में एन.आई.एम.एच.),, सिकंदराबाद के 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए संलग्न तुलन पत्र तथा वर्ष की समाप्ति के आय व व्यय खाता / प्राप्तियाँ तथा भुगतान खाता का लेखा परीक्षण किया है। वर्ष 2018-19 तक की अवधि के लिए लेखापरीक्षण का कार्य हमें सौंपा गया। इन वित्तीय विवरणों में कोलकाता, नई दिल्ली, नवी मुम्बई में स्थित तीन क्षेत्रीय केन्द्रों तथा आदर्श विशेष शिक्षा केन्द्र के लेखें भी सम्मिलित हैं। इन वित्तीय विवरणों को बनाना संस्थान के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इन वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है।

2. इस अलग लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में लेखों के वर्गीकरण, अच्छी लेखा नीतियों की अनुरूपता, लेखा बहियों के मानक, प्रकटीकरण मानक, आदि पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ होंगी। वित्तीय कार्य सम्पादनों पर लेखा परीक्षा अवलोकन विधि (स्वामित्व व नियमितता) के नियम व शर्तें तथा कार्य क्षमता -बनाम-निष्पादन पहलू, आदि के अनुपालन के संबंध में, यदि कोई हो तो, निरीक्षण प्रतिवेदन / सी.ए.जी. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन द्वारा अलग से रिपोर्ट की गई है।

3. हमने, भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा का संचालन किया है। वित्तीय विवरणियों के वास्तविक त्रुटियों से मुक्त होने के उचित आश्वासन पाने के लिए हमें योजना बनाकर लेखा परीक्षा करने की इन मानकों की आवश्यकता है। लेखा परीक्षा में, उपयोग में लाए गए लेखा सिध्दांत और प्रबंधन द्वारा तैयार की गई विशिष्ट विवरणियाँ और साथ ही साथ वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हम यह मानते हैं कि हमारा लेखा परीक्षा हमारे राय के लिए एक उचित आधार बनता है।

4. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि,

i. हमने लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक समस्त सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक है।

ii. इस प्रतिवेदन के लिए तुलन पत्र, आय-व्यय लेखा / प्राप्ति तथा भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रारूप में दर्शाये गये हैं।

iii. हमारी राय में, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एन.आई.ई.पी.आई.डी.) (पूर्व में एन.आई.एम.एच.),, सिकंदराबाद की वित्त उपविधि 6 के अंतर्गत आवश्यक उचित लेखा बहियों और अन्य संबध्द अभिलेखों का राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान द्वारा निर्वाहण किया गया है जो हमारे द्वारा इन पुस्तकों / बहियों के परीक्षण से प्रकट होता है।

iv. हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि,

1.4 लेखों पर टिप्पणियाँ

क) तुलन - पत्र

क1) दायित्व

क1.1 वर्तमान दायित्व एवं प्रावधान: रु.14.96 करोड (अनुसूची-7)

क.1.1.1 इसमें मार्च 2016 महीने के बिजली खर्च तथा टेलिफोन खर्च के रु.1.83 लाख रुपयों की देयता का प्रवधान शामिल नहीं किया गया है। परिणाम स्वरूप, वर्तमान दायित्व तथा प्रावधान एवं व्यय का प्रत्येक 1.83 लाख रुपयों की न्यूनोक्ति हुई। डिफिसिट (घाटे) का भी 1.83 लाख रुपयों की न्यूनोक्ति हुई।

क2) आस्तियाँ

क 2.1 : स्थिर आस्तियाँ रु.15.84 करोड (अनुसूची 8)

क2.1.1 इसमें, उपकरण, जर्नलों, फर्नीचर तथा कम्प्युटरों की खरीदी के लिए खर्च किया गया रु.4,32,487/-की राशि सम्मिलित नहीं किया गया जिसे राजस्व खर्च में बताया गया है। इसके परिणाम स्वरूप में स्थिर आस्तियों की रु.4,32,487/- राशि की न्यूनोक्ति हुई। इसका परिणाम स्वरूप में मूल्यह्रास की भी रु.1,37,761/- राशि की न्यूनोक्ति तथा डिफिसिट की रु.2,94,726/- राशि (रु.4,32,487-रु.1,37,761) की अत्योक्ति हुई।

क.2.1.2 पुस्तकालय के पुस्तकों पर मूल्यह्रास का छ: महीने के स्थान पर पूरे एक वर्ष के लिए गलत रूप से प्रावधान किया गया है (रु.11,147/-)। इसका अंतर / रु.5573/- राशि का मूल्यह्रास का अधिक प्रावधन के परिणाम स्वरूप में रु.0.06 लाख रूपयों का व्यय और डिफिसिट की अत्योक्ति हुई।

क.2.2 चालू आस्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम, आदि : रू. 27.61 करोड (अनुसूची 11)

क.2.2.1 इसमें क्षेत्रीय केन्द्र, नेल्लूर में नया पावर कनेक्शन के लिए भुगतान किये गये रु.20,000/- सुरक्षा जमा शामिल नहीं किया गया, इसका आय तथा व्यय खाते के अनुसूची 20 बी में दर्शाया गया है। इसका परिणाम चालू आस्तियों का न्यूनोक्ति हुआ और आय तथा व्यय खाते में रु.20,000/- का व्यय एवं डिफिसिट में अत्योक्ति हुआ।

बी. आय तथा व्यय खाता

बी.1: व्यय रु.9.35 करोड

बी.1.1: इसमें दिसम्बर 2011 महीने के लिए हाउज कीपिंग सेवाओं के लिए तथा मार्च 2015 महीने के टेलीफोन खर्च रु.3,63,593/- की राशि सम्मलित है (पूर्वावधि व्यय)। इसका परिणाम चालू वर्ष में रु.3,63,593/- राशि का व्यय का अत्योक्ति और पूर्वावधि व्यय का न्यूनोक्ति हुई।

सी. साधारण

1. एन.आई.ई.पी.ई.डी. के 2012 के लेखा नीतियों के पैरा 6.0 के अनुसार बिजली स्थापना के लिए 15 % मूल्यह्रास का प्रावधान करना चाहिए था, परन्तु 10% का मूल्यह्रास दिया गया। यह इसकी खरीद की तारीख से सुधारने की जरूरत है।

2. एन.आई.ई.पी.ई.डी. के 2012 के लेखा नीतियों के 5.4 के अनुसार, फिक्स्चस्र् को राजस्व खर्च के रूप में गलती से दिखाया गया जिसका पूँजी खर्च में 100% मूल्यह्रास के रूप में दर्शाना चाहिए, जिसे सुधारना है।

डी. सहायता अनुदान: वर्ष के दौरान प्राप्त रु.22.81 करोड का कुल सहायता अनुदान में से (योजना रु.16.51 करोड, योजनेतर रु.6.30 करोड), अन्य प्राप्तियों सहित रु.1.68 करोड(1) एवं प्रमाणित किया हुआ अनुप्रयुक्त शेष रु.4.87 करोड राशि जो पिछले वर्ष का है, कुल मिलाकर रु.29.36 करोड में से, संस्थान ने रु.19.80 करोड(2) खर्च किया, जिससे 31 मार्च 2016 को रु.9.56 करोड रुपयों का अनुप्रयुक्त शेष राशि रहा।

---

1. (i) ऋणों की वसूली (ब्याज सहित) स्टाफ से रु.15,87,412/-, (ii) योजना तथा योजनेतर निधियों पर अर्जित ब्याज : रु.37,67,584/-, तथा (iii) आंतरिक रसीद: रु.1,14,83,742/- कुल रु. 1,68,38,738/-

2. योजना (सामान्य, अ.ज.,अज.जा, वेतन तथा पूर्वोत्तरी सेवाएँ) रु.11.09 करोड/- तथा योजना-पूँजी रु.0.59 करोड, कुल 11.68 करोड तथा योजनेतर रु. 8.12 करोड, सकल योग रु. 19.80 करोड।

ग) प्रबंधक पत्र

पृथक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन में शामिल नहीं की गई त्रुटियों को निदेशक, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, (एनआईईपीईडी) (पूर्व एनआईएमएच), सिकंदराबाद को प्रतिविधिक / सुधार की कार्यवाही के लिए अलग से प्रबंधक पत्र के जरिये सूचित किये गये।

v. पूर्वोपरि पैराओं में दी गई टीका टिप्पणियों के सिवाय, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में दर्शाये गये तुलन पत्र तथा आय व व्यय लेखा/ प्राप्ति व भुगतान लेखा, लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

vi. जानकारी के अनुसार तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त लेखा नीतियाँ, लेखों पर टीका - टिप्पणी के साथ पठित उक्त वित्तीय कथन और उपरोक्त मुख्य विषयों के अधीन तथा उपबंध में उल्लिखित अन्य विषय, भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखा सिध्दांतों के अनुरूप तथ्यपरक और निष्पक्ष आकलन प्रस्तुत करते हैं :

क) जहाँ तक राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, (एनआईईपीईडी) (पूर्व एनआईएमएच), सिकंदराबाद की दिनांक 31 मार्च, 2016 के तुलन पत्र उसके कार्यों का संबंध है; और

ख) जहाँ तक उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए घाटे के आय तथा व्यय लेखें से उनका संबंध है।

22/11/16

ह/-

महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय)

एन.आई.ई.पी.आई.डी. एसएआर / 2015-16

अनुबंध

1. **आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति की पर्याप्तता :** संस्थान का आंतरिक लेखा चार्टड अकाउन्टेंट फर्म को सौंपा गया जिन्होने वर्ष का लेखा परीक्षण पूरा किया।

2. **आंतरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता :** आंतरिक नियंत्रण अपर्याप्त है क्योंकि जाना हुआ दायित्व के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया और पूँजी व्यय को राजस्व व्यय के रूप में माना गया।

3. **स्थिर आस्तियों की प्रत्यक्ष सत्यापन की पद्धति:** वर्ष 2015-16 के लिए स्थिर आस्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया।

4.**इन्वेन्टरी की प्रत्यक्ष सत्यापन की पद्धति :** वर्ष 2015-16 के लिए इनवेन्टरी का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया।

5.**सांविधिक देयता के भुगतान में नियमितता :** संस्थान नियमित रूप से सांविधिक देयता जमाकर रहा है।

उपनिदेशक / कें.व्य.ले.प.

वित्तीय विवरणी का प्रारूप (गैर लाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद (पूर्व मे: एन.आई.एम.एच.)
31 मार्च 2016 का तुलन पत्र

(राशी रुपयों मे)

	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
कार्पस / पूँजी निधि और दायित्व			
कार्पस / पूँजी निधि	1	227,590,853	163,404,153
परिरक्षित और अधिशेष	2	0	0
उद्दिष्ट / धर्मदाय निधियाँ	3	91,851,073	51,732,961
प्रतिभूत ऋण और उधार राशियाँ	4	0	0
अप्रतिभूत ऋण और उधार राशियाँ	5	0	0
अस्थगित जमादेनदारियाँ	6	0	0
चालू देनदारियाँ व प्रावधान	7	149,582,221	140,685,488
जीपीएफ अधिशेष		1,042,633	668,107
कुल		**470,066,780**	**356,490,709**
आस्तियाँ			
स्थिर आस्तियाँ	8	158,350,895	163,568,047
जोडें- आस्तियों में पूर्वावधि समायोजन			
उद्दिष्ट / धर्मदाय से निवेश	9	1,581,811	1,571,380
निवेश - अन्य	10	33,992,724	24,192,724
चालू आस्तियाँ, ऋण, अग्रिम, आदि	11	276,141,350	167,158,558
विविध व्यय (बट्टे खाते या समायोजित न किये जाने की सीमा तक)			
जीपीएफ डेफिसिट		0	0
कुल		**470,066,780**	**356,490,709**
उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ	24		
फुटकर देनदारियाँ और लेखों पर टिप्पणियाँ	25		

ह/-
लेखाधिकारी

ह/-
उपनिदेशक(प्र)

ह/-
निदेशक

वित्तीय विवरणी का प्रारूप (गैर लाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद (पूर्व मे: एन.आई.एम.एच.)
31 मार्च 2016 को समाप्त अवधि के लिए आय तथा व्यय खाता

(राशी रुपयों मे)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
विक्रय / सेवाओं से आय	12	1,815,295	1,570,931
अनुदान / आर्थिक सहायता	13	72,669,790	59,000,000
फीस / चंदे	14	8,182,426	7,729,215
निवेशों से आय (उद्देश्ट / धर्मदाय निधियों से अंतरित निधियाँ)	15	0	0
रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	747,574	793,801
अर्जित ब्याज	17	7,158,121	7,151,823
अन्य आय	18	1,036,447	1,592,684
तैयार मालों और चालू वर्ष कार्य में बढ़ाव / घटाव	19	-1,228,921	-1,002,902
पूर्व अवधि समायोजन		**0**	**0**
कुल (ए)		**90,380,732**	**76,835,552**
व्यय			
कार्यक्रम व सेवाओं पर खर्च	20	57,114	77,384
स्थापना खर्च	20 ए	70,728,912	68,003,245
अन्य कार्यक्रमों पर खर्च	20 बी	849,054	0
अन्य प्रशासनिक खर्च, आदि	21	6,311,489	6,351,248
अनुदान / आर्थिक सहायता, सब्सिडी), पर व्यय	22	0	0
ब्याज	23	0	0
ह्रास (वर्ष के अंत तक कुल नेट - अनुसूची 8 के अनुरूप)		15,566,794	16,584,521
पिछले वर्ष का समायोजन		**0**	**0**
कुल (बी)		**93,513,363**	**91,016,398**
व्यय के ऊपर अधिक आय का शेष राशि (ए-बी)			
स्पेशल रिजर्व को आंतरण			
सामान्य रिजर्व को / से आंतरण			
अधिशेष(डिफिसिट) के रूप में शेष राशि		**-3,132,631**	**-14,180,846**
कार्पस / पूँजी निधि को ले जाया गया			
उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ	24		
लेखों पर फुटकर देयताएँ और टिप्पणियाँ	25		

ह/-
लेखाधिकारी

ह/-
उपनिदेशक(प्र)

ह/-
निदेशक

संगठन का नाम : राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद (पूर्व मे: एन.आई.एम.एच.)

रसीद तथा भुगतान खाता वर्ष 2015-16

रसीद	2015-16	2014-15	भुगतान	2015-16	2014-15
को			से		
आदि शेष	रु.	रु.	योजना साधारण	रु.	रु.
क. हाथ रोकड	15,000	24,935	मानव संसाधन विकास	16,820,231	15,888,652
ख) योजना व योजनेतर, साधारण खाता	70,753,484	66,257,718	अनुसंधान एवं विकास	0	0
ग) पेंशन तथा ग्रैचुइटी निधि खाता			सेवाएँ	9,700,934	7,497,377
(i) स्थिर जमा	24,192,724	20,002,000	परामर्शी सेवाएँ	859,346	2,658,402
(ii) बचत खाता	5,004,088	6,853,902	प्रलेखन तथा प्रचार	1,197,459	1,631,322
घ) एडिप योजना	200,125	4,568,084	विस्तार तथा आउटरीच सेवाएँ	648,379	1,186,320
			बुनियादी ढ़ांचे के रखरखाव	15,506,876	13,300,910
सहायता अनुदान			सी.पी.डबल्यु.डी. कार्यों के लिए अग्रिम	0	2,000,000
			योजना - वेतन शीर्ष	23,987,270	5,000,000
योजना शीर्ष	165,100,000	84,000,000	अ.ज. घटक	19,730,900	4,511,145
योजनेतर शीर्ष	63,000,000	59,000,000	अ.ज.जा. घटक	5,746,472	2,412,510
एन.आई.एम.एच. एडिप योजना	16,250,000	4,015,000	पूर्वोत्तरी सेवाएँ	16,098,267	5,463,933
			जागरूकता निर्माण निधि	2,030,501	0
विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अनुदान	71,432,016	16,471,730	कौशल विकास प्रशिक्षण	552,931	0
			पूँजी मद		
अन्य रसीद			भूमि	647,248	783,732
			भवन	0	0
कर्मचारियों से ऋण/अग्रिम की वसूली	1,587,412	1,725,914	सी.पी.डबल्यु.डी. कार्यों के लिए अग्रिम	122,982,394	5,832,725
समायोजन के लिए अन्य रसीद	27,096,900	12,643,359	उपकरण	2,987,371	2,402,214
			फर्नीचर	661,853	6,423,164
प्राप्त ब्याज			परिवहन वाहन	0	0
योजना व योजनेतर खाता	3,767,584	4,235,552	पुस्तकालय के पुस्तकें	949,607	76,583
पी व जी निधि खाते पर ब्याज	803,136	4,698,874	एडिप योजना	18,667,206	8,659,476
एडिप खाते पर ब्याज	78,082	278,181	वसूली योग्य / समायोज्य अग्रिम	52,729,638	34,330,463
			योजनेतर व्यय		
आंतरिक रसीद	11,483,742	11,742,531	वेतन, मजदूरी व भत्ता	45,609,168	64,560,630
			पेंशन व ग्रैचुइटी	18,812,257	16,214,959
पी व जी निधि खाते को आंतरण	29,875,337	13,856,995	कर्मचारियों को ऋण व अग्रिम	191,025	292,625
			समर्थन सेवाएँ	5,901,484	2,049,407
			कंटिजेंट व्यय	2,337,689	1,104,813
			अन्य कार्यालय व्यय	8,351,795	5,927,992
			नकद व बैंक आदिशेष		
			क. हाथ रोकड	16,360	15,000
			ख. योजना व योजनेतर खाता	54,609,128	70,753,484
			ग. पेंशन व ग्रैचुइटी खाता		
			(i) स्थिर जमा	33,992,724	24,192,724
			(ii) बचत खाता	8,179,246	5,004,088
			घ. एडिप योजना	133,871	200,125
कुल रु.	490,639,630	310,374,775		490,639,630	310,374,775
जीपीएफ व एनपीएस खाता					
आदि शेष			अग्रिम व वापसी	10,325,355	11,312,276
(i) स्थिर जमा	51,078,208	46,207,045	बैंक खर्च	0	0
(ii) बचत खाता	5,439,225	4,479,242	अंत शेष		
प्राप्त अंशदान व वसूली	9,889,330	11,743,894	(i) स्थिर जमा	51,078,208	51,078,208
अर्जित ब्याज	564,471	5,399,528	(ii) बचत खाता	5,567,671	5,439,225
सकल योग	557,610,864	378,204,484		557,610,864	378,204,484

ह/-
लेखाधिकारी

ह/-
उपनिदेशक(प्र)

ह/-
निदेशक

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान

ऑर्गनाईजेशन चार्ट

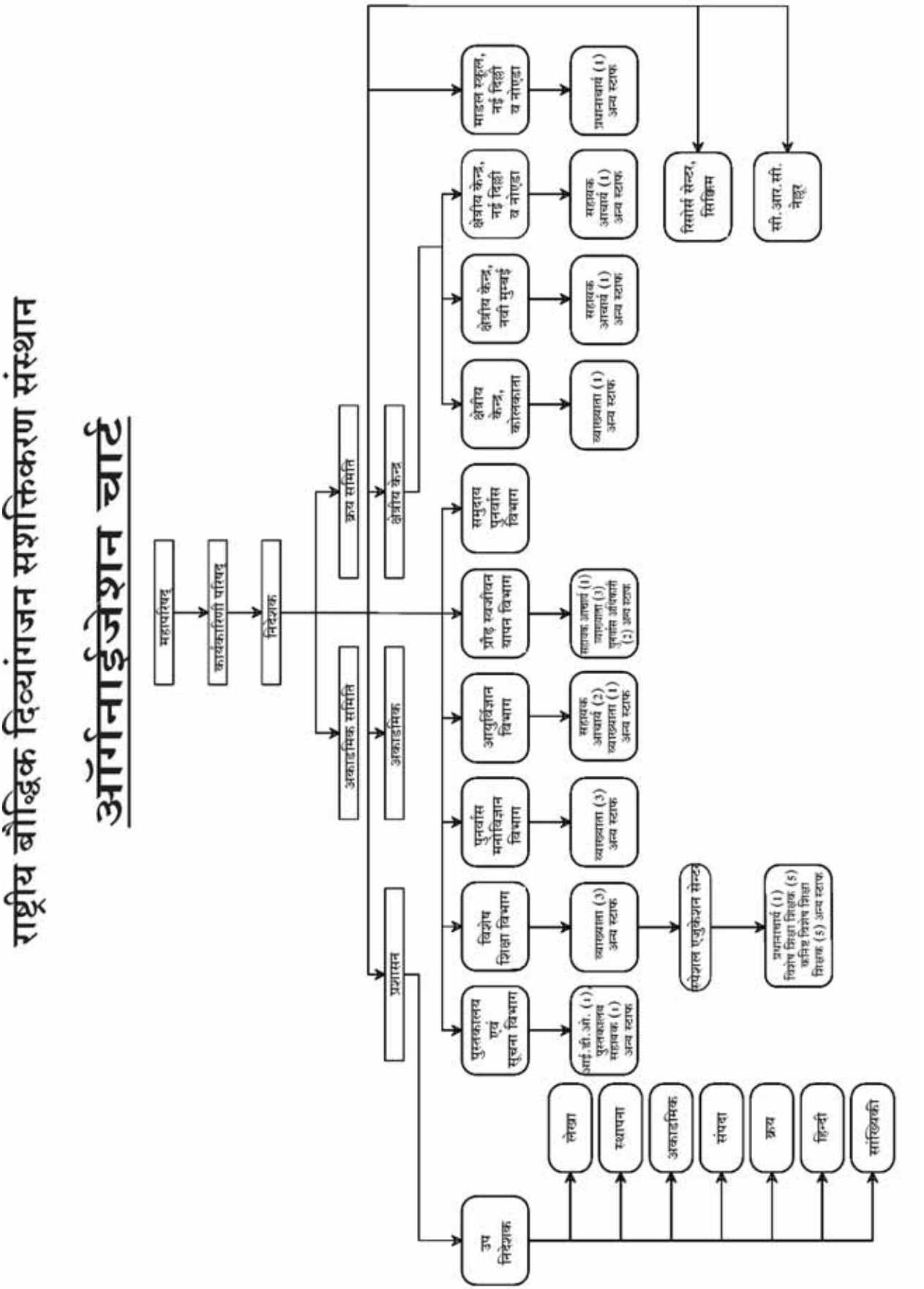

परिशिष्ट 2

एन.आई.ई.पी.आई.डी. अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम 2015-16

क्र	प्रशिक्षण कार्यक्रम	अवधि	दिनांक	लाभार्थियों की संख्या	आयोजक
1	ए.पी.जुडिशियल अकादमी, सिकंदराबाद के कनिष्ठ अफसरों के लिए विकलांगता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	1	30.04.2015 30.04.2015	42	एन.आई.ई.पी. आई.डी., मुख्यालय
2	बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के समाभासियों के लिए सहपाठचर्या क्रियाकलाप	5	11.05.2015 15.05.2015	20	एन.आई.ई.पी.आई. डी., मुख्यालय
3	बौद्धिक दिव्यांगजन के अभिभावकों का प्रशिक्षण पर एसटीपी	5	8.6.2015 12.6.2015	25	एन.आई.ई.पी.आई. डी., मुख्यालय
4	मनोवैज्ञानिक मूल्यांगन पर प्रमाण पत्र कार्यक्रम	28	3.8.2015 28.8.2015	12	एन.आई.ई.पी.आई. डी., मुख्यालय
5	व्यावसायिक प्रशिक्षण व रोजगार में विज्ञान तथा तकनीक लागू पर अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	17.08.2015 21.08.2015	24	एन.आई.ई.पी.आई. डी., मुख्यालय
6	दिव्यांगजन को संप्रेषण प्रशिक्षण में थियोटर आर्ट्स	5	24.08.2015 28.08.2015	48	एन.आई.ई.पी.आई. डी., मुख्यालय
7	व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं रोजगार	5	31.08.2015 04.09.2015	38	एन.आई.ई.पी.आई. डी., मुख्यालय
8	सहोदर प्रशिक्षण में मास्टर प्रशिक्षको के प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	7.09.2015 11.09.2015	39	एन.आई.ई.पी.आई. डी., मुख्यालय
9	आटीज्म में संप्रेषण पहलू	5	12.10.2015 16.10.2015	43	एन.आई.ई.पी.आई. डी., मुख्यालय
10	सी.डैक तथा एन.आई.ई.पी.आई.डी. सॉफ्टवेयर पैकेजों पर अ.ज./ अ.ज.जा. व्यावसायिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, कर्नाटक	5	26.10.2015 30.10.2015	28	एन.आई.ई.पी.आई. डी., मुख्यालय
11	प्रारंभिक हस्तक्षेप पर व्यावसायिकों के लिए एसटीपी	5	23.11.2015 27.11.2015	21	एन.आई.ई.पी.आई. डी., मुख्यालय
12	सी.डैक तथा एन.आई.ई.पी.आई.डी. सॉफ्टवेयर पैकेजों पर अ.ज./ अ.ज.जा. व्यावसायिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी	5	16.11.2015 20.11.2015	17	एन.आई.ई.पी.आई डी., मुख्यालय
13	बौद्धिक अक्षम किशोर व्यक्तियों का पोस्ट स्कूल की तैयारी पर एसटीपी	5	16.11.2015 20.11.2015	32	एन.आई.ई.पी.आई. डी., मुख्यालय
14	सी.डैक तथा एन.आई.ई.पी.आई.डी. सॉफ्टवेयर पैकेजों पर अ.ज./ अ.ज.जा. व्यावसायिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, तेलंगाना, आँध्रप्रदेस	5	23.11.2015 27.11.2015	35	एन.आई.ई.पी.आई. डी., मुख्यालय
15	आटीज्म में संप्रेषण पहलू	5	30.11.2015 4.12.2015	15	एन.आई.ई.पी.आई. डी., मुख्यालय
16	व्यवहार परिवर्तन पर अल्पकालीन कार्यक्रम	5	7.12.2015 11.12.2015	25	एन.आई.ई.पी.आई. डी., मुख्यालय

क्र	प्रशिक्षण कार्यक्रम	अवधि	दिनांक	लाभार्थियों की संख्या	आयोजक
17	सी.डैक तथा एन.आई.ई.पी.आई.डी. सॉफ्टवेयर पैकेजों पर अ.ज./ अ.ज.जा. व्यावसायिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, गोवा, लक्षद्वीप	5	7.12.2015 11.12.2015	31	एन.आई.ई.पी.आई.डी., मुख्यालय
18	संत फ्रैंसिस कॉलेज फार विमेन, हैदराबाद में विद्यार्थियों के लिए व्यवहार परिवर्तन पर कार्यशाला	2	17.12.2015 18.12.2015	15	एन.आई.ई.पी.आई.डी., मुख्यालय
19	मेंटल रिटार्डेशन में मेडिकल तथा साइकियाट्रिक पहलू	5	04.01.2016 08.01.2016	13	एन.आई.ई.पी.आई.डी., मुख्यालय
20	व्यावसायिक पुनर्वास मार्ग तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना पर एसटीपी	5	11.01.2016 15.01.2016	12	एन.आई.ई.पी.आई.डी., मुख्यालय
21	सहायक तकनीक तथा अभिगम्य वातावरण पर अल्प कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	01.02.2016 05.02.2016	30	एन.आई.ई.पी.आई.डी., मुख्यालय
22	पुनर्वास में परामर्श पर अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	15.02.2016 19.02.2016	39	एन.आई.ई.पी.आई.डी., मुख्यालय
23	बी.एच.एस.सी.विद्यार्थियों के लिए प्रारंभिक पहचान तथा अंतराक्षेपण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, धारवाड	28	21.02.2015 15.01.2015	19	एन.आई.ई.पी.आई.डी., मुख्यालय
24	व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार पर एसटीपी	5	29.02.2016 04.03.2016	28	एन.आई.ई.पी.आई.डी., मुख्यालय
25	प्रौढ़ मानसिक मंद व्यक्तियों में कार्य व्यवहार पर एसटीपी	5	07.03.2016 11.03.2016	21	एन.आई.ई.पी.आई.डी., मुख्यालय
26	मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास पर एसटीपी	5	14.03.2016 18.03.2016	45	एन.आई.ई.पी.आई.डी., मुख्यालय
27	सी.डैक तथा एन.आई.ई.पी.आई.डी. सॉफ्टवेयर पैकेजों पर अ.ज./ अ.ज.जा. व्यावसायिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, असम	5	14.03.2016 18.03.2016	19	एन.आई.ई.पी.आई.डी., मुख्यालय
28	विशेष शिक्षा अभ्यासों में प्रमाण आधारित प्रलेखीकरण	5	21.03.2016 26.03.2016	30	एन.आई.ई.पी.आई.डी., मुख्यालय
29	दिव्यांगजन के लिए रोजगार योग्य बनाने के कौशल	5	08.06.2015 12.06.2015	31	एम.एस.ई.सी.
30	अधिगम के लिए इन्क्लूजन तथा युनिवर्सल डिजाईन	5	10.08.2015 14.08.2015	37	एम.एस.ई.सी.
30	मानसिक मंद व्यक्तियों के कार्य व्यवहार	5	23.11.2015 27.11.2015	30	एम.एस.ई.सी.
31	विशेष शिक्षा क्षेत्र में सूचना संप्रेषण तकनीका का प्रयोग	5	24.11.2015 28.11.2015	28	एम.एस.ई.सी.
32	विशेष शिक्षा में आईसीटी के प्रयोग पर अ.ज./ अ.ज.जा. व्यावसायिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	7.12.2015 11.12.2015	23	एम.एस.ई.सी.

क्र	प्रशिक्षण कार्यक्रम	अवधि	दिनांक	लाभार्थियों की संख्या	आयोजक
33	मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए पूर्व व्यावसायिक कौशल	5	14.12.2015 18.12.2015	32	एम.एस.ई.सी.
34	मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए कौशल प्रशिक्षण	5	25.01.2016 29.01.2016	35	एम.एस.ई.सी.
35	प्रमस्तिष्क आघआत बच्चों का प्रबंधन	5	20.04.2015 24.04.2015	19	क्षेत्रीय केन्द्र, नोएडा
36	जोखिम / विकासात्मक विलम्ब वाले बच्चों का प्रारंभिक पहचान तथा हस्तक्षेप	5	18.05.2015 22.05.2015	32	क्षेत्रीय केन्द्र, नोएडा
37	दिव्यांगबच्चों के प्रबंधन में परिवार आधारित अप्रोच	5	25.05.2015 29.05.2015	30	क्षेत्रीय केन्द्र, नोएडा
38	विशिष्ट अधिगम विकलांगता, निर्धारण, रोगनिदान तथा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	08.06.2015 12.06.2015	41	क्षेत्रीय केन्द्र, नोएडा
39	सम्मिलित शिक्षा एवं एसएलडी प्रबंधन (बलवंत राय मेहता विद्याभवन में आयोजित)	5	22.06.2015 26.06.2015	36	क्षेत्रीय केन्द्र, नोएडा
40	मनोवैज्ञानिक/ शैक्षिक मूल्यांकन तथा व्यवहार परिवर्तन पर सी.बी.आर. के स्टाफ एवं शिक्षकों का क्षमता निर्माण	3	12.06.2015 14.06.2015	16	क्षेत्रीय केन्द्र, नोएडा
41	विशिष्ट अधिगम विकलांगता, निर्धारण, रोगनिदान तथा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	13.07.2015 17.07.15	32	क्षेत्रीय केन्द्र, नोएडा
42	आटीज्म तथा अधिगम विकलांगता से ग्रस्त बच्चों का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन	5	17.08.2015 21.08.2015	35	क्षेत्रीय केन्द्र, नोएडा
43	आईडी बच्चों का व्यवहार प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रमन	5	7.09.2015 11.09.2015	33	क्षेत्रीय केन्द्र, नोएडा
44	सीडब्लयुएसएन के लिए शारीरिक शिक्षा, खेल-कूद पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	5.10.2015 9.10.2015	40	क्षेत्रीय केन्द्र, नोएडा
45	बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए पैकेज - आईसीटी तथा सीए आई के प्रयोग पर अ.ज./अ.ज.जा. के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	26.10.2015 30.10.2015	11	क्षेत्रीय केन्द्र, नोएडा
46	बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए पैकेज - आईसीटी तथा सीए आई के प्रयोग पर अ.ज./अ.ज.जा. के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	14.12.2015 18.12.2015	29	क्षेत्रीय केन्द्र, नोएडा
47	थिरेप्युटिक प्रबंधन के लिए आटीज्म का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन तथा पाठ्यक्रम का नवीकरण	5	04.01.2016 08.01.2016	40	क्षेत्रीय केन्द्र, नोएडा
48	विशेष आवश्यकता वाले छोटे बच्चों के सेन्सरी मोटार विकास के लिए कार्यनीतियाँ	5	3.08.2015 7.08.2015	30	क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता
49	विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पूर्व-शैक्षिक कौशल	5	7.09.2015 11.09.2015	30	क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता
50	प्री स्कूल शिक्षा में मल्टी सेन्सरी उपगमन	5	5.10.2015 9.10.2015	30	क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता

परिशिष्ट 2

क्र	प्रशिक्षण कार्यक्रम	अवधि	दिनांक	लाभार्थियों की संख्या	आयोजक
51	बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए पाठ्यक्रम की योजना तैयार करना तथा विकसित करना	5	2.11.2015 6.11.2015	30	क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता
52	एकीकरण थिरेपी तथा स्कूल क्रियाकलापों पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	30	1.12.2015 30.12.2015	14	क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता
53	सी.ए.आई. तथा ई-साध्य तथा ई-अधिगम पर अ.ज./ अ.ज.जा. व्यावसायिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	14.12.2015	27	क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता
54	प्रौढ़ स्वजीवन यापन	5	11.1.2016 15.1.2016	29	क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता
55	कक्षा में तथा घर पर व्यवहार प्रबंधन	5	08.2.2016 12.2.2016	30	क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता
56	विशेष शिक्षा में निर्धारण पर सीआरई	5	04.01.2016 08.01.2016	21	क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई
57	व्यवहार परिवर्तन पर सीआरई	5	11.01.2016 15.01.2016	20	क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई
58	समावेशी शिक्षा पर सीआरई	5	25.01.2016 30.01.2016	21	क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई
59	व्यावसायिक पुनर्वास पर सीआरई	5	08.02.2016 12.02.2016	27	क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई
60	अधिगम विकलांगता पर सीआरई	5	22.02.2016 26.02.2016	33	क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई
61	सेंसरी इन्टग्रेशन पर सीआरई	5	07.03.2016 11.03.2016	38	क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई
62	आईईपी पर सीआरई	5	14.03.2016 18.03.2016	50	क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई
			कुल	1806	

मिथक : बौद्धिक अक्षम बच्चों को अनुशासनबद्ध करते समय रुलाना नहीं चाहिए।

तथ्य : सभी बच्चों की तरह, बौद्धिक अक्षम बच्चों को भी अच्छा व्यवहार सिखाना चाहिए। परन्तु, उन्हें अनुशासनबद्ध करते समय उनकी सीमाओं पर ध्यान देना चाहिए।

पूर्वोत्तर क्रियाकलाप 2015-16

क्र.सं.	राज्य	स्थान	शीर्षक	लक्ष्य ग्रूप	दिनांक	कार्यक्रम	लाभार्थी
राज्य: अरूणाचल प्रदेश							
1	अरूणाचल प्रदेश	डेपोरिजो	प्रशिक्षण एवं ईआईएस किट वितरण	ए.डब्ल्यू. डब्ल्यू.एस.	26-28 मई, 2015	1	467
2	अरूणाचल प्रदेश	इटानगर	प्रशिक्षण एवं अर्ली पहचान एवं ईआई किट वितरण	ए.डब्ल्यू. डब्ल्यू.एस.	8-10 अक्तूबर, 2015	1	185
3	अरूणाचल प्रदेश	इटानगर	पहचान एवं मूल्यांकन शिविर	पीडब्ल्यू आईडी	13-15 अक्तूबर, 15	1	91
4	अरूणाचल प्रदेश	इटानगर	टीएलएम किट वितरण	पीडब्ल्यू आईडी	5-7 जनवरी, 2016	1	52
5	अरूणाचल प्रदेश	इटानगर	अर्ली पहचान एवं आईई किट वितरण	ए.डब्ल्यू. डब्ल्यू.एस.- सीडीपीओ	6-7 जनवरी, 2016	1	215
6	अरूणाचल प्रदेश	पासिघाट	मूल्यांकन शिविर	पीडब्ल्यूआईडी	11-12 जनवरी 16	1	71
7	अरूणाचल प्रदेश	पासिघाट	वितरण शिविर	पीडब्ल्यूआईडी	7 जनवरी 2016	1	52
					कुल	**7**	**1133**
राज्य : असम							
1	असम	गुवाहाटी	एडिप मूल्यांकन शिविर	पीडब्ल्यूआईडी	26 जुलाई 1 अगस्त, 2015	1	148
2	असम	गुवाहाटी	टीएलएम किट वितरण	पीडब्ल्यूआईडी	27-28 जनवरी, 2016	1	77
3	असम	दुलियाज	छटी राष्ट्रीय अभिभावक बैठक	अभिभावक	23-24 जनवरी, 16	1	143
4	असम	गुवाहाटी	एस.टी.पी.	एससी/एसटी व्यवसायिक	14-18 मार्च,2016	1	19
					कुल	**4**	**387**
राज्य : मणिपुर							
1	मणिपुर	इम्फाल	प्रशिक्षण कार्यक्रम	आयुर्विज्ञान चिकित्सक	26 अक्तूबर, 2015	1	22
2	मणिपुर	इम्फाल	प्रशिक्षण कार्यक्रम	ए.डब्ल्यू. डब्ल्यू.एस.	27 अक्तूबर, 2015	1	142
3	मणिपुर	इम्फाल	प्रशिक्षण कार्यक्रम		27 अक्तूबर, 2015	1	93
4	मणिपुर	इम्फाल	मूल्यांकन शिविर	पीडब्ल्यूआईडी	27 अक्तूबर, 2015	1	142
5	मणिपुर	इम्फाल	प्रशिक्षण कार्यक्रम	ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू.एस.	30 अक्तूबर, 2015	1	116
6	मणिपुर	इम्फाल	मूल्यांकन शिविर	पीडब्ल्यूआईडी	31 अक्तूबर, 2015	1	36
7	मणिपुर	इम्फाल	अभिमुखीकरण कार्यक्रम	मेडिकल व्यावसायिक	31 अक्तूबर, 2015	1	12
8	मणिपुर	इम्फाल	जागरूकता कार्यक्रम	स्कूल बच्चें	2 नवम्बर, 2015	1	108
					कुल	**8**	**671**
राज्य : मेघालय							
1	मेघालय	शिलांग	सीआईए	अभिमुखीकरण	विशेष शिक्षक	09-05-2015	110
2	मेघालय	शिलांग	मूल्यांकन शिविर	पीडब्ल्यूआईडी	5-7 अक्तूबर, 2015	1	132
3	मेघालय	शिलांग	टीएलएम वितरण एवं लैपटॉप	पीडब्ल्यूआईडी (57+10)	8-9 अक्तूबर, 2015	1	67
4	मेघालय	शिलांग	टीएलएम किट वितरण	पीडब्ल्यूआईडी	14-16 मार्च, 2016	1	25
5	मेघालय	शिलांग	अभिमुखीकरण कार्यक्रम	अभिभावक	15 मार्च, 2016	1	25
					कुल	**5**	**259**
राज्य : नागालैंड							
1	नागालैंड	दीमापुर	सीआईए अभिमुखीकरण	विशेष शिक्षक	07-04-2015	1	10
2	नागालैंड	दीमापुर	9 वी राष्ट्रीय अभिभावक बैठक		11 मार्च, 2016	1	88
					कुल	**2**	**98**

क्र.सं.	राज्य	स्थान	शीर्षक	लक्ष्य ग्रूप	दिनांक	कार्यक्रम	लाभार्थी
राज्य : मिजोरम							
1	मिजोरम	आइजोल	मूल्यांकन शिविर एवं प्रशिक्षण	पीडब्ल्यूडी	2-4 नवम्बर, 2015	1	108
2	मिजोरम	आइजोल	अभिमुखीकरण कार्यक्रम	सीडीपीओ सुपर वाईजर, ए.डब्ल्यू. डब्ल्यू.एस. एवं ग्रास रूट कार्यकर्ता	3-11-2015	1	59
3	मिजोरम	आइजोल	अभिमुखीकरण कार्यक्रम	पीएचसी डाक्टर, स्वास्थ्य कार्यकर्ता	4-11-2015	1	42
4	मिजोरम	आइजोल	प्रशिक्षण कार्यक्रम	विशेष शिक्षक	4-11-2015	1	19
5	मिजोरम	आइजोल	प्रशिक्षण कार्यक्रम	पीडब्ल्यूडी के अभिभावक	5-11-2015	1	49
6	मिजोरम	आइजोल	जागरूकता कार्यकम	स्थायी स्कूल के विद्यार्थी	5-11-2015	1	56
7	मिजोरम	आइजोल	प्रशिक्षण कार्यक्रम	विशेष शिक्षक	6-11-2015	1	33
8	मिजोरम	आइजोल	टीएलएम वितरण	पीडब्ल्यूडी (90टीएलएम+ 18 लैपटॉप)	10-12 मार्च, 16	1	108
					कुल	**8**	**474**
राज्य : त्रिपुरा							
1	त्रिपुरा	अगरतला	प्रशिक्षण कार्यक्र	अभिभावक	1-2 जनवरी, 2016	1	111
2	त्रिपुरा	अगरतला	अभिमुखीकरण कार्यक्रम	शिक्षक एवं राजकीय अधिकारी	3 जनवरी, 2016	1	71
3	त्रिपुरा	अगरतला	अभिमुखीकरण कार्यक्रम	आशा एवं ए. डब्ल्यू.डब्ल्यू	29-31 दिसम्बर, 2016	1	161
4	त्रिपुरा	अगरतला	मूल्यांकन शिविरा	ए.डब्ल्यू. डब्ल्यूआई.एस.	1-2 जनवरी, 2016	1	177
					कुल	**4**	**520**
राज्य: सिक्किम							
1-23	सिक्किम	गंगटोक व अन्य स्थान	जागरूकता/ अभिमुखीकरण कार्यक्रम	विद्यार्थी, पेशेवरों, अभिभावकों, एडब्ल्यूडब्ल्यूएस, सीडीपीओ, मेडिकल स्टाफ	अप्रैल, 15 मार्च,16	23	988
24-28	सिक्किम	गंगटोक	प्रशिक्षण एवं जागरूकता किट का वितरण	गंगटोक स्टाफ एस. जे.ई. व कल्याण विभाग, सिक्किम सरकार	जुलाई, 15 मार्च,16	5	530
29-37	सिक्किम	गंगटोक	मूल्यांकन शिविर	सभी दिव्यांगजन	अप्रैल,15 जून, 15	9	615
38	सिक्किम	गंगटोक	एडिप वितरण	सभी दिव्यांगजन (60 एमआर+ 161 अन्य दिव्या ंगजन+ 1 लैपटॉप)	11-जुलाई, 15	1	222
39	सिक्किम	रिसोर्स सेन्टर, गंगटोक	पुनर्वास सेवाएँ	पीडब्ल्यूडीएस	अप्रैल, 15 मार्च, 16	1	199
40	सिक्किम	रिसोर्स सेन्टर, गंगटोक	पुस्तकालय सेवाएँ	विद्यार्थी/अभिभावक / पेशेवरों	अप्रैल, 15 मार्च, 16	1	58
41-43	सिक्किम	रिसोर्स सेन्टर, गंगटोक	सामाजिक न्याय अधिकारिता एवं कल्याण विभाग सिक्किम राज्य विभाग के सहयोग से सेवाएँ	सामाजिक न्याय अधिकारिता एवं कल्याण विभाग सिक्किम राज्य विभाग के द्वारा मूल्यांकन एवं वितरण शिविर	अप्रैल, 15 मार्च, 16	3	62
					कुल	**43**	**2674**

परिशिष्ट 4

कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम
(मूल्यांकन शिविर/जागरूकता/अभिमुखीकरण कार्यक्रम)

क्र. सं..	कार्यक्रम का नाम	क्रियाकलाप/ लक्ष्य ग्रुप	आयोजक	स्थान	तिथियाँ	लाभार्थियों की संख्या
1	महिला सशक्तिकरण एवं सभी लेवल के बच्चो के लिए गैर संगठन का मेला	महिला एवं बच्चों के साथ/ बिना विकलांगता	क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई	वाईडब्ल्यूसीए, बेलापुर, नवी मुम्बई	18/03/2015	86
2	मूल्यांकन शिविर	पीडब्ल्यूआईडी	क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई	मुम्बई	25/4/2015	78
3	मूल्यांकन शिविर	पीडब्ल्यूआईडी	क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई	गोरखपुर	25/4/2015	5
4	जागरूकता कार्यक्रम	अभिभावक, विद्यार्थी एवं शिक्षक	क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई	विखरोली, मुम्बई	05-10-2015	22
5	व्यवहार परिवर्तन पर कार्यशाला	स्पेशल एजुकेटर एवे इंटरग्रेटेड स्कूल के सदस्य	क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई	विक्टोरिया मेमारियल इं स्टीटयूट, मुम्बई	28/08/2015	35
6	मूल्यांकन शिविर	पीडब्ल्यूआईडी	क्षेत्रीय केन्द्र नवी मुम्बई	मुम्बई	08.10.15	42
6.1	जागरूकता जांच और मूल्यांकन	पीडब्ल्यूआईडी एवं शिक्षक	क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई	मुम्बई	14-15 दिसम्बर, 15	205
7	मूल्यांकन शिविर	पीडब्ल्यूडी से लोकल समुदाय	क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई	गुरू गोविंद सिंह अस्पताल, रजौरी गार्डन, दिल्ली	2-3 दिसम्बर, 2015	46
9	मूल्यांकन शिविर	समुदाय	क्षेत्रीय केन्द्र, दिल्ली	बसोला गांव, नोएडा	01-01-2016	55
10	मूल्यांकन शिविर	समुदाय	क्षेत्रीय केन्द्र, दिल्ली	छल्लेरा गांव, नोएडा	02.01.16	20
11	मूल्यांकन शिविर	समुदाय	क्षेत्रीय केन्द्र, दिल्ली	आघपुर गांव, नोएडा	02.01.16	35
12	मूल्यांकन शिविर	समुदाय	क्षेत्रीय केन्द्र, दिल्ली	सलारपुर गांव, नोएडा	02.01.16	15
13	मूल्यांकन शिविर	समुदाय	क्षेत्रीय केन्द्र, दिल्ली	मोरना गांव, नोएडा	02.01.16	10
15	एडिप मूल्यांकन	पीडब्ल्यूडी	क्षेत्रीय केन्द्र, दिल्ली	वाराणासी, उ.प्र.	22.01.16	372
16	जांच एवं मूल्यांकन शिविर	लोकल समुदाय के पीडब्ल्यूडी	क्षेत्रीय केन्द्र, दिल्ली	एएसआरए (एनजीओ) , उत्तमनगर, नई दिल्ली	10.02.16	86
17	जांच एवं मूल्यांकन शिविर	लोकल समुदाय के पीडब्ल्यूडी	क्षेत्रीय केन्द्र, दिल्ली	पूर्ती स्पेशल एजुकेशन स्कूल, नई दिल्ली	24.02.16	22
18	मूल्यांकन शिविर	लोकल समुदाय के पीडब्ल्यूडी	क्षेत्रीय केन्द्र, दिल्ली	महर्षि बाल्मिकी अस्पताल, पूथ नई दिल्ली	25-26 फरवरी, 2016	19
19	निर्धारण शिविर	स्थानीय पीडबल्यु आईडी	क्षेत्रीय केन्द्र, दिल्ली	डीआईएएल- जीएम आर सीएसआर इकाई, सावडा घेवाजा, जेजे कॉलोनी, नंगोली के पास, नई दिल्ली	09.03.2016	18
20	निर्धारण शिविर	स्थानीय पीडबल्यु आईडी	क्षेत्रीय केन्द्र, दिल्ली	जनकपुरी सूपर स्पेशालिटी अस्पताल, नई दिल्ली	15.03.2016 16.03.2016	138

क्र. सं..	कार्यक्रम का नाम	क्रियाकलाप/ लक्ष्य ग्रुप	आयोजक	स्थान	तिथियाँ	लाभार्थियों
21	इंटर स्कूल खेल-कूद प्रतियोगिता	विशेष बच्चे	एम.एस.ई. सी.	दिल्ली, ओखला केन्द्र	12-04-2015	10
22	स्पेशल ओलम्पिक भारत, दिल्ली स्टेट बाक्से गेम 2015	विशेष बच्चे	एम.एस.ई. सी.	दिल्ली	21/12/2015 22/12/2015	8
23	निर्धारण शिविर	पीडबल्युआईडी	एम.एस.ई. सी.	लखनउ, उ.प्र.	21/12/2015 23/12/2015	178
24	निर्धारण शिविर	पीडबल्युआईडी	एम.एस.ई. सी.	वारणासी, उ.प्र.	8/01/2016 10/1/2016	380
25	निर्धारण शिविर	पीडबल्युआईडी	क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता	प.बंगाल	3.04.15	28
26	ई.आई.एस. किट वितरण एवं अभिमुखी कार्यक्रम अंगनवाडी कार्यकर्ताओं के आई.सी.डी.एस. प्रोजेक्ट	अंगनवाडी कार्यकर्ताएँ	क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता	बॉनगाँव, जिला 24 परगनास, प. बं.	19.05.15	100
27	ई.आई.एस. किट वितरण एवं अभिमुखी कार्यक्रम अंगनवाडी कार्यकर्ताओं के आई.सी.डी.एस. प्रोजेक्ट	अंगनवाडी कार्यकर्ताएँ	क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता	बॉनगाँव, जिला 24 परगनास, प. बं.	25.05.15	405
28	ई.आई.एस. किट वितरण एवं अभिमुखी कार्यक्रम अंगनवाडी कार्यकर्ताओं के आई.सी.डी.एस. प्रोजेक्ट	अंगनवाडी कार्यकर्ताएँ	क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता	बॉनगाँव, जिला 24 परगनास, प. बं.	26.5.15	400
29	ई.आई.एस. किट वितरण एवं अभिमुखी कार्यक्रम अंगनवाडी कार्यकर्ताओं के आई.सी.डी.एस. प्रोजेक्ट	अंगनवाडी कार्यकर्ताएँ	क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता	हालीसहर, 24 परगनास, पानीहाटी, 24 परगनास	26.05.15 28.05.15	90
30	ई.आई.एस. किट वितरण एवं अभिमुखी कार्यक्रम अंगनवाडी कार्यकर्ताओं के आई.सी.डी.एस. प्रोजेक्ट	अंगनवाडी कार्यकर्ताएँ	क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता	सोदेपुर, जिला 24 परगनास	13.07.15	430
31	निर्धारण शिविर	पीडबल्युआईडी	क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता	पश्चिम बंगाल, चिरानबिन बगनन (हौरा)	2.10.15	67
32	निर्धारण शिविर	पीडबल्युआईडी	क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता	पश्चिम बंगाल, उत्तर दिनजपुर	27.11.15 28.11.15	176
33	निर्धारण शिविर	पीडबल्युआईडी	मुख्यालय	कर्नूल	18.4.15	24
34	निर्धारण शिविर	पीडबल्युआईडी	मुख्यालय	कर्नूल	28.4.15	18
35	निर्धारण शिविर	पीडबल्युआईडी	मुख्यालय	आदोनी, कर्नूल	29.4.15	16
36	निर्धारण शिविर	पीडबल्युआईडी	मुख्यालय	नंदयाल, कर्नूल	30.4.15	14
37	निर्धारण शिविर	पीडबल्युआईडी	मुख्यालय	कर्नूल	30.4.15	99
38	निर्धारण शिविर	पीडबल्युआईडी	मुख्यालय	नेल्लूर	25-05-15	363
39	निर्धारण शिविर	पीडबल्युआईडी	मुख्यालय	कर्नूल	11/7/15 से 15/7115 तक	147
40	अभिमुखी कार्यक्रम	जुनियर सिविल जज, एपी जुडीशियल अकादमी, सिकंदराबाद	मुख्यालय	एन.आई.ई.पी.ई.डी. मुख्यालय	30.09.2014	59
					कुल	4321

परिशिष्ट 5

महा परिषद् के सदस्यों की सूची

1.	श्री लव वर्मा सचिव, भारत सरकार दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन,नई दिल्ली -110001	अध्यक्ष (31-01-2016 तक)
2.	श्री विनोद अग्रवाल सचिव, भारत सरकार दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन,नई दिल्ली -110001	अध्यक्ष (31-01-2016से)
3.	श्री अविनाश कुमार अवस्थी संयुक्त सचिव, भारत सरकार दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन,नई दिल्ली -110001	सदस्य
4.	श्रीमती टी.सी.ए.कल्याणी संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001	सदस्य
5.	संयुक्त सचिव (मेंटल हेल्थ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, निर्माण भवन, ए-विंग चौथा तल, नई दिल्ली -110001	सदस्य
6.	डॉ.अशोक कुमार बी नागुरे मकान नं. 8-5-156, अशोदेव निवास नजदीक मेडिकल कालेज हास्टल जनवाडा रोड, बिदर-585401,कर्नाटक	सदस्य
7.	श्री पी. नागेन्द्र ज्योति नगर, नजदीक ज्योति स्कूल कछरकनहल्ली, हेन्नूर मेन रोड बैंगलूरू - 560084	सदस्य

8	उप महानिदेशक (योजना पर्यवेक्षण एवं सांख्यिकी) शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय कमरा न.203, सी-विंग, शास्त्री भवन,नई दिल्ली -110001	सदस्य
9	महा निदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा न. 111, पहला तल श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली 110 001	सदस्य
10	प्रधान सचिव, आँध्र प्रदेश सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, हैदराबाद	सदस्य
11	प्रधान सचिव, आँध्र प्रदेश महिला विकास एवं दिव्यांगजन एवं वरिष्ट नागरिक हैदराबाद	सदस्य
12.	श्री जरूप्लावथु राजु मकान नं.1-58, गांव रेड्या तंडा पोस्ट-उरूकोंडा पेट, मंडल-मिडजिल जिला-महबूब नगर-509320, तेलंगाना.	सदस्य
13	श्रीमती कविता दत्त छित्तुरी रामाकृष्णा बिल्डिंग, न.2 डॉ.पी.वी.चेरियन चरेचेंट चैन्नई-600008	सदस्य
14	श्री विशाल गगन प्रभारी, निदेशक एन.आई.ई.पी.आई.डी., सिकन्दराबाद	सदस्य सचिव

मिथक: आस्था आरोग्यक या फेथ हीलर बौद्धिक अक्षमता का उपचार कर सकते हैं।

तथ्य: आस्था आरोग्यक या फेथ हीलर अभिभावकों को बौद्धिक अक्षमता का उपचार करने का विश्वास दिलाते हैं। इसके लिए न कोई ठोस सबूत है और ना ही अनुसंधानिक आधार सबूत।

परिशिष्ट-6

कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों की सूची

1.	श्री अवनीश कुमार अवस्थी, संयुक्त सचिव, भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110 001.	..	अध्यक्ष
2.	सुश्री किरन पुरी संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (आई.एफ.डी.) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110 001.		सदस्य
.			
3	श्री विशाल गगन, निदेशक प्रभारी राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान मनोविकास नगर सिकन्दराबाद-500009		सदस्य सचिव

मिथक : बौद्धिक अक्षमता का कारण माता-पिता के पिछले जन्म में बुरे कर्तुओं या कर्म है।
तथ्य : ऐसे विश्वास माता पिता के बोझ को और बढ़ाता है। बौद्धिक अक्षमता एक चिकित्सा संबंधी स्थिति है, माता-पिता, अभिभावक या देखरेखकर्ताओं को समुदाय से समर्थन की ज़रूरत है। बौद्धिक अक्षम व्यक्ति को यदि उचित प्रशिक्षण से सहायता दिया जाए और परिवार एवं समुदाय से प्रोत्साहन मिले, तो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है।

शैक्षणिक समिति के सदस्यों की सूची

1. डॉ. बी.राजशेखर, एम.एस.सी., पीएचडी
   डीन एवं प्रोफेसर , वाक् एवं श्रवण विभाग
   मणिपाल कालेज ऑफ अलाईड हेल्थ सायंसेस
   मणिपाल विश्वविद्यालय, मणिपाल

2. डॉ.उमा एच., एम.फिल., पीएचडी
   प्रोफेसर, नैदानिक मनोविज्ञान
   चिकित्सा मनोविज्ञान विभाग, निमहांस, बैंगलूर

3. प्रो. अनिलकुमार टी.वी.
   एम.बी.बी.एस., डीपीएम, डीएनबी, एम.फिल., पी.डी.एफ
   एसोसिएट प्रोफेसर, मनोचिकित्सा विभाग
   त्रिवेन्द्रम मेडिकल कालेज, तिरूवनंतपूरम, केरल

4. डॉ.राधाकृष्ण, एम.बी.बी.एस., डी.सी.एच.,
   सहायक निदेशक,
   राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद

5. डॉ. ए.ज्योति, एमएस.सी., पीएच.डी.
   निदेशक, इंस्टिट्यूट ऑफ जेनेटिक एंड हास्पिटल फॉर जेनेटिक डिसॉर्डर्स्
   बेगमपेट, हैदराबाद

6. प्रो. एस.पी.के.जेना, एम.फिल, पीएच.डी.
   एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान
   दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

7. डॉ. नीरज जैन
   एमएस.सी.पीएच.डी.
   प्रो. एवं वैज्ञानिक -VI
   नेशनल ब्रेइन रीसर्च सेन्टर, हरियाणा

मिथक : दवाईयों और विटमिनों से बौद्धिक अक्षमता का उपचार किया जा सकता है।
तथ्य : जब बौद्धिक अक्षमता, उपचार योग्य स्थिति के कारण हुई हो तो, उस स्थिति का समुचित उपचार से इलाज किया जा सकता है। परन्तु, क्षतिग्रस्त दिमाग को उत्तेजित करने के लिए कोई टॉनिक नहीं है।

परिशिष्ट-8

कर्मचारी सदस्यों की सूची

वर्ग - क

क्र.सं.	कर्मचारी सं.	नाम	पदनाम
		श्री विशाल गगन	प्रभारी, निदेशक
1.	1009	श्री टी.सी.शिवकुमार	निदेशक (निलंबित)
2.	1041	श्री बी.वी.रामकुमार	उप निदेशक (प्रशासन)
3.	1010	श्री बी.अशोक	विभागध्यक्ष, व्यावसायिक प्रशिक्षण में सहायक आचार्य एवं संपर्क अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
4.	1046	डॉ.मेरी अनुरूपा	बाल चिकित्सा में सहायक आचार्य एवं विभागध्यक्ष, आयुर्विज्ञान विभाग
5.	1048	डॉ.वी.श्रवण रेड्डी	मनचिकित्सा में सहायक आचार्य
6.	1015	श्रीमती वी.आर.पी.शैलजा राव	विशेष शिक्षा में व्याख्याता एवं अंशकालिक सी.वी.ओ.
7.	1022	डॉ. निबेदिता पट्नायक	विशेष शिक्षा में व्याख्याता
8.	1025	डॉ. सुरेन्द्र पाल सिंह	विशेष शिक्षा में व्याख्याता
9.	1028	श्री दशरथ चौधरी	पुनर्वास मनोविज्ञान में व्याख्याता एवं प्रभारी अधिकारी
10.	1031	डॉ.बीनापानी महापात्र	पुनर्वास मनोविज्ञान में व्याख्याता एवं विभागध्यक्ष, पुनर्वास मनोविज्ञान
11.	1034	डॉ.जी.श्रीकृष्णा	पुनर्वास मनोविज्ञान में व्याख्याता
12	1035	श्री एन.सी.श्रीनिवास	स्पीच पैथोलोजी व आडियोलोजी में व्याख्याता एवं प्रभारी, सामान्य सेवाएँ, प्रभारी, अकादमिक
13	1036	श्री गणेश शेरेगर	प्रधानाचार्य, स्पेशल एजुकेशन सेन्टर
14.	1040	श्री टी.मुगेश	व्यावसायिक थेरेपी में व्याख्यता
15	1047	श्री जी.श्रीनिवासुलु	व्यावसायिक परामर्श एवं रोजगार में व्याख्याता
16	1049	डॉ.आर.शिल्पा मनोज्ञा	विशेष शिक्षा में व्याख्याता

वर्ग -ख

क्र.सं.	कर्मचारी सं.	नाम	पदनाम
1	2014	श्री वेंकटेश्वर राव	लेखा अधिकारी*
2	2015	श्री सी.सिद्धेश्वर	सहायक प्रशासन अधिकारी *(निलंबित)
3	2005	श्री पी.समैया	पुनर्वास अधिकारी
4.	2008	श्री के.रविन्दर	पुनर्वास अधिकारी
5.	2019	श्रीमती के.नागरानी	हिन्दी अनुवादक
6.	2017	श्रीमती एम.श्यामा कुमारी	पुस्तकालय सहायक
7.	2016	श्री एस.किग्सली	विशेष शिक्षा शिक्षक
8.	2018	श्रीमती एन.विजयलक्ष्मी	विशेष शिक्षा शिक्षक
9.	3080	डॉ.के.पद्मावती	विशेष शिक्षा शिक्षक
10.	2020	श्री डी.लक्ष्मैया	स्पीच पैथोलोजिस्ट
11.	2039	सुश्री प्रशांती जक्किडी	स्पीच पैथोलोजिस्ट
12.	2040	श्री जी.हरिबाबू	कार्यालय अधीक्षक

13.	2034	श्रीमती के.अमरावतीम्मा	व्यावसायिक अनुदेशक (एन.आई.ई.पी.आई.डी. एम.एस.ई.सी., नई दिल्ली से एन.आई.ई.पी.आई.डी. अस्थायी तबादला)
14.	2044	श्री ए.जगन मोहन रेड्डी	संपदा अधिकारी

एकाउन्टेंट तथा ओएस-कम-एकाउन्टेन्ट पदधारियों का वर्ष 2009 में क्रमश:लेखाधिकारी तथा एएओ पद के लिए चयन किया गया था और इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया। मंत्रालय के निर्देशानुसार इनके चयन के आदेश रोक दिये गये हैं। संप्रति, ये अधिकारी एओ तथा एएओ पदों को चयन होने से पूर्व ग्रहित पद, अकाउन्टेन्ट तथा ओएस-कम-एकाउन्टेन्ट पदों का वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं। यह मामला न्यायाधीन है।

मंत्रालय ने पत्र दिनांक 2.7.2012 के द्वारा सूचित किया कि, एएओ पदधारित अधिकारी का पदनाम एएओ के स्थान पर ओएस-कम-एकाउन्टेन्ट पढ़ें। पदधारी ने मंत्रालय के आदेशों पर माननीय आँध्रप्रदेश के उच्च न्यायालय में अंतरिम स्टे लाया है। यह मामला न्यायाधीन है।

वर्ग ग कर्मचारी

क्र.सं.	कर्मचारी सं.	नाम	पदनाम
1.	3001	श्री वी.सूर्यनारायण मूर्ती	सीनयिर बायों-कमिस्ट्री टैकनिशियन
2.	3011	श्रीमती बी.ज्योति	स्टाफ नर्स
3.	3012	श्री बी.सूर्यप्रकाशम	सांख्यिकी सहायक
4.	3013	श्री टी.श्रीधर	सांख्यिकी सहायक
5.	3018	श्रीमती सी.जयन्ती	आशुलिपिक
6.	3020	श्री वी.शंकर कुमार	आशुलिपिक
7.	3025	श्री जड.एल.मूर्ती	यू.डी.सी.कैशियर
8	3027	श्री ई.डी.शरत	यू.डी.सी. केयर टेकर
9	3031	श्रीमती एम.नागलक्ष्मी	कनिष्ट विशेष शिक्षा शिक्षक
10	3033	श्री सुरेश वर्मा	व्यावसायिक अनुदेशक
11	3034	श्री के.रमेश	व्यावसायिक अनुदेशक
12	3035	श्री के.वी.सुब्बा रेड्डी	फिजोथेरेपी सहायक
13	3036	श्रीमती आर.ललिता	यू.डी.सी.
14	3037	श्रीमती एन.अरूणा	एल.डी.सी./टाईपिस्ट
15	3038	श्री पी.महावीर सिंह	एल.डी.सी./टाईपिस्ट
16	3042	श्री जी.रविशंकर	प्रकाशन सहायक
17	3044	श्री जे.सूर्यप्रकाश	एल.डी.सी./टाईपिस्ट
18	3045	श्रीमती कोमला वाघरे	रिसेप्सनिष्ट कम टेलीफोन आपरेटर
19	3046	श्री के.जंगैया	वाहन चालक (ग्रेड-)
20	3047	श्री जी.महेन्द्र रेड्डी	वाहन चालक (ग्रेड-)
21	3049	श्री एम.किशन	वाहन चालक (ग्रेड-)
22	3078	श्री ए.मुरली कृष्णा	आशुलिपिक
23	3090	श्री गोपी कुमार	ई.ई.जी. टेकनिसियन
24.	3093	श्रीमती जी.शकुन्तला	कनिष्ट विशेष शिक्षा शिक्षक
25	3094	श्री सी.अंजी रेड्डी	कनिष्ट विशेष शिक्षा शिक्षक

26	3102	श्री सुरेश	पुस्तकालय क्लर्क
27	3103	श्री सम्पत सिंह	हिन्दी टाईपिस्ट
28	3111	श्री एन.मुत्यालु	एल.डी.सी./टाईपिस्ट
29	3121	श्री एस.शंकर	एल.डी.सी./टाईपिस्ट
30	3122	श्रीमती सरीता ससी	आशुलिपिक
31	3123	श्री ऋषिकेश देशपांडे	पुनर्वास थेपपिस्ट
32	3126	श्री ए.कृष्णा मूर्ती	एल.डी.सी./टाईपिस्ट
33	3127	सुश्री सी.स्वपणलता	कनिष्ठ विशेष शिक्षा शिक्षक
34	3128	सुश्री के.मंजुला	एल.डी.सी./टाईपिस्ट
35	3129	श्रीमती जी.लक्ष्मी	कनिष्ठ विशेष शिक्षा शिक्षक

वर्ग ग कर्मचारी

क्र.सं.	कर्मचारी सं.	नाम	पदनाम
1	4001	श्री ए.यादगिरी	एटेन्डर
2.	4008	श्री एम.अंजैया	एटेन्टर कम कैन्डक्टर
3	4010	श्रीमती आर.अरूणा	कुक
4.	4013	श्री पी.किशन राव	हेल्पर
5.	4007	श्री यू.विनोद कुमार	एटेन्डर
6.	4038	श्री साईनाथ कुमार	एटेन्डर

एन.आई.ई.पी.आई.डी. क्षेत्रीय केन्द्र, नोएडा

क्र.सं.	कर्मचारी सं.	नाम	पदनाम
वर्ग - क			
1	1044	डॉ.अमृता सहाय	पुनर्वास मनोविज्ञान में सहायक आचार्य
वर्ग ख			
2.	2033	सुश्री सबरी घोष	वरिष्ठ सोसल वर्कर
वर्ग - ग			
3.	3023	श्रीमती सुरजीत कौर	आशुलिपिक कम लेखाकार
4.	3050	श्री शिवप्रसाद	वाहन चालक ग्रेड-
वर्ग घ			
5.	4017	श्री नीरज	एटेन्डर

एन.आई.ई.पी.आई.डी. क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई

क्र.सं.	कर्मचारी सं.	नाम	पदनाम
वर्ग - क			
1.	1045	डॉ.मौसमी भौमिक	विशेष शिक्षा में व्याख्याता एवं प्रभारी अधिकारी
वर्ग - ग			
2.	3097	श्रीमती अर्पना जे. शर्मा	आशुलिपिक कम लेखाकार
वर्ग घ			
3.	4019	श्री एम. तोरने	एटेन्डर

एन.आई.ई.पी.आई.डी. क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता

क्र.सं.	कर्मचारी सं.	नाम	पदनाम
वर्ग - क			
1.	1020	श्री आर.सी.नितनवरे	फिजियोथरेपी में व्याख्याता एवं प्रभारी अधिकारी
वर्ग - ग			
2.	3022	श्री थापस दत्ता	आशुलिपिक कम लेखाकार
3.	3051	श्री कार्तिक मंडल	वाहन चालक (ग्रेड-)
वर्ग घ			
4.	4011	श्रीमती कल्पना रक्षित	आया
5.	4018	श्री रामशरण बाल्मिकी	एटेन्डर

एन.आई.ई.पी.आई.डी. आदर्श विशेष शिक्षा केन्द्र, नई दिल्ली एवं नोएडा

क्र.सं.	कर्मचारी सं.	नाम	पदनाम
वर्ग - क			
1.	1038	श्रीमती जान्हवी	प्रधानाचार्या
वर्ग ख			
2.	2027	श्रीमती नजमा सलीम	ट्रैन्ड ग्रेजुएट टीचर
3.	2028	श्रीमती नसरीन अख्तर	ट्रैन्ड ग्रेजुएट टीचर
4.	2030	श्री रामकेश मीणा	ट्रैन्ड ग्रेजुएट टीचर
5.	2037	सुश्री सीमा कुमारी	ट्रैन्ड ग्रेजुएट टीचर
6.	2031	सुश्री मीना पहवा	ट्रैन्ड ग्रेजुएट टीचर
7.	2035	श्री मुकट लाल	फिजिकल शिक्षा अनुदेशक
8.	2029	श्री राजेन्द्र सिंह	क्राफ्ट अनुदेशक
9.	2042	श्री जगदीश चन्द्रा	व्यावसायिक अनुदेशक
10.	2036	श्री मुकेश मनोचा	व्यावसायिक अनुदेशक
11.	2043	सुश्री रचना नैन	होम विजिटर/टीचर
12.	2044	श्री टी.राजु	विशेष शिक्षा शिक्षक
13	2045	श्री सुबेश चौधरी	विशेष शिक्षा शिक्षक
वर्ग - ग			
14.	3124	श्री दत्तात्रेय राय	पुनर्वास थेरेपिस्ट
15	3074	श्रीमती रक्षा सक्सेना	कनिष्ट विशेष शिक्षा शिक्षक
16	3107	डॉ.ललिता	कनिष्ट विशेष शिक्षा शिक्षक
17.	3071	श्रीमती उमा वर्मा	हाऊस मदर
18	3124	श्री अनिल सिंह बोहरा	एल.डी.सी./टाईपिस्ट
19	4027	सुश्री सरोज बाला	कटरिंग सहायक
वर्ग - घ			
20	4037	श्री रवि	एटेन्डर
21	4026	श्रीमती उषा देवी	आया
22	4028	श्रीमती सुषमा देवी	आया
23	4036	सुश्री बिमला कुमारी	आया
24	4020	श्रीमती मोहन देवी	कुक

सफलता की कहानियाँ

मक्सुद आलम मोल्ला - क्षेत्रीय केन्द्र - कोलकाता

मक्सुद आलाम मोल्ला, पंजीकरण सं. 486/12, एन.आई.ई.पी.आई.डी. क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता में पिछले 3 वर्षों से व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवाएँ प्राप्त कर रहा है। आत्म विश्वास में कमी, आयु के अनुरूप काम नहीं कर पाना जैसे शिकायतों से उसकी माँ उसे संस्थान ले आई। बहुविषयी दल द्वारा विस्तृत मूल्यांकन के पश्चात्, यह पाया गया कि, आलम खेल-कूद में अत्यंत रुचि रखता है। उसे संस्थान के अधिकारियों ने व्यावसायिक इकाई में कैंडिल तैयार करना, स्क्रीन प्रिंटिंग, पेपर कावर तैयार करने में प्रशिक्षण दिया। साथ ही साथ उन्हें, खेल में भी प्रशिक्षण दिया गया।

एन.आई.ई.पी.आई.डी. क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता में नियमित प्रशिक्षण द्वारा उसमें विश्वास बढ़ा और उसने जबरदस्त सुधार दिखाया। क्षेत्रीय केन्द्र कोलकाता में आयोजित खेल-कूद प्रतियोगिता में उसने विशेष प्रतिभा दिखाई। अत: उसे 24 जलाई से 2 अगस्त 2015 तक लॉसएंजीलिस में आयोजित विशेष ओलम्पिक्स् में भाग लेने हेतु नामित किया गया। उसने साईक्लिंग प्रतिस्पर्धा में तीन मेडल जीते अर्थात्, 5कि.मी.रोड रेस में स्वर्ण पदक, 10 कि.मी. रोड रेस में रजत पदक, 5 कि.मी. ट्रायल प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक। उसकी माँ खमरुनीसा ने क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता से मिली प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण सहायता के लिए खुशी व्यक्त की।

दीप प्रकाश - एम.एस.ई.सी.

दिल्ली के रहने वाला 17 वर्षीय दीप प्रकाश को एन.आई.ई.पी.आई.डी. माडल स्पेशल एजुकेशन सेन्टर (एमएसईसी) को लाया गया जिसे, लात मारना, मार पीट करना, कांच को तोडना, छीनलेना, बडे का न सुनना, अन्य बच्चों को मारना, आदि शिकायतें थी। बहुविषयी दल द्वारा पूरे निर्धारण के पश्चात्, उसको उपचार किया गया। एन.आई.ई.पी.आई.डी. माडल स्पेशल एजुकेशन सेन्टर (एमएसईसी) में सितम्बर 2014 को उसका दाखिला पूर्व-व्यावसायक इकाई में किया गया। उसकी व्यवहार संबंधी समस्याओं के कारण वह अपनी पढाई या अन्य क्रियाकलापों पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। सतत प्रशिक्षण से कुछ अवधि के पश्चात् वह अजस्ट होने लगा और उसमें सुधार आने लगा। विशेष शिक्षकों ने यह पाया कि उसे पेंटिंग तथा कम्प्युटर चलाने में दिलचस्पी है। अत: इन दोनों विषयों में प्रशिक्षण लेने में उसको प्रोत्साहित किया गया। सतत प्रयासों से वह विभिन्न कला क्रियाकलापों में सुधार दिखने लगा। उसने विभिन्न अंतर स्कूली स्तर के प्रतियोगिताओं में भाग लिया और ओखला केन्द्र में आठवी वार्षिक पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। वह बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाता है और पुरस्कार भी प्राप्त किया। उसने एयर फोर्स गोल्डन जुबिली स्कूल द्वारा आयोजित अंतर स्कूल प्रतिस्पर्धा में कम्प्युटर क्विज प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाया। 10वी परीक्षा के लिए उसका एन.आई.ओ.एस. के अंतर्गत पंजीकरण हुआ और सभी परीक्षाएँ लिखीं। उसे एफ-टेक कम्प्युटर एजुकेशन प्रोग्राम, मालविया नगर, नई दिल्ली में दाखिला दिया गया और उसने एम.एस. आफीस तथा एमएस एक्सेल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया।

उसके भावी जीवन के लिए हमारी शुभकामनाएँ।

छायाचित्र

प्रगति पर प्रारंभिक अंतराक्षेपण सेवाएँ

बौद्धिक अक्षम व्यक्ति को फिजियोथिरेपी सेवाएँ

प्रौढ़ स्वजीवनयापन विभाग में व्यावसायिक प्रशिक्षण

प्रौढ़ स्वजीवनयापन विभाग में बौद्धिक अक्षम व्यक्ति को व्यावसायिक प्रशिक्षण क्रियाकलाप

प्रौढ़ स्वजीवनयापन विभाग में बौद्धिक अक्षम व्यक्ति को टाईपिंग स्कील्स् में प्रशिक्षण

एन.जी.ओ. सहभागियों को कौशल विकास प्रशिक्षण पर अभिमुखी कार्यक्रम

एन.आई.ई.पी.आई.डी. मुख्यालय में प्रारंभिक अंतराक्षेपण सेवाओं पर प्रशिक्षण

गुवाहाटी, असम में एस.टी.पी. कार्यक्रम

सी.आर.सी. नेल्लूर में विशेष शिक्षा क्रियाकलाप

क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता में प्रौढ़ स्व-जीवनयापन पर सी.आर.ई.

उदयपुर में राष्ट्रीय अभिभावक बैठक

गोवा में क्षेत्रीय अभिभावक बैठक

पंजाब में पी.डबल्यु.आई.डी. के लिए लैपटॉप वितरण

कर्नूल में मेगा शिविर का उद्घाटन

32वाँ वार्षिक दिवस समारोह

एन.आई.ई.पी.आई.डी. मुख्यालय में महापरिषद् की बैठक

विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस उद्घाटन सत्र 3.12.2015

एम.एस.ई.सी. के विद्यार्थियों द्वारा स्वच्छ भारत अभियान रैली